खण्ड-208, अंक-3
बुधवार, 2 पौष, शक संवत् 1881
(23 दिसम्बर, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 208 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २३ दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३५५

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री,
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर श्री,
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनसिंह, श्री

कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
चन्द्रजीतयादव, श्री
चन्द्रबलीशास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयरामवर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकारामपुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालक राम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री

बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्भर सिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पान्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद हंस, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्रशर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रज विहारी महरोत्रा, श्री

शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शंभुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पान्डेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेश बहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २३ दिसम्बर, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अहेन सेशन केस को वापस लेना

**१--श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जिला अलीगढ़ के प्रसिद्ध अहेन सेशन केस को जो सेशन अदालत को सुपुर्द हो चुका था वापस लेने की आज्ञा हो चुकी है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--जी हां।
यह निर्णय सार्वजनिक हित में किया गया था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह अहेन केस जब दायर किया गया था उस समय क्या सार्वजनिक हित नहीं था और अगर था तो सार्वजनिक हित की परिभाषा क्या थी ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--आपस में लोगों के ताल्लुकात अच्छे हो जायं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--वह कौन लोग थे जिनके ताल्लुकात अच्छे करने की बात है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--फरीकैन के।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--वह फरीकैन कौन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--एक तरफ के लोग गौतम जी के थे और दूसरी तरफ के श्री मलखानसिंह के थे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जनहित में केस वापस लेने की जो आज्ञा दी उसको सेशन जज ने नहीं माना और सरकारी वकील की दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, अब संभवतः उसके खिलाफ रिवीजन हाईकोर्ट में दायर हो गया होगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायती पत्र मिला है कि यदि सरकार इस तरह के केस को वापस लेने का फैसला करेगी तो न्याय खतरे में पड़ जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं आयी ।

श्री दर्शनसिंह (जिला शाहजहांपुर)---यह किस धारा के अन्दर सेशन सुपुर्द हुआ था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह फाइल इस वक्त नहीं है, बता नहीं सकता ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---इस घटना से और मुकदमे से पहले क्या कारण थे और और फिर किन-किन कारणों से वापस लेने की बात कही गयी ?

श्री अध्यक्ष---वह कारण बता दिये गये ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह केस किस स्टेज पर वापस लिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सेशन में गया था वहीं से वापस होने की आज्ञा ली गयी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके पहले भी क्या कभी कोई सेशन केस वापस यू० पी० में लिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी तो कोई मिसाल याद नहीं है संभवतः ऐसे केसेज हैं ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दो पक्ष थे उनकी तरफ से क्या सरकार को लिख कर दिया गया था कि आपस में फैसला हो गया है और केस वापस हो जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लिखकर नहीं दिया था कोशिश जरूर थी ।

तारांकित प्रश्न

बड़हलगंज टाउन एरिया के विरुद्ध शिकायत

*१---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बड़हलगंज टाउन एरिया, गोरखपुर में कौन-कौन से सरकारी कर्मचारी (सरकार द्वारा नियुक्त अथवा स्थानीय निकाय को deputation पर भेजे गये) काम करते हैं और वे कितने वर्षों से वहां पर हैं ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---टाउन एरिया बड़हलगंज में कोई भी सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता ।

*२---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या उपर्युक्त टाउन एरिया के खिलाफ सरकार तथा ए० डी० एम० के पास कोई शिकायतें आईं ? यदि हां, तो वे क्या क्या हैं तथा उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां, वांछित सूचना संक्षिप्त रूप में संलग्न† विवरण-पत्र में दी गयी है ।

श्री गोवन्दसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि कुछ सरकारी कर्मचारी वहां डिप्यूट किये गये हैं ।

---

†विवरण पत्र छापा नहीं गया ।

श्री जयराम वर्मा---न वहां कोई सरकारी आदमी काम करता है और न यहां से भेजा गया है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में दिया है कि यह सत्य पाया गया है कि मीटिंग नियमानुसार नहीं होती और बख्शी सारे कागज अपने पास रखते हैं, तो क्या यह सही है कि बख्शी उन कागजों में तरमीमात अपनी आवश्यकतानुसार करते रहते हैं और इसकी रिपोर्ट भी की गयी लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री जयराम वर्मा---वह कागजात अपने घर रखते हैं इस वास्ते कि कोई चौकीदार नहीं है । उनकी सुरक्षा के लिये रखते हैं । इसके अलावा और कोई शिकायत नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि जो कागजात उनके घर पर रहते हैं उनमें बहुत-सी तरमीमात वह घर पर किया करते हैं और इसकी बहुत शिकायतें की गयी हैं लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ?

श्री जयराम वर्मा---जो शिकायतें हैं उनमें कोई ऐसी शिकायत तो नहीं है कि घर पर रद्दोबदल कर लिया हो ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---जो कर्मचारी भेजे गये हैं टाउन एरिया में डेपुटेशन पर, वह टाउन एरिया की मांग पर भेजे गये हैं या किन्हीं सरकारी अधिकारियों की मांग पर ?

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, मैंने कह दिया कि कोई यहां से कर्मचारी भेजा ही नहीं गया है ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि वहां के बख्शी और चेयरमैन के खिलाफ किसी ज्युडीशियल मैजिस्ट्रेट ने यह रिमार्क पास किया है कि उन लोगों ने टाउन एरिया के कागजात में फोर्जरी की है जिसकी सूचना मैंने स्वयं स्वशासन मंत्री को दी है ?

श्री जयराम वर्मा---इस तरह का एक रिमार्क एक अदालत में हुआ है कि वहां के नजूल रजिस्टर में विन्धेश्वर खटिक की जगह विन्धेश्वर दुबे बनाया गया है । लेकिन जब वसूली रजिस्टर में देखा गया तो उसमें दुबे ही मिला । यह मामला अब भी अदालत के विचाराधीन है, इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती । यह बहुत पुराना मामला सन् ३६ का है । न तो तब मौजूदा चेयरमैन ही थे और न मौजूदा बख्शी हो ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---क्या यह सही है कि जो सन् ३७ का रजिस्टर कहा जाता है वह सन् ३७ में नहीं बना बल्कि पता नहीं कब बना क्योंकि टाउन एरिया के पुराने कागजात का कोई पता नहीं है और न वह खोजने से मिलते हैं ?

श्री जयराम वर्मा---चूंकि यह मामला अदालत के विचाराधीन है इसलिये इसके बारे में कोई कार्यवाही अभी नहीं की जा सकती ।

मकनपुर मेले में जाली रसीदों से कर उगाही की शिकायत

*३---**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मेला मवेशियान स्थान मकनपुर (कानपुर) के माह फरवरी, १९५९ में लगने वाले मेले में जाली रसीदों से टैक्स वसूल करने की कुछ शिकायतें सरकार या जिलाधीश, कानपुर को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नोट---तारांकित प्रश्न ३ श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा ने पूछा ।

श्री जयराम वर्मा---जी हां। जिलाधीश कानपुर द्वारा सर्वश्री अब्दुल कादिर, कबीर अहमद तथा एहसानुद्दीन से यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि मकनपुर मेले में मुहर्रिर मवेशियों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जाली रसीदों का प्रयोग करते हुए पकड़े गये और मेला कमेटी ने उन्हें १७ फरवरी, १९५९ को छोड़ दिया। जांच करने पर शिकायतें निराधार पायी गयीं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उस कमेटी में कौन लोग हैं जिन्होंने इनको निर्दोष पाया और छोड़ दिया?

श्री जयराम वर्मा---यह मेला तो निजी मेला है लेकिन एक कमेटी उसका इन्तजाम करती है जिसके अध्यक्ष जिलाधीश हैं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---इस मेले में हजारों की तादाद में जानवरों की बिक्री होती है मगर बिक्री का पैसा गबन हो जाता है और उसका पता नहीं चलता, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच कराने की कोशिश माननीय मंत्री करेंगे?

श्री जयराम वर्मा---यह मेला विशेषकर जानवरों का मेला है। जो शिकायत की गयी उसकी जांच कराई गयी है। लेकिन अगर माननीय सदस्य को संतोष नहीं है और वे लिख कर दें कि ये शिकायतें सही हैं तब फिर से जांच करा ली जायगी।

फैजाबाद नगरपालिका पर वापसी चुंगी का बकाया

***४---श्री मदन मोहन** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद नगरपालिका के जिम्मे कितनी refundable चुंगी की रकम बाकी है और उसको वापस करने की क्या व्यवस्था है?

श्री जयराम वर्मा---६०,००० रुपये के लगभग। नियमानुसार ऐसे धन की देयता स्वीकार करने के पश्चात् जैसे ही वापसी की मांग हो, वापसी करनी चाहिए।

श्री प्रतापसिंह---वह जो रुपया वापस होना है यह कितने दिनों से बाकी है और अब तक वापस क्यों नहीं किया गया?

श्री जयराम वर्मा---यह धनाभाव के कारण अभी तक वापस नहीं किया गया और जैसे जैसे धन का इन्तजाम होता जाता है वैसे-वैसे वापस होता जाता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---जो रेफंडेबिल धनराशि थी वह क्यों वसूल की गयी कि उसको वापस करने की जरूरत पड़ गयी?

श्री जयराम वर्मा---यह तो चुंगी ली जाती है और बाद में वापस की जाती है, ऐसा कायदा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---यह जो रेफंडेबिल चुंगी हुआ करती है वह जिसे रिफंड किया जाना है क्या उसको भी कोई इत्तला दी जाती है कि वह ले ले?

श्री जयराम वर्मा---जिसको वापस लेना है वह खुद ही क्लेम करता है कि मैं जो सामान शहर में लाया था उसको बाहर ले गया हूं। मुझको चुंगी वापस होनी चाहिये।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---चूंकि धनाभाव के कारण चुंगी का रुपया वापस नहीं किया जा सका तो क्या सरकार उसकी पूर्ति के लिये कोई व्यवस्था कर रही है?

नोट---तारांकित प्रश्न ४ श्री प्रतापसिंह ने पूछा।

श्री जयराम वर्मा—यह नगरपालिका का कार्य है वह खुद कर रही है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—इस चुंगी की वापसी के लिये सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता देने का विचार हो रहा है?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—जिस चुंगी ने रेफंडेबिल रकम को खर्च कर लिया उससे कोई जवाब मांगा गया?

श्री जयराम वर्मा—जिलाधीश से उनको यह आदेश दे दिया गया है कि वह इन्तजाम करके जल्द से जल्द यह रुपया वापस करें।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—रेफंडेबिल रकम को क्यों खर्च किया गया?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह प्रश्न गलतफहमी पर आधारित है। रिफंडेबिल रकम कोई अलग नहीं रखी रहती है।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा—क्या नगरपालिका के अध्यक्ष की ओर से सरकार के पास कोई इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र आया है कि चूंकि धनराशि वापस करना है और रुपया है नहीं तो कुछ सहायता के रूप में सरकार धन प्रदान करे?

श्री जयराम वर्मा—जहां तक मेरा खयाल है चुंगी की वापसी के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है।

गोंडा जिले को समाज कल्याण विभाग से अनुदान

*५—**श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह** (जिला गोंडा)—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिला को समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी-कितनी धनराशि सन् १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में दी गयी और वह कहां-कहां खर्च की गई?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—समाज कल्याण विभाग द्वारा गोंडा जिले को सन् १९५४-५५ में २५० रु०, सन् १९५५-५६ में ६५४ रु०, सन् १९५६-५७ में २,३५८ रु० ३७ नये पैसे और सन् १९५७-५८ में ३,२५१ रु० ५६ नये पैसे की धनराशि दी गयी। उपर्युक्त धनराशि गोंडा शहर में नगर समाज कल्याण समिति के अन्तर्गत समाज कल्याण कार्यों के सम्पादन के लिये अनुदान देने में, मैकडोलन आरफनेज बलरामपुर, गोंडा की सामान्य व्यवस्था के लिये अनुदान देने में, बाल दिवस के आयोजन में, मृतकों के दाह संस्कार में तथा इन्तिया थोक में ग्रामीण युवक शिविर के आयोजन में व्यय की गई।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन से समाज कल्याण के कार्य हैं जिनके हेतु अनुदान दिये जाते हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—आम तौर पर तो यही हैं। वैसे कुछ होम्स भी होते हैं या और कोई संस्थाएं होती हैं जिनसे कि समाज कल्याण का कार्य सम्पादित होता है तो उनको भी दिया जाता है। बाकी जिन कार्यों के लिये अनुदान दिये जाते हैं उनका तो इसमें जिक्र है।

श्री प्रतापसिंह—जिलों को यह अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सिफारिश की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कोई प्रार्थना-पत्र आता है और किसी स्थान पर अगर नगर समाज कल्याण समिति का आयोजन हो और उसका निर्माण किया जाय तो नगर समाज कल्याण समिति के कार्यों के सम्पादन के लिये

अनुदान दिया जाता है। कहीं संस्थायें बनती हैं और उनके आवेदन-पत्र आते हैं तो उस जिले के जिलाधीश और जिले के समाज कल्याण अधिकारी के पास उनको भेज दिया जाता है और उसमें आमतौर पर जैसी संस्तुति आती है उसके आधार पर दे दिया जाता है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---१९५७-५८ में जो खर्चा दिया गया क्या वह पूरा खर्चा हो गया है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अभी इसकी पूरी रिपोर्ट तो आयी नहीं।

श्री मोती लाल अवस्थी---ग्रामीण युवक शिविर में जो व्यय किया गया यह किस स्थान पर व्यय किया गया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---गोंडा नगर में दिया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी---उत्तर में बतलाया गया है कि ग्रामीण युवक शिविर में व्यय किया गया तो ग्रामीण युवक शिविर क्या किसी नगर में हुआ था?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---नगर में हुआ था लेकिन आये उसमें देहाती थे।

विभिन्न दिनों की कार्यसूची में समान प्रश्न रखने का सुझाव

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि आज आप इस सूची में देखें केवल ६ ही प्रश्न हैं। इसका कारण यह है कि इस विभाग में प्रश्नों का तारतम्य कम ही रहा करता है। लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं, जैसे गृह और पुलिस जो हमारे माननीय कमलापति त्रिपाठी के अन्तर्गत हैं, उनके पास कई विभाग हैं और इस कारण प्रश्न भी अनेक होते हैं और उस दिन तिहाई प्रश्न ही हो पाते हैं और दो-तिहाई प्रश्न छूट जाते हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इन प्रश्नों का वितरण विभागीय रूप में न किया जाय बल्कि जिन विभागों के प्रश्न काफ़ी इकट्ठा रहते हैं, उनको भी इसमें बांट दिया जाय ताकि सब प्रश्न हो जाया करें।

श्री अध्यक्ष---अभी तक जो दो, एक रोज हुए इसमें तो सबके पूरे सवाल हो गये कोई किसी का बाकी नहीं रहा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आगे देखेंगे आप।

श्री अध्यक्ष---आगे अगर मैं देखूंगा तो आपने जो सुझाव दिया उसे कार्यान्वित करूंगा, क्योंकि स्वशासन मंत्री और समाज कल्याण मंत्री का इन्तजाम बहुत अच्छा है शायद इसलिये उनके विभागों के सम्बन्ध में कोई सवाल करता नहीं है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---इस बार तो कम हैं, नहीं तो पूछने वाले बहुत प्रश्न पूछ लेते हैं। (हँसी)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन*

राजस्व उपमंत्री (श्री महाबीरप्रसाद शुक्ल)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में किये गये संशोधनों की पांचवीं सूची एवं वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एस० टी०-३९२२/१०---१००९-५६, दिनांक ६ नवम्बर, १९५८, एवं संख्या एस० टी०-६२१/१०---९०२(१५)-५७, दिनांक ७ मई, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

* छापे नहीं गये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय, अगर मंत्री जी स्वीकार करें तो एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि बिक्री-कर अधिनियम में बहुत से संशोधन हैं और इस तरह की विज्ञप्तियां इतनी अधिक हैं कि एक स्थान पर उपलब्ध नहीं होतीं। अगर सरकार उनको एक स्थान पर एकत्रित करके छपा दे तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी हम भी छापते हैं लेकिन आमतौर से जो दूकानदार कानून की किताबें छापा करते हैं वे बराबर नई-नई बातें निकालते हैं और सब को एक जगह करके छापा करते हैं और उसमें किसी को कोई कठिनाई नहीं होती है।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---६ नवम्बर, १९५८ और ७ मई, १९५९ के अधीन यह अब क्यों लायी गई हैं, इतनी देर क्यों हुई?

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री जी इसकी जांच करके कल बता दें कि क्यों देर हुई। इस विषय में दो, एक दफा सदन में जिक्र आ चुका है और ध्यान भी इस ओर आकर्षित कर दिया गया था मंत्रीगणों का कि अगर कहीं देर हो जाय तो स्वयं ही जिस समय वे नियमों को उपस्थित करें तो देरी के कारण भी बता दिया करें तो ज्यादा अच्छा हो, या खेद प्रदर्शित कर दें। जब कभी अफ़सरान देर कर देते हैं तो उनको एक तरह से तम्बीह हो जाती है कि सदन के सामने देरी का जिक्र हो चुका है।

श्री सैयद अली जहीर—मैं कल देरी होने का कारण बता दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, हमको यह कहना है कि ७ मई, १९५९ के अधीन प्रख्यापित हैं, ७ मई को संशोधन प्रख्यापित नहीं है। ७ मई को अगर यह प्रख्यापित हुआ तो विलम्ब माना जाय। मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें कि ७ मई, १९५९ को प्रख्यापित है या ७ मई, १९५९ के अधीन प्रख्यापित है?

श्री अध्यक्ष---अनुवाद में गलती हो गई है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम अंग्रेजी का बिल्कुल अनुवाद ही करते हैं और तभी यह गलती होती है।

श्री राजनारायण---कल भी बैल और कोल्हू वाले मसले पर भ्रम हुआ था। तो मंत्री जी इसको दुरुस्त कर दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया कि बाजार से मोल लेकर के हम देख लिया करें। लेकिन यहां का पुस्तकालय किस काम के लिये है। यहीं व्यवस्था कर दी जाय, बाजार में हमको न जाना पड़े और न खरीदना पड़े।

श्री अध्यक्ष---पुस्तकालय में मौजूद रहते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---लेकिन संकलित रूप में होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। सदस्यों को तो पहले वितरित हो जाते हैं, उनको भी स्वयं संकलित करना चाहिये।

सर्वश्री अमरनाथ तथा मदन पांडेय की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास ३, ४ विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न आये हैं जिनमें से एक तो श्री सारखंडेराय जी का है और उसी विषय पर आचार्य दीपंकर जी का है, दोनों एक

[श्री अध्यक्ष]

ही विषय के ऊपर हैं कि २० दिसम्बर को माननीय अमरनाथ मिश्र जी की पेशी की रखी गई थी परन्तु पुलिस ने उन्हें उपरोक्त तिथि पर कोर्ट में पेश नहीं किया और मोहलत ले ली। तो मैं बताना चाहता हूं कि फौजदारी के मामलों में कोई बेउनवानी कहीं बीच मुक़दमें में हो गई तो वह विषय विशेषाधिकार का नहीं बनता है और अदालत के सामने ही उसकी चाराजोई करनी चाहिये जिसमें वह फैसला दे। यहां पर गिरफ्तारी की सूचना देने के सम्बन्ध में हमको यह अधिकार है कि अरेस्ट के सम्बन्ध में हमें सूचना मिल जानी चाहिये, वह मिल गई। अब इसमें रिमांड नहीं हुआ या अन्य बेउनवानियां हुईं इनकी बेसिस पर किसी तरह से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठ सकता है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जिस तारीख को कोर्ट में पश करने के लिये रिमांड लिया गया था उस तारीख को यदि वह पेश किये गये होते तो सम्भवतः उन्हें छोड़ दिया जाता और वह यहां आकर अपना कार्य कर सकते थे।

श्री अध्यक्ष—यह तो बात ऐसी है कि आप मेरिट्स में जा रहे हैं। उसमें जाने का हमें अधिकार नहीं है। कोई ऐसी चीज हम सोच नहीं सकते हैं।

श्री झारखंडे राय—श्रीमन्, पुलिस ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—वह तो कोर्ट के सामने जब दूसरी तारीख आये तब शिकायत करें। यह विषय सदन में चर्चा का नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—यह प्रस्ताव रामनारायण जी त्रिपाठी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह भी फौजदारी के मामले में है।

शिक्षा मंत्री के भाषण में कथित गलतबयानी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—यह प्रस्ताव राजनारायण जी का है और अन्तिम समय में यानी करीब ११ बजने में ५ मिनट थे उस समय वह उसके साथ कुछ कागजात बतलाने वाले थे जिससे वे सिद्ध कर सकें कि विशेषाधिकार का प्रश्न है। उनका कहना यह है कि शिक्षा मंत्री जी ने कल जो बयान दिया वह सही नहीं था और कुछ कागजात वे दिखाना चाहते थे। मैं आज इसका फैसला नहीं देता हूं। वह मुझे जो कागजात दिखाना चाहते हैं उनको मैं अपने कमरे में देख लूं कि उनका क्या निश्चित आक्षेप है क्योंकि इसमें कई प्वाइंट्स हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, सदन में ही कार्यवाही हुई है।

श्री अध्यक्ष—जी हां, सदन में कार्यवाही हुई है लेकिन मैं उसको कम्पेअर करूंगा यह देखने के लिये कि क्या कोई बयान गलत है और मेरे पास क्या सबूत है। आपने सबूत नहीं दिया। आप सबूत देना चाहते थे इसलिये मैंने आपको मौका दिया है कि आप यह दिखा दें कि आपके पास स्पष्ट सबूत है या नहीं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, वहीं से वह लड़का पास हुआ है।

श्री अध्यक्ष—यह तो बहस की बात आप कह रहे हैं। आप फैक्ट्स बतलायें।

बरौल, जिला झांसी, में हरिजन किसानों की झोपड़ियों में आग लगाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ में, मैंने कल, श्री गोस्वामी जी द्वारा दिया हुआ विषय महत्व-पूर्ण समझा था और ध्यान आकृष्ट करने की बात मैंने सोची थी गृह मंत्री का या संबंधित मंत्री का। वह इस प्रकार है कि:—

"नियम ५२ के अनुसार मैं संबंधित मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि ग्राम बरौल, तहसील मोंठ, जिला झांसी में खेतों के पास पड़ी १३ हरिजन किसानों की झोपड़ियों (कच्चे मकानों) में ११ नवम्बर, १९५९ को डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, झांसी, ने स्वयं मौके पर पहुंचकर आज्ञा देकर अपने सामने आग लगवा दी जिससे हरिजन किसानों का गल्ला, कपड़ा, बर्तन, चारपाई आदि आग में जल गई।

डिवीजन के सर्वोच्च फारेस्ट अधिकारी द्वारा स्वयं किसानों की झोपड़ियों में आग लगवाने की उक्त घटना से झांसी जिले के हरिजनों और किसानों में घोर असंतोष और रोष फैल गया है। अतएव संबंधित मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस संबंध में वह अपना स्पष्टीकरण देने की कृपा करें और इस संबंध में जो कुछ भी कार्यवाही अभी तक की गई हो उसकी सूचना भी सदन को देने की कृपा करें।"

यह फारेस्ट के संबंध में है, मंत्री जी बतलायें।

*वित्त मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैंने पूरी इत्तला हासिल करने की, कोशिश की लेकिन दिक्कत यह है कि जाड़े का जमाना है और हमारे अफसरान जंगलात में दौरा कर रहे हैं, लिहाजा पूरी इत्तला हासिल करने में मुश्किल हुई लेकिन फिर भी जो इत्तला आई है उसको पेश किये देता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कल दे दें अगर सम्भव हो।

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, इसमें कुछ वक्त लगेगा। इस वक्त तक जो इत्तला मिली है वह यह है कि इस गांव बरौल में कुछ जंगल वाकय हैं। इस जंगल का नोटीफिकेशन हो चुका है, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की दफा ४ में और उसके मातहत सरकार का जंगल बन चुका है। लेकिन गांव वाले कुछ जमीन के ऊपर जबरदस्ती, बगैर इजाजत कब्जा किये हुए थे। उनसे कई दफा वह कब्जा हटाने को कहा गया लेकिन वह किसी तरह से वहां से छोड़ कर के और अपने कब्जे को छोड़ कर जाने के लिये तैयार नहीं थे। चुनांचे वह अरेस्ट किये गये और उनसे कहा गया कि जमीन खाली करो, यह तुम्हारी जमीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यानी मकान हैं वहां पर ?

श्री सैयद अली जहीर—छोटे छोटे हट्स बना लिये थे और वहां एनक्रोचमेंट कर लिया था। लेकिन उसके बाद भी एनक्रोचमेंट दूर नहीं किया बल्कि और ज्यादा हट्स बनाने लगे। तो उनसे फिर कहा गया कि इसको तुम हटा दो। वह फिर नहीं माने। आखिर में नतीजा यह हुआ कि जो पुराने हट्स थे वह नहीं, जो नये हट्स थे, जो बगैर अफसरों के अहकाम के बना रहे थे, उनके लिए जरूर हुक्म दिया कि इनको जला दो और उनमें आग लगवा दी गयी और जल गये। वह फूस के छोटे छोटे हट्स थे। लेकिन समान किसी किस्म का नहीं था, न समान का सवाल था। जब लोग जबरदस्ती कानूनशिकनी करते हैं और सरकार की जमीन पर कब्जा करते हैं तो इन लोगों के पास कोई चारा नहीं रहा सिवा इसके कि कोई इस किस्म की कार्यवाही करें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

जिससे सरकार की जमीन सुरक्षित रहे और नाजायज कब्जा न होने पाये। यह वाक्या है जो इस वक्त मेरी इत्तला में आया है। इससे ज्यादा अगर तफसील की जरूरत होगी तो बाद को दे सकूंगा।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि डी० एफ० ओ० महोदय को यह अधिकार कानूनी प्राप्त है कि उन झोपड़ियों में वह आग लगवा दें ?

श्री सैयद अली जहीर---यह अधिकार तो उनको जरूर था कि अगर सरकार की जमीन पर जबरदस्ती और बावजूद मना करने के कुछ लोग कब्जा कर लें तो वहां से जिस तरह से हो उनको हटा दें।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---मैंने प्रश्न किया था कि आग लगवाने का अधिकार उनको प्राप्त था ?

श्री सैयद अली जहीर---उनसे हटाने को कहा गया। जब उन्होंने नहीं हटाया तो उन्होंने आग लगवा दी।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह पहले गांव समाज की जमीन थी। तब से वह लोग काबिज थे। बाद में सरकार ने ले लिया। तो आग लगाने की आज्ञा क्यों दी गयी ?

श्री सैयद अली जहीर---यह बहस की बात है। अगर सरकार की जमीन थी ही नहीं तो जाहिर है कि जो किया वह गलत है। लेकिन मैंने इस बेसिस पर कहा कि वह सरकार का जंगल है और उसका एलान हो चुका था और बावजूद इसके कि वह अरेस्ट किये गये और उनसे कहा भी गया वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह आग लगाने का हुक्म किस धारा के अनुसार दिया गया और सरकार आग जनी का काम कब से करने लगी है ?

श्री सैयद अली जहीर---आग लगाने का काम बिलकुल नहीं होता है। लेकिन जंगलों में न वहां मजदूर मिलते हैं, जिनके जरिये से कुछ किया जाय, ऐसी सूरत में मेरा खयाल है कि उन्होंने मजबूर हो कर यह काम किया और उसकी सूरत हाल जैसी मैंने बतायी उसकी इस वक्त तफसील नहीं है लेकिन यह वाकयात मैंने बयान कर दिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जैसा उन्होंने उत्तर में कहा कि आदमी नहीं मिलते हैं झोपड़ी हटाने के लिए, तो यह किस कानून में है कि अगर आदमी न मिलें तो झोपड़ी में आग लगा दी जाय ?

श्री अध्यक्ष---कानूनी प्रश्न बहुत पूछे जा चुके। वैसे कानूनी प्रश्न पूछा नहीं जाता है। कानून आपको समझना चाहिए।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जब माननीय मंत्री कहते हैं कि उन्होंने आग लगवाने का आदेश दिया तब यह प्रश्न पैदा होता है कि किसी विधि और किसी कानून में क्या किसी सरकारी कर्मचारी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है ?

श्री सैयद अली जहीर---इस मामले के मुताल्लिक तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जंगल में कई मौके ऐसे आते हैं कि जब यह अधिकार होता है कि वहां के कर्मचारी आग लगायें और जला दें घास वगैरह को। इस तरह से वह जलाया करते हैं और यह उनका काम है।

श्री अध्यक्ष---इस उत्तर का, मैं समझता हूं, स्पष्टीकरण होना चाहिये कि कई मौके ऐसे होते हैं कि जब जंगल बढ़ जायं तो आग लगा दी जाती है। इस तरह से तो लोग मुगालते में नहीं आयेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उनको दंड के रूप में, किसी ने चूंकि अपनी झोपड़ी को हटाया नहीं, जलाने के लिये वहां के अफसरों को क्या कोई कानूनी अधिकार है ?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, वह सवाल तो यह है कि जो नये झोपड़े बना रहे थे वह उनके मना करने पर भी नहीं हटा रहे थे और बराबर बना रहे थे । उनको हटाने के लिये क्या तरीका अख्तियार हो यह उनकी डिस्क्रीशन पर होता है। वह फूस से झोपड़ी बना र थे जो ज्यादा मालियत की नहीं थी। उनको उन्होंने जला दिया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मालियत कम थी इसलिये उन्होंने जला दिया होगा तो मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि झोपड़ी बनकर तैयार हो गई, चाहे उनकी मालियत कम हो या ज्यादा हो लेकिन जो आग लगाई गई वह क्यों लगाई गई ?

श्री अध्यक्ष---यह बताया जा चुका है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त आग लगाने की घटना के सम्बन्ध में २४ नवम्बर को मैंने माननीय मन्त्री जी को एक पत्र लिख कर भेजा जिसमें उन्हें यह लिखा कि डी० एफ० ओ० ने इस बात को स्वीकार किया है। तो उस पत्र के आने के बाद आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे इस वक्त पत्र का खयाल नहीं है लेकिन बहरहाल जो नोटिस था वह मुझे परसों मिला था। परसों से आज तक जो इत्तला मुझे हासिल हो सकी वह मैंने बयान कर दी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या यह सही है कि इंडियन पेनल कोड की धारा ४३६ के मुताबिक आग कहीं लगाना जुर्म है ?

श्री अध्यक्ष---यह आप कानून में देख सकते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जिनके घर में आग लग गई है उनको मुआवजा देने पर सरकार विचार करेगी और जिन अधिकारियों ने यह आग लगाई है उनको दंड देने की व्यववस्था की जायगी ?

श्री अध्यक्ष---आप आश्वासन भी मांगते हैं और दंड भी दिलाना चाहते हैं यह दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने यह झोपड़ी जला दी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी और जिनकी झोंपड़ी जल गई है उनको मुआवजा दिया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर---इसमें मुआवजे का कोई सवाल नहीं होता, वह तो गलत तरीके से वहां पर काबिज थे और कब्जा रख रहे थे। उसमें डिफेन्स आफ प्रापर्टी का सवाल आता है जिसमें यह राइट हर कानून में तसलीम किया गया है। अगर डिफेन्स आफ प्रापर्टी के सिलसिले में इस किस्म की कार्यवाही की गई है तो उसमें मुआवजे का कोई सवाल नहीं होता है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि ऐसे केसेज में इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की दफा २६ के अनुसार कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाता है, यदि हां, तो उस २६ दफा के अनुसार उनके ऊपर कोई मुकदमा दायर किया गया आग लगाने के पहले ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी बाबत तो इत्तला मेरे पास नहीं है लेकिन वे लोग पकड़े गये थे और गालिबन किसी कानून के मातहत गिरफ्तार किये गये होंगे। फिर उनको छोड़ दिया गया इसी वजह से कि जो वहां पर उनका नाजायज कब्जा है उसको वह हटा लें।

श्री अध्यक्ष---मैं यह समझता हूं कि इस प्रश्न को इसी जगह पर स्थगित कर दिया जाय और २८ तारीख तक, जो प्रश्न यहां पर पूछे गये हैं उनकी लाइट में जितनी जानकारी हासिल हो सकती है माननीय मन्त्री जी उतनी जानकारी हासिल कर लें और उसकी जानकारी २८ तक दे दें तो ज्यादा अच्छा हो। आपको पूरी जानकारी न होने से ये लोग यह खयाल करेंगे कि ज्यादती या जबरदस्ती हुई है। ये सब चीजें अब आपको इन सवालों के सिलसिले में मालूम हो गई हैं। उस सिलसिले के हिसाब से जानकारी मालूम करके इत्तला आप दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इसी तरह का एक मामला मिर्जापुर का पड़ा है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर ऐसा करें कि जो आपको खास शंकायें हों उन्हें आप मेरे पास लिख कर भेज दें और मैं उनको मंत्री जी के पास भेज दूंगा।

श्री राजनारायण---जी, यह ठीक है।

खटीमा थाने के सब-इंस्पेक्टर द्वारा सरदार प्रीतमसिंह की हत्या के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---जिस दारोगा ने सरदार प्रीतमसिंह जी की दाढ़ी जला दी थी उसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने आज कुछ और जानकारी देने को कहा था।

श्री अध्यक्ष---जी हां। वह जानकारी हासिल कर रहे हैं और प्राप्त होने पर बतलायेंगे। गृह मंत्री जी ने आज एक बात बतलाने को जरूर कहा था कि वह दरोगा जिसने दाढ़ी जला दी थी वह बेल पर छोड़ा गया या नहीं। लेकिन मंत्री जी तो यहां हैं नहीं.....

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, अभी इसकी बाबत इत्तला नहीं आयी है, लेकिन एक स्पेशल मेसेन्जर से इत्तला आ रही है और उम्मीद है कि इसकी बाबत कल जानकारी दे सकूंगा।

श्री उग्रसेन की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्री उग्रसेन जी के बारे में क्या इत्तला है?

श्री अध्यक्ष---जो तार आया था उसके अलावा और कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राजनारायण---उस तार में लिखा है कि "ही वाज अरेस्टेड ऐंड रिलीज्ड" (He was arrested and released)।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस विषय में भी अगर माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई जानकारी हो तो मुझे भिजवा दें, मैं वह सदन को दे दूंगा।

विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री से जानकारी की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---दूसरा विषय माननीय मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न का था। उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय मंत्री महोदय ने क्या कहा है उसकी जानकारी करके यहां बतलायेंगे। तो यदि वह कुछ बतला सकें तो अच्छा है ताकि उस पर यहां प्रश्न किये जा सकें।

श्री अध्यक्ष---(मुख्य मंत्री से) क्या आपने कोई जानकारी हासिल कर ली ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मुझे अफसोस इस बात का है कि माननीय राजनारायण जी ने मेरी बात सुनने का कष्ट नहीं किया। मैंने कहा था कि जानकारी हासिल करने के बाद जिस वक्त केन पर यहां बहस होगी उस समय मैं अपना वह बयान यहां रखूंगा।

श्री राजनारायण---अगर आप वह बयान अभी दे दें तो उससे हम लोगों की जानकारी और विस्तृत हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष---यह तो दूसरी बात है ।

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९

श्री अध्यक्ष---अब नेता सदन पहले अनुमति मांग कर गन्ना उपकर संशोधन विधेयक उपस्थित करेंगे ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मैं माननीय सदन से इस बात की अनुज्ञा चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुर:स्थापित करने के लिये आज सदन की बैठक में यह काम सम्मिलित कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुर:स्थापित करने के लिये सदन अनुज्ञा दे ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है आप इसका विरोध कर लीजिये ।

प्रश्न यह है कि गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुर: स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

चीन-भारत सीमा सम्बन्धी विवादार्थ निर्धारित समय के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---यह कार्यवाही शुरू होने से पहले मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चीन-भारत सीमा विवाद पर बहस के लिये दो दिन की मांग की गयी थी वह मानी गयी अथवा नहीं और यदि मानी गयी, तो कार्यक्रम में किस दिन के लिये रखी गयी ?

श्री अध्यक्ष---यह विधेयक पुर:स्थापित हो जाने के बाद वह सूचना आपको दे देंगे ।

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५१---२५५ पर)

चीन-भारत सीमा सम्बन्धी विवादार्थ निर्धारित समय के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री अध्यक्ष---अभी पालीवाल जी ने जो प्रश्न पूछा था उसके विषय में भी आप कृपया बता दें ।

समाज-कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---मैं, श्रीमन्, कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, आपने कुछ समय कानपुर की घटना के संबंध में रखा था। उस संबंध में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता था। उस पर भी श्रीमन्, विचार कर लें। मैं केवल दो चीजें श्रीमन् के सामने रखूंगा। एक तो यह कि घटनाओं के संबंध में एक इन्क्वायरी बिठा दी गयी है जो कि जुडिशियल इन्क्वायरी है और फिर अगर आप इस चीज को भी न देखें तो यह बहुत बड़ी बात है कि जो भी कुछ सदन में कहा जायेगा उसकी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होगी और उसका असर.....।

श्री अध्यक्ष---इस विषय में जो कुछ आपको समझाना हो, वह आप मुझे मेरे कमरे में समझा दें क्योंकि वह विषय इस समय सदन के सामने नहीं है। आज तो विषय श्री गोविन्दसिंह जी के प्रस्ताव का है जो कि चीनियों द्वारा आक्रमण की घटनाओं से संबंधित है। इस संबंध में, विवाद के लिये, समय के बारे में अब माननीय मुख्य मंत्री जो कृपया बतला दें।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---अध्यक्ष महोदय, मुझ से कई माननीय सदस्यों से बातें हुई हैं। उनकी इच्छा यह है कि हमारे सरहदी मामलों पर विचार के लिये अधिक समय दिया जाय। मैं स्वयं भी उनकी उस भावना को समझता हूं और उसकी कद्र करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि समय कुछ अधिक मिल सके तो अच्छा हो। अब एक बात तो यह है, जिस पर अभी आपका ध्यान आकृष्ट किया गया, कानपुर के मामले में, जिस पर आप जैसा निर्णय करना चाहें करें। अगर आप इस विषय में इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि कानपुर के विषय में बहस होना उचित नहीं है, तो एक समय तो यह निकल आयेगा क्योंकि जहां तक मालूम हुआ है आपने उसके लिये भी कुछ समय रखा है। यूनिवर्सिटियों के मामले में विचार हो ही चुका है। तो, जैसा मैंने कहा, अगर कानपुर के मामले में बहस नहीं होती है तो हमारे सामने दो ही सवाल रह जायेंगे---एक तो गन्ने का और दूसरा चीन वाला।

इसके अलावा हमारे कुछ बिल्स हैं जिनका पास होना भी बहुत आवश्यक है। इसलिये मैं माननीय सदन से यह निवेदन करूंगा कि वह इन बिलों को पास कराने में हमारी सहायता करे और जितनी जल्दी हम इनको पास कर लेंगे उतना ही समय हमारे पास बच जायगा। इस तरह से उस सवाल पर जिसमें अधिक लोगों की दिलचस्पी है, अधिक समय दिया जा सकेगा। अगर हम इन बिल्स को आज ही, अथवा थोड़ा सा समय कल का लेकर, पास कर देते हैं तो कल का भी समय हमको मिल जायेगा और फिर २८ तारीख को भी इस पर बहस हो सकेगी। अब गन्ने का सवाल रहा। उसके बारे में आज नहीं तो कल ५ बजे के बाद बहस हो सकती है। अब जैसा आप उचित समझें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---हमारा निवेदन यह है कि हम चाहते हैं कि हम माननीय मुख्य मंत्री जी की सहायता करें मगर हमारा सन्देह यह है कि वह हमारी सहायता सही में चाहते हैं या नहीं क्योंकि उनको जहां तक हमारी जानकारी है हम लोगों ने पहले भी बता दिया था और अब भी बता देना चाहते हैं कि शनिवार को पूरा दिन बैठने के लिये हम तैयार हैं। तो एक दिन हम सहायता कर रहे हैं कि एक दिन पूरा मिल जाय चीनी आक्रमण पर विवाद के लिये। इसके बाद मुख्य मंत्री जी फिर सोचें कि और समय कैसे निकल सकता है। उनको हम पर यह प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये कि पहले हमारे सब विधेयक पास कर दो तभी हम विचार करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष––लेकिन जब बातचीत होती है तो फिर यह भी क्यों होता है कि एक तरफ से तो आबस्ट्रक्शन जारी रहे और दूसरी तरफ से बातचीत हो, यह कैसे उचित हो सकता है ? तो वह आपसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आप इन विधेयकों को शीघ्र ही पारित करने का प्रयत्न करें।

श्री राजनारायण––यह ठीक है, श्रीमन्, सरकार की ओर से जो विधेयक आये हैं हमारी ओर से उन पर समुचित सम्यक विचार करने का प्रयत्न शीघ्रातिशीघ्र हो रहा है। हम उसके लिये प्रयत्न भी करेंगे, मगर हमारा यह निवेदन है कि हमने एक दिन दे दिया कि वह दिन वह ले लें। उस दिन चीन पर बहस हो जाय और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम उनके सब विधेयक पास कर देंगे । अगर हम अड़ंगेबाजी लगावें तो फिर वे कहें ।

श्री अध्यक्ष––वह तो मैं इसी दृष्टि से देखता जाऊंगा कि कहीं अड़ंगा तो नहीं लगाया जा रहा है ।

श्री राजनारायण––जी हां, आप देखते जाइये और अगर हम अड़ंगा लगायें तो आप हमें रोक दें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल––माननीय मुख्य मंत्री जी और राजनारायण जी, दोनों की बातें सुनकर मैं हमेशा की तरह एक बीच का रास्ता बताना चाहता हूं और वह यह है कि सब बिलों को कल शाम तक ही खत्म किया जा सकता है और यह गन्ने का मामला उसके बाद लिया जा सकता है । कल ऐसा करने के बाद २६ को रुकना सब सदस्यों के लिये सुविधाजनक न हो तो २८ और २९ दो दिन रख दिये जायं । जैसा मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि हम लोग उनकी सहायता करें तो वह हमारी भी सहायता करेंगे और २८ के अलावा २९ भी रख दें ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)––मुख्य मंत्री जी की बात से मुझे एक बात का संदेह हुआ है, और वह संदेह जो कल परसों से खबरें उड़ रही हैं उससे पुष्ट होता है । पहले हम लोगों को जो एजेंडा दिया गया था वह था कि ७ तारीख तक असेम्बली चलेगी । अब ऐसी खबरें मिल रही हैं कि यह अब कल या परसों तक बन्द होने वाली है । अभी जो इशारा किया गया है उससे भी वह संदेह पुष्ट है कि २८ को बन्द हो जायगी और वह भी महरबानी से वरना कल ही बन्द होनेवाली थी । अब पालीवाल जी ने जो रास्ता निकाला है, पहले मेरी बात का स्पष्टीकरण हो जाय, तभी हम उस पर अपनी राय दे सकते हैं कि आगे का प्रोग्राम क्या रहे और क्या न रहे ।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)––श्रीमन्, जो मुख्य मंत्री जी ने अभी सुझाव रखा वह पूर्णतया विचारणीय है । उन्होंने कोई निश्चित रूप से इस प्रकार नहीं कहा कि कल ही पास कर दिया जाय । उन्होंने केवल हमारी सहायता मांगी तो अगर सरकार भी इस कार्यक्रम को निश्चित करने में थोड़ी सी हमारी सहायता करे और जैसा वह स्वयं निश्चित करेंगे तो हम भी उनकी सहायता करने में तत्पर हैं । मैं पालीवाल जी की राय से पूर्णतया सहमत हूं कि २८ और २९ को सरहद के विषय में विवाद होना चाहिये । जहां तक कानपुर का मसला है जब तक आपका इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होता है, अभी आपसे बातचीत होना बाकी है कि कोई रास्ता निकालेंगे तो उस समय को भी इस्तेमाल किया जा सकता है । हां, यह निश्चित हो जाना चाहिये कि गन्ने का विवाद कब होगा क्योंकि सरहद का मसला अगर आज ही शुरू हो तो फिर कल क्या होगा, यह भी प्रश्न उठ सकता है । तो मेरे ख्याल में यह जरूरी है कि गन्ने के दाम पर विवाद हो जाय । आज शाम को और फिर कल शाम को सरहद वाला मसला शुरू हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजनारायण--मैं एक और निवेदन कर दूं सरकार से भी और पालीवाल जी से भी कि यह जो आपस में बातचीत का सिलसिला चल रहा है उस सिलसिले में जहां तक हमारा प्रश्न था, कि हम लोगों ने एक दिन निकाल दिया। यह बात आपस में थी कि विधेयकों को पास करने में अनावश्यक विलम्ब न हों। लेकिन अब सवाल यह आ रहा है जैसा कि पालीवाल जी ने कहा कि २८ और २९ को बहस हो चीन के बारे में और मैं समझता हूं कि पालीवाल जी को यह जानकारी होगी कि हमारी आल इंडिया कान्फ्रेन्स २८-२९ तारीख को हो रही है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि आजकल कम्युनिस्ट पार्टी की किस प्रकार की गतिविधि है और यह जो चीन का मसला है उस पर हमारा अपना एक खास दृष्टिकोण है.....

श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)--शनिवार को बैठने के लिये आप हमेशा से विरोधी रहे हैं।

श्री राजनारायण--इसीलिये हमने आप से इस सम्बन्ध में मौखिक रूप से भी निवेदन किया और प्रश्न के रूप में भी। लेकिन अगर पालीवाल जी या हमारे मित्र गौरीशंकर राय जी या नारायणदत्त जी को यह उत्कट अभिलाषा हो कि चीन के इस विवाद में हम हिस्सा न ले पायें तो वह जो दिन भी चाहें रख दें। जो दुर्गति हो रही है वह तो सामने रहेगी ही, चाहे विवाद हो या न हो।

श्रीमन्, गौरीशंकर राय जी ने यह आक्षेप किया कि शनिवार को बैठने के लिये हम सदा विरोधी रहे हैं, तो मैं निहायत अदब के साथ आपके द्वारा उनसे और सदन के सम्मानित सदस्यों से भी अपील करना चाहता हूं कि मैं शनिवार को बैठने का विरोधी रहा हूं और अब भी हूं, हमने केवल गौरीशंकर राय जी के नेता के आग्रह पर यह मान लिया था कि हम शनिवार को बैठने के लिये तैयार हैं। उनके लिये बिना बात को जाने हुये इस तरह का लांछन लगाना उचित नहीं है। अपना ढेढ़ा न निहारें, दूसरे की फुल्ली देखें।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने भाषण दिया उससे मुझे मालूम हुआ कि सरकारी पक्ष की ओर से असेम्बली के बैठने का कोई कारण ही नहीं मालूम होता। उनके दृष्टिकोण से असेम्बली नहीं बैठनी चाहिये थी। बैठने का कारण यह मालूम होता है कि कुछ अध्यादश निकल थ उनको समय के अन्दर असेम्बली में दिखाने के लिये वे मजबूर थे इसलिये बैठ गये। और चूंकि कांग्रेस एलेक्शन हो रहे हैं इसलिये वह जल्दबाजी में दिखलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जैसा ७ जनवरी तक का बैठने का प्रोग्राम था उसी के अनुसार आप बैठकर चलिये। लेकिन अब सरकार उठकर भागना चाहती है। उठकर भागना था तो बैठे ही क्यों थे और अब बैठे हो तो जल्दी क्या है? "आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करता है जीना तो है बरसों।"

श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, हम श्री राजनारायण जी की बातों की बड़ी कद्र करते हैं और उनकी बात से सदा सहमत रहे हैं और रहते अगर वह बात उचित हो लेकिन इस बार हम कमिटेड हैं आचार्य लक्ष्मीरमण जी से और हम अपनी वादाखिलाफी नहीं करना चाहते। २८-२९ तारीख को अगर चीन के सम्बन्ध में बहस हो जाय तो यह उचित होगा।

श्री अध्यक्ष--मैं सभी के सुभीते का रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। जैसा कि एजेण्डा में लिखा है, आज चीन के सम्बन्ध में चर्चा शुरू होगी। तारीख २८ को राजनारायण जी चले जायेंगे और उनका जाना जरूरी मालूम होता है क्योंकि उनकी पार्टी की मीटिंग है और यह भी गैरवाजिब नहीं है अगर कोई पार्टी चुनाव के सम्बन्ध में चाहे कि असेम्बली का कार्य जल्द खत्म हो जाय। इस तरह की बातें हर पार्टी के साथ होती रहती हैं इसलिये इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। इसलिये अगर राजनारायण जी की इच्छा है कि वह चीन के सम्बन्ध में जो बहस

हो उसमें हिस्सा ले सकें, मैं समझता हूं, वाजिब है और उनका प्रस्ताव भी उसके सम्बन्ध में था। इस बहस को मैं आज शुरू कर दूंगा, ५ बजे के बाद। यह आज भी लिया जायगा और कल भी लिया जायगा। २८ तारीख को भी यह लिया जायगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो २९ को भी लिया जायगा। आज और कल इसके बार में ५ घंटे का समय मिल जायगा जिसमें काफी लोग बोल सकेंगे। गन्ने के बारे में यह हो सकती है कि २८ की शाम को उसक बारे में चर्चा कर लें, एक-दो घंटे शाम को बैठकर। तो कोई न कोई रास्ता निकल सकता है लेकिन वह तभी निकल सकता है जब कि सब में सहयोग की भावना हो। जो-जो काम सामने हैं उसमें जितना समय लगना चाहिये उतना ही लगे, अड़ाने की भावना किसी के दिल में बिल्कुल न रहे, तो मैं समझता हूं कि इससे भी अधिक थोड़ा सा समय दिलवाने का मैं आश्वासन दे सकता हूं, बहस के बाद। आज वह कार्य शुरू हो जायगा जिसमें राजनारायण जी बोल सकेंगे, कल भी बोल सकेंगे। २८ को जाना चाहते हैं तो २६ को भी बहस हो जाय। लेकिन आज मैं उसे लूंगा, यह स्पष्ट है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—अगर तिब्बत के सवाल पर आज, कल और २८ को समय हो सके, तो २९ को भी विचार हो और अगर कानपुर का प्रश्न आपने छोड़ भी दिया तो गन्ने के प्रश्न पर क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—मैं सब एडजस्ट कर दूंगा। आप क्यों फिक्र करते हैं ? सबके लिये समय निकल आवेगा। उनको अड़चन है कि वह २८ व २९ को बाहर रहेंगे, तो उनके बोलन का अवसर मैंने निकाल दिया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—कानपुर का कब लिया जायगा ? कल के लिये है।

श्री अध्यक्ष—कोई तारीख उसके लिये निश्चित नहीं है। इसलिये मैं आज या कल बुलाकर आपसे बातचीत करूंगा, लक्ष्मीरमण आचार्य जी से भी कर लूंगा। सदन म नहीं करूंगा।

स्थायी समितियों का निर्वाचन न होने पर आपत्ति

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमारे नियम २०१ में सदन की समितियों की नियुक्ति का प्रश्न है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पर्व या समय-समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो, विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित की जायंगी या अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित होंगी। हमारा कहना है कि ३ साल से, जब से यह नव-निर्वाचित असेम्बली बैठी है, तभी से कमेटियों का निर्माण.....

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न गलत है। सदन का यह प्रस्ताव हो चुका है कि समितियां ३१ मार्च, सन् १९६० तक जारी रहेंगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह तो सितम्बर तक के लिये हुआ था।

श्री अध्यक्ष—ऐसा नहीं है।

विज्ञप्तियों को विलम्ब से मेज पर रखने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—अब माननीय शुक्ल जी सूचना देंगे कि क्यों इस सम्बन्ध में देर हुई।

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—२१ दिसम्बर को मोतीलालजी अवस्थी ने आपत्ति की थी कि यह विलम्ब से रखे गये, उसके बारे में तथ्य मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---]

जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली की जो विज्ञप्ति २१ दिसम्बर को रखी गई थी, सबसे पहले इस संबंध में नोटिफिकेशन प्रेस से छपकर सरकार के पास १ अप्रैल, १९५९ को विभाग में आया परन्तु २ ही अप्रैल को सदन उठ गया था और उसके देखने से यह मालूम हुआ कि उसकी हिन्दी प्रति में कुछ अशुद्धियां थीं जिनकी तरफ विभाग ने २१ अप्रैल को ध्यान आकर्षित किया और १८ मई को वह ठीक कर के फिर छपने के लिये भेज दी गई। २० जून को वह छपकर पुनः विभाग के पास आई और उन पर रेवेन्यू विभाग (डी) में नियम ८६ (डी) और ८७ के संबंध में विचार होता रहा। जब उनका अन्तिम रूप निश्चित हो गया तो १० दिसम्बर, १९५९ को पुनः वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट (ए) में आया। फिर वह १६ फरवरी का जो नोटिफिकेशन था उसकी १८ मई के संशोधन के साथ छपी प्रतियां १४ सितम्बर, १९५९ को प्राप्त हुईं। उस समय वह सदन के सामने रखने के लिये भेजी गईं लेकिन सदन ११ सितम्बर को ही उठ चुका था। इसलिये वह २१ दिसम्बर, १९५९ को यहां रखी गईं। इस सम्बन्ध में विभाग को निर्देश कर दिया गया है कि भविष्य में इस प्रकार का विलम्ब न हो।

उसी दिन के, २१ दिसम्बर, के ७ वें कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी यह आपत्ति की गई थी कि यह नियम भी विलम्ब से रखा गया। उनके सम्बन्ध में भी तथ्य ये हैं।

शरीर रचना परीक्षण संबंधी अधिनियम की धारा ११ के अधीन जो नियम बनाये गये वे ३ अप्रैल, १९५९ को नोटिफाई किये गये। २ अप्रैल को सदन उठ गया जिस कारण उस सत्र में ये उपस्थित नहीं किये जा सके। फिर यह संशोधित विज्ञप्ति १४ अगस्त, १९५९ को प्रकाशित हुई और यह नोटिफिकेशन जो १४ अगस्त का था, अब यह २१ दिसम्बर को सदन के सामने प्रस्तुत किया गया। यह सदन २७ जुलाई को फिर मिला परन्तु यह रूल जब नोटिफाई किया गया था, उसके बाद पुलिस विभाग ने यह कहा कि इसमें, पैरा ४ में, रेफरेंस ३३३ पैरा के संबंध में जो है वह ठीक नहीं है बल्कि वह पैरा १३५-ए के सम्बन्ध में होना चाहिये। इसलिये इसे संशोधित करना आवश्यक हो गया, जिसके कारण यह उचित नहीं समझा गया कि अशुद्ध प्रति सदन के सामने रखी जाय। उस संशोधन के बाद अब यह २१ दिसम्बर को शुद्ध प्रति सदन के सामने रखी गई।

उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ के अननुमोदनार्थ संकल्प (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---श्री गेंदा सिंह के ५ मिनट बाकी हैं। वह बोलें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी भी मेरी बात सुनने के लिये शायद २, ४ मिनट के लिये यहां हैं। विस्तार में न जाकर मैं केवल उन बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनका जवाब सफाई के तौर पर सरकार को यहां देना चाहिये। मैं अध्यादेश का विरोध करता हूं, जिसे सरकार को वापस लेना चाहिये। क्यों मैं ऐसा समझता हूं, इस संबंध में ३, ४ सवाल करना चाहता हूं। उन सवालों का जवाब देना जरूरी है और तभी इस अध्यादेश को न्यायसंगत कहा जा सकता है और उसके लिये सदन से स्वीकृति मांगी जा सकती है।

अपने प्रदेश का और बिहार का संयुक्त शुगरकेन बोर्ड है जिसका यह काम है कि यह देखे कि मिलों को कैसे गन्ना सुविधापूर्वक मिल सकता है। उस बोर्ड की मीटिंग में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, उनकी सदारत में मीटिंग हुई, अबकी साल श्री बाबू की सदारत में और पिछले साल डाक्टर साहब की सदारत में हुई। उस साल मिल-मालिकों ने मांग की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† २२ दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही से।

कि गुड़ तथा राब पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये । दूसरे लोगों ने उसका विरोध किया और मुख्य मंत्री जी ने वहां स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । पिछले वर्ष लखनऊ में और अबकी वर्ष पटना में मीटिंग हुई । पटना में भी कहा कि पिछली मर्तबा हो गया था लेकिन अब ऐसी बात नहीं होगी । क्यों उस आश्वासन को तोड़ा गया ? अगर उसकी प्रोसीडिंग्स में कहीं यह बात लिखी गई हो कि खांडसारी या ग्राम उद्योग पर कोई लाइसेंस की या टैक्स की बात होगी तो बहुगुणा जी हमें दिखा दें, वह इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में रखी हुई होंगी ।

दूसरी बात सुन्दरम साहब के बारे में बहुगुणा जी ने कही । सुन्दरम साहब एक अर्थशास्त्री हैं । उन्होंने सारे भारत के लिये यह सजेस्ट किया था कि लाइसेंस शुगर केन के क्रशिंग पर लगाना चाहिये लेकिन उन्होंने उस टैक्सेशन का जिक्र कहीं नहीं किया था जो कि इसमें लगाया गया है। जब ऐसी हालत आन्ध्र और मद्रास में भी है तो हमें यह मालूम होना चाहिये कि वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया। बहुगुणा जी सिर हिला रहे हैं कि आन्ध्र और मद्रास में ऐसी हालत नहीं है। मैं आपको टाइम्स आफ इंडिया के परसों के पत्र में डेकन शुगर एन्ड आबकारी कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन श्री श्रीनिवासन के भाषण का एक अंश पढ़ देना चाहता हूं । वह इस प्रकार है --

"Jaggery and Khandsari maunfacturers invaded factory areas and bought cane which would otherwise have gone to factories, at prices the factories could not afford to pay....."

बड़ी साफ बात है । यह किसी सरकार का कहना नहीं है, यह मिल के मालिक का कहना है । कंपनी के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने यह कहा है कि गन्ने के दाम खांडसारी और गुड़ वाले वह दे देते हैं जो मिल वाले नहीं दे पाते हैं । इसका यह मतलब है कि यह हालत आन्ध्र और मद्रास में भी है लेकिन वहां की सरकारों ने इस प्रकार की कोई कार्यवाही या हरकत नहीं की जो यू० पी० की सरकार कर रही है या ऐसा हिन्दुस्तान के किस कोने में किया गया है, इसको मंत्री जी बता दें या दुनियां में कहां ऐसा किया गया है जहां बड़ी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिये स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर हमला किया गया हो । अगर ऐसा कोई उदाहरण वे बतायें तो सदन को इस पर फैसला लेने में कुछ आसानी होगी ।

एक बात और कह दूं कि यह बड़े मिल मालिकों के इशारे पर हुआ है और इसलिये किया गया कि गन्ने के दामों को बढ़ाने के लिये आन्दोलन होने जा रहा था । उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को अधिक गन्ने के दाम दिलाना उचित नहीं समझती थी क्योंकि उसकी पालिसी तो हमेशा से एन्टी किसान रही है, उसे किसानों के हित का ध्यान नहीं है । उसका यह उदाहरण है कि जब तक किसान कम कीमत लेते रहे कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब अधिक कीमत के लिये किसानों ने कहा तो मिल मालिकों के इशारे पर वह यह करने जा रही है । और उनके एमाल्यूमेंट के मामले को भी घपले में डालना चाहती है । मैं चाहता हूं मंत्री जी इसका जवाब दें । अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि वे इसको वापस लें ।

(श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा का नाम पुकारा गया)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मुझे अपने व्यवस्था के प्रश्न के सिलसिले में यह कहना है कि सदन का सत्र बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गैर सरकारी दिवस ४ जनवरी को था और इस बार एक ही दिन मिला था । तीन दिन पहल बाकी थे और एक दिन यह मिलने वाला था, लेकिन अब वह भी मिलने वाला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आपको इसके लिये पहले उठना चाहिये था । जब मैंने उनको बुला लिया तब आप उठे । इस वक्त दूसरा विषय चल रहा है । अगर इसको आप उठाना चाहते हैं तो कल सबेरे उठायें ।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--मान्यवर, इस अध्यादेश के संबंध में जो भय श्री गेंदा सिंह जी के दिल में उठा है, अगर मैं उसे निर्मूल कहूं तो गलत न होगा। उन्होंने आज ३-४ सवाल उठाये हैं। पहला सवाल उन्होंने उठाया कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुगर बोर्ड के सामने यह विश्वास नहीं दिलाया था कि इन छोटे उद्योगों का हित उनकी दृष्टि में बराबर रहेगा? उसके सम्बन्ध में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि छोटे उद्योगों के हित के विरुद्ध न तो यह अध्यादेश गया है और न जा रहा है। हमारी बदकिस्मती यह है कि तिल को ताड़ बनाया जा रहा है और उस तिल को ताड़ बनाने में जितनी शक्ति श्री गेंदासिंह जी ने लगायी है उससे भी कहीं अधिक शक्ति इस भवन में किन्हीं कारणों से, किन्हीं बातों के सम्बन्ध में उलझन होने की वजह से उनको मिल गयी है। मुझे इसका दुख है। उदाहरण के लिये भवन में इस तरह की बातें आयीं कि हम तो गुड़ और खांडसारी शक्कर के उत्पादन को रोक रहे हैं या उस पर कोई पाबन्दी लगा रहे हैं। मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा कभी भी ऐसा मंशा न पहले था, न आज है और न आयन्दा के लिये है कि आम तौर पर पैदा किये जाने वाले गुड़ के उत्पादन पर हम किसी प्रकार का टैक्स लगावें। सिर्फ उसी गुड़ पर थोड़ा बहुत बोझ पड़ता है, जैसा मैंने कल भी कहा था, कि टैक्स मुश्किल से एक रुपया मन के बराबर भी नहीं पंहुचता जो उन मशीनों से बनता है जो पावर के जरिये तैयार होता है, चाहे वह डीजल पावर के जरिये चलता हो या हाइड्रो पावर के जरिये चलता हो। जानवर या आदमियों के द्वारा जो कारखाने चलते हैं, जो मशीनें चलती हैं उन पर किसी प्रकार का टैक्स, किसी प्रकार का सेस या किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन का प्रश्न उठता ही नहीं है जब तक वह एक सीमा से ऊपर जानवर शक्ति इस्तेमाल न करें। जब यह बात स्पष्ट हो जायेगी तो हमको दिखलाई पड़ेगा कि ऐसे कितने आदमी हैं जिन पर यह टैक्स लागू होगा। आज उत्तर प्रदेश के करीब १९ लाख एकड़ क्षेत्रफल में जो रिजर्व्ड और एसाइन्ड एरियाज में है, वहां गन्ने की खेती होती है। उनमें से चीनी मिलें ३३ प्रतिशत से ऊपर गन्ना नहीं क्रश कर पातीं। आज उनके पास इससे अधिक क्रश करने की शक्ति है ही नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इतना भवन से कहना चाहता हूं कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां बड़ी मिलों के सिवा गन्ना क्रश करने के लिये दूसरे साधन भी हैं। वे बड़ी मिलें तो नहीं हैं, लेकिन छोटी मिल तो उनको कह ही सकते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी मिलें अगर काश्तकारों का गन्ना लेकर १०० प्रतिशत मुनाफा कमा चुकी हों, तो क्या उनके ऊपर अब भी टैक्स न लगाया जाय? अगर हम उनके ऊपर किसी तरह की रोकथाम न करें तो यह जरा समझने की बात है कि यह कहां तक उचित होगा।

खांडसारी और सल्फीटेशन प्लांट के सम्बन्ध में भी बात कही गयी है। ये बड़ी-बड़ी यूनिटें हैं जो डीजिल बिजली से चलती हैं या ७ से अधिक कोल्हू जिनके आधार हैं। इसी तरह से आप देखें--राजनारायण जी हंस रहे हैं लेकिन उन्होंने कल उस भाषा से बात का बतंगड़ बना दिया। मैं साफ कहना चाहता हूं कि ७ कोल्हुओं तक के लिये मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं। एक कोल्हू दो बैलों से चलता है, भले ही एक ऊंट से कोल्हू चलता हो, तो इस तरह से ७ कोल्हू में १४ बैल लगते हैं, उनके लिए तो छूट है।

माननीय गेंदासिंह जी ने कल कहा था कि अपनी बात से बदलना नहीं, उससे पीछे न हटना। मैं उस बात को आज भी कहता हूं जो मैंने कल कही थी। मैं तो इस विधेयक द्वारा मुख्य तौर पर उस तबके की बात यहां कर रहा हूं जो ४·५ परसेंट गन्ना क्रश करता है। हमारे भाई गेंदासिंह जी का खयाल है कि हम बड़ी मिल वालों के कहने पर इसके मुकाबले की ताकत कम कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इनके ऊपर इसलिये रोक लगा रही है कि स्ट्राइक के दिनों में काश्तकार जो इनको गन्ना सप्लाई करते हैं उस पर रोक लग जाय। मेरे एक मित्र जो मेरे कमरे में मुझसे मिले थे उनसे भी मैंने कहा और आज भी मैं माननीय गेंदासिंह जी को विश्वास दिलाता हूं कि जितने पावर क्रशर्स हैं, जितनी बड़ी-बड़ी यूनिट्स हैं उन्हीं पर ये चीजें लागू होंगी। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक बिना घमंड के या किसी बड़ी इच्छा के यह कहता हूं

कि अगर इस विधेयक के पारित होने के कारण इन यूनिटों ने बन्द करने का निश्चय किया तो मैं इस सदन में आकर फिर इस अधिनियम को बदलने की बात करूंगा या स्वयं इस सरकार या भवन से बाहर जाने की तैयारी करूंगा। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे सामने मिल मालिकों को सुरक्षा देने का कोई प्रश्न नहीं है, शब्दों में जो भी बात आई हो। लेकिन यदि हमारे सामने उनकी ही सुरक्षा का प्रश्न होता तो हम इन यूनिटों को जिनका श्री गेंदा सिंहजी के कथनानुसार मिलों से संबंध है, लाइसेंस ही क्यों देते ? तब तो हम यह कर सकते थे कि इन यूनिटों को ही हटा देते। हमारे पास तो यह सिफारिश मौजूद थी कि मिल एरिया में किन्हीं इस तरह के प्लान्ट्स लगाने की मंजूरी न दी जाय लेकिन हमने उस को भी नहीं माना। उस पर भी हम ने ऐसी यूनिट्स को लाइसेंस दिये और कहा कि अबतक जो कुछ हुआ वह तो हुआ, लेकिन भविष्य में जो कोई ऐसे प्लान्ट्स लगावे वह लाइसेन्स ले ले। मकसद हमारा यही थी कि वही भेड़िया धसान प्रवृत्ति न चले कि एक उद्योग के एक ही अंग पर, एक ही तरफ जोर हो जाय और कोई नियंत्रण ही न रह जाय और खांडसारी उद्योग पर ही आखिर में खराब असर पड़े। अगर हम ने मिल मालिकों की कोई एक्साइज ड्यूटी कम की होती, कोई उनका सेस का रेट कम किया होता, उनके मजदूरों के वेतनक्रमों में कोई कमी की होती, पारसाल से इस साल कोई उनको सस्ता गन्ना दिलाने की बात की होती, तब तो माननीय गेंदा सिंह जी का जो हम पर चार्ज है वह सही होता। हमारा जो प्राइस डिफरेंशियल है वह देख लिया जाय। शुगर और खांडसारी में वह आज भी ४–५ रुपया मन का है और उसमें जो सेस की वजह से थोड़ी-बहुत बढ़ती होगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी।

हमारे दोस्तों ने एक बात और भी कही और आज भी उस बात को दोहराया कि बड़े और छोटे उद्योगों का सामंजस्य कैसे करते हो ? जब खांडसारी वाले तौल में गड़बड़ करते थे तब कुछ नहीं किया। इसके माने यह हैं कि माननीय गेंदासिंह जी सर्टिफिकेट देते हैं कि अब सब जगह तौल ठीक होती है। जब बिल पर बहस होगी तो मैं उनसे सफाई से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि आज भी उन खांडसारी और सल्फीटेशन प्लान्ट्स के बारे में, हर किसान को तौल के बारे में शिकायत है और उससे सरकार को चिन्ता है ? अब तो उस को हमारे इंसपेक्टर्स देखेंगे, क्योंकि हमें गन्ने पर सेस मिलना है और उसमें हमारी भी सीधी-सीधी जिम्मेदारी और दिलचस्पी रहेगी कि किसान की तौल ठीक रहे और तौल की व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारी देखरेख उन्हें मदद देगी जो कि किसान के हित में है। सब्सीडी भी दो तरह की होती है–डायरेक्ट और इन्डायरेक्ट। खंडसारी की सब्सीडी इन्डायरेक्ट है। आज शुगर केन की कीमत, मजदूरों के वजेज एक्साइज ड्यूटी और चौथा सेस का अगर हम अन्दाजा कर के देखें तो एक बड़ा बोझ मिलों के ऊपर है और वह अनुचित मुकाबला नहीं कर सकते इन चारों आइटम्स की वजह से। जो प्रोटेक्शन इन गुड़ उद्योगों को पहले से प्राप्त है वह आज भी मौजूद है। अगर इस विधेयक के द्वारा कोई भी चीज कम की होती तो एक बात थी। सुन्दरम् साहब की बात कही गई कि उन्होंने ऐसा-ऐसा कहा है लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि हमने जो लाइसेन्स फीस या सेस लगाया है उसके अपने कारण हैं, एक तो यह कि यह जो खांडसारी वाले हैं वह हमेशा अच्छी किस्म का गन्ना लेते हैं वह तो ४५१ लेंगे, दूसरे नम्बर का नहीं लेंगे, अगर किसान देना भी चाहेगा तो पसन्द नहीं करेंगे। गन्ने वाले काश्तकार के साथ एक स्टाम्प पर पहले से मुआहिदा होता है, उसके दस्तखत लेते हैं लगभग ७० परसेंट पहले एडवान्स देते हैं वह लोग और कहते हैं कि इतने हजार मन गन्ना लेंगे और फलां-फलां खेत से लेंगे और यह डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट है कि फेरिए की तरह हर वक्त किसान पर उनका रुपया चढ़ा रहता है जैसा कि पुराने जमाने में होता था कि कल्लू चमार को १०० रुपये दे दिये। उसके बाद उसका खानदान भर हमेशा का हरवाहा हो गया। इस तरह खांडसारी वाले पैसे को एडवांस दे देते हैं और किसानों को पैसे की जरूरत होती है। किसान खांडसारी वालों को कोई मोहब्बत से गन्ना नहीं देता बल्कि वह आदमी अपने पैसे की शक्ति से उसकी कमजोरी पर असर डालता है और सस्ता गन्ना लेता है।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

एक हमारे भाई हैं कांग्रेस के श्री शिवराजसिंह। एक चीज उन्होंने बड़ी दिलचस्प कही कि अक्तूबर में गन्ना पिरवाना शुरू करवा दो, बल्कि हो सके और पहिले से ही करवा दो। रुहलखंड के रहने वाले इस बात को कहें तो जरा समझ में नहीं आता है। हम आम तब लेते हैं जब पक जाता है और आलू तब लेते हैं जबकि वह तैयार हो जाता है। और गन्ना हम तब लें जबकि रिकवरी कम हो और पैसा ज्यादा दिलवायें तो ऐसा कर उसे इकोनामिक दिखाने के लिये कोई बहुत बड़ा इकोनामिस्ट चाहिये जो नये किस्म के आंकड़ों को इकट्ठा करके कोई हिसाब निकाल सके। जब रिकवरी कम हो तो पैसा ज्यादा दें और जब रिकवरी ज्यादा हो तो पैसा कम दें। यह न तो किसी किसान के हित में है और न किसी मिल मालिक के हित में। किसान के हित में इसलिये नहीं है कि चीनी बनकर देश में आती है जहां कि किसान भी रहता है। पहले १०० मन गन्ने से अगर ६ मन ही चीनी बनी तो १५ नवम्बर को ८ मन बन सकती है। केन का मेच्योर होना एक बड़ा एसेंशियल फैक्टर है केन क्रशिंग के लिये। उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है।

एक बात गेंदा सिंह जी ने कही कि दूसरे सूबे की सरकारों को फिक्र नहीं है, आपको बहुत फिक्र है। आपने बड़ी गड़बड़ी कर दी। मैं उनसे बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में उत्तर प्रदेश में खांडसारी का जो डेवलपमेन्ट हुआ है उसको देखने की कोशिश करें। बहुतों के लड़के बीमार हो गये। किसी के लड़के को जरा सी चोट आई। उसने घर में टिंक्चर लगा दी। एक आदमी का लड़का ज्यादा बीमार था। वह अस्पताल ले गया। गेंदा सिंह जी कहते हैं कि वह अस्पताल नहीं ले गया तो तुम क्यों ले जाते हो? श्रीमन्, मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा यह सारा काम गन्ना उत्पादकों के हित में होने वाला है।

हमारे यहां, मान्यवर, सन् ५६-५७ में ९० हजार टन खांडसारी बनी और ५८-५९ में दो लाख टन बनी। तरक्की देखिये। गन्ने से जो चीनी बनती है वह तो सारी बम्बई और मद्रास में बने और हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ खांडसारी ही बनती रहे। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों से पूछना चाहता हूं और उनके प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं जो कि उनका बड़ा दर्द लेकर बात करते हैं कि अगर यह ६५ फैक्टरी उत्तर प्रदेश की इकोनामी से हटा दी जायं तो फिर क्या खांडसारी वाले गन्ने वालों को वही दाम देंगे जो कि अब दे रहे हैं? खंडसारी वाले जो गन्ने का दाम देते हैं वह इसलिये देते हैं कि गन्ने की खपत का एक बड़ा भारी साधन मौजूद है। अगर यह सुविधा मौजूद न होती तो शायद खंडसारी वाले २ आना मन भी गन्ना न लेते। इसलिये हम कोई ऐसा काम करें जो गन्ने की आवश्यकता को बनाये हुये है उसको अगर कोई चोट लगावें ताकि दूसरा पनपे तो यह वाइज पालिसी नहीं होगी। इसलिये जरूरी हुआ कि इंटीग्रेटेड तरीके से काम किया जाय गन्ने के फ्रंट पर और सरकार के सामने आंकड़े रहें कि किस-किस नम्बर का डेवलप्ड केन कहां-कहां क्रश हो रहा है, कितनी खंडसारी बन रही है, कितनी चीनी बन रही है। इन सब बातों को करने के लिये यह थोड़ी बहुत शक्ति हमने अपने हाथ में ली है।

मुझे आशा है जो स्थिति मैंने बतायीउसकी रोशनी में गेंदा सिंह जो अपने प्रस्ताव को प्रेस नहीं करेंगे। यद्यपि मैं समझता हूं मैं उनको समझा तो नहीं सकता क्योंकि सोते आदमी को तो जगाया जा सकता है लेकिन कोई अगर दूसरी स्थिति में हो तो जगाना मुश्किल है। इस समय बदकिस्मती से माननीय गेंदासिंह उसी दिक्कत में हैं, उनकी दिक्कत के साथ मुझे सहानुभूति है। लेकिन मेरी लाचारी है कि मैं उनके भ्रम को दूर नहीं कर सकता यद्यपि कोशिश बहुत की। गन्ना उत्पादकों का हित हमें बहुत प्यारा है, उनका प्रतिनिधित्व हमें मिलता है। कारपोरेशन के चुनाव में भी हमने देखा जिसके लिये विरोधियों की तरफ से बड़ा शोर था।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं पार्टियों की राजनीति पर बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैं कहता हूं कि हम किसी पूंजीपति को मदद देने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि गन्ना उत्पादकों का हित खांडसारी उद्योग का हित और लास्ट बट नाट दी लीस्ट मिल मालिकों का हित इन तीनों कारणों से इंटीग्रेटेड ढंग से यह काम किया है। मुझे आशा है सदन माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव को अस्वीकार करेगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, कल के माननीय गेंदा-सिंह जी के भाषण में और आज के भाषण में जो जो उनको संदेह थे उनके निवारणार्थ हमारे उपमंत्री के खड़े होने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि उनके संदेह पूरे तौर से ठीक थे। उसके स्पष्टीकरण में, मैं नहीं जानता उनको क्या दिक्कत थी लेकिन परस्पर विरोधी बातों को कह कर मान लिया। जैसा गेंदासिंह जी ने कहा कि खांडसारी पर हमला इस प्रदेश में ही क्यों हुआ, उसको उन्होंने स्वीकार किया कि खांडसारी की बढ़ती हुई तरक्की से उनको परेशानी थी। चूंकि और प्रदेशों में खांडसारी की उन्नति नहीं है, यहीं है और खांडसारी के लोग बहुत सारे फोरम्स पर मुकाबिला करने के लिये मिल मालिकों से तैयार थे इसलिये अपने दोस्तों की मदद करने की जरूरत सरकार को पड़ी।

साथ ही अध्यक्ष महोदय, कल का तर्क उन्होंने छोड़ दिया जो गेंदा सिंह जी ने उनके सामने रखा था, खंडसारी के लोगों की जब तरक्की हुई और इसलिये हुई कि गन्ने की खरीद के लिये वह मिल मालिकों से ज्यादा पैसा देने लगे तो मिल मालिकों को परेशानी हुई कि हमारा एक छोटा हिस्सेदार किसान को अधिक पैसा देने लगा। बड़ी सीधी-सी बात है, व्यवसाय के लिये जो मोनोपोलाइजर हैं वह यह कभी नहीं चाहता कि उसमें कोई प्रतियोगिता हो। तो जो प्रतियोगिता है उसको नष्ट करके पूरे बाजार में मिल मालिक रहे, यह बड़ी सीधी सी बात वह चाहते हैं। उन्होंने अन्त में कहा कि मिल मालिकों का भी हित उनके सामने है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि रात भर उन्होंने बड़ा मानसिक व्यायाम किया है और कुछ तर्कों को ढूंढने का प्रयास किया है। यह उन्होंने स्वीकार भी किया कि तीसरे नम्बर पर मिल मालिक का इंटरेस्ट है, लेकिन सारी स्थिति को देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि मिल मालिक का इंटरेस्ट फर्स्ट है। उन्होंने कहा कि फैक्टरी की इकोनामी हटा दी जाय। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान यह रखती है। यह बात सत्य है तो क्या यह कहा जाय कि छोटे उद्योग धंधों को न बढ़ाया जाय? लेकिन उसी समय यह तर्क उपस्थित करके कि बड़े उद्योग-धंधों का बड़ा महत्व है इसलिये छोटे उद्योग-धंधों को न बढ़ने दिया जाय यह उस सरकार का तर्क समझ में नहीं आता जो समाजीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करती है, जो छोटे उद्योग-धंधों को बढ़ाने की बात करती है। फैक्टरी का महत्व जरूर है लेकिन सबसे विचित्र बात यह मालूम हुई जो केन क्रशर्स को लगाने के साथ उन्होंने मिल मालिकों को संज्ञा दी और कहा कि मिल मालिकों का इंटरेस्ट सफर करता है। ७-६ कोल्हू वालों को वे मिल मालिक कहते हैं और यह भी कहते हैं कि सैंट परसेंट मुनाफा खांडसारी वाले को मिलता है, लेकिन मिल मालिक के मुनाफे का कोई हिसाब उनके पास नहीं है, जिसके सिलसिले में आज यहां बहस होती है और कहा जाता है कि किसान को इतना हिस्सा दिलाया जाय। मिल मालिकों को मुनाफा न होने से आज वे बड़े चिंतित हो गये हैं।

जवाब में मंत्री जी ने यह तो बतलाया कि उनकी मंशा क्या है लेकिन यह नहीं बतलाया कि उसका प्रभाव क्या होने वाला है। यह बड़ी अच्छी बात है अगर उनकी यह मंशा नहीं है कि छोटे उद्योग धंधे दबें, लेकिन यह प्रश्न जरूर हमारे सामने आता है कि जब केन क्रशर्स पर केन सेस लग जायगा तो वे जरूर दब जायेंगे। वे यह भी कहते हैं कि केन क्रशर्स बन्द हो जायेंगे तो वे इस्तीफा देने को तैयार हैं। एक तरफ से तो ९० से २०० तादाद बढ़ गयी। मोटे तौर पर एक तरफ कहते हैं कि कई गुना ज्यादा तरक्की हो रही है लेकिन दूसरी तरफ इस केन सेस के लगाने के बाद उनको खतरा पैदा है कि वे घट जायेंगे। घटेंगे नहीं तो उनको संतोष होगा लेकिन जो तरक्की हो रही थी उसको रोकने की जो उनकी मंशा है वह तो साफ हो जाती है। मंशा चाहे जितनी पवित्र हो लेकिन इसका इफेक्ट यह होगा कि केन क्रशर्स दब जायेंगे और उनका

[श्री गौरीशंकर राय—]

धंधा मिलों के सामने चौपट हो जायगा। इतनी बात जरूर है कि मिल मालिकों को मालूम हो गया कि उनकी बात सुनी गयी।

मंत्री जी ने राजनीति व चुनाव की बात भी कही। यह कोई रिलेवेंट बात नहीं है इस सिलसिले में।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो विषय चल रहा है उस से संबंधित न तो मंत्री महोदय उपस्थित हैं, न उप मंत्री महोदय उपस्थित हैं और न सभा सचिव हैं।

श्री अध्यक्ष—पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बैठे हैं।

श्री गौरीशंकर राय—मंत्री जी ने कहा कि हम चुनाव जीतते चले जाते हैं। वह ठीक कहते हैं। यह भी चुनाव जीतने का ही तरीका है। यह केन क्रशर्स पर केन सेस इसीलिये लगाया जा रहा है ताकि मिल मालिकों से उनको अधिक पैसा मिल सके।

श्री अध्यक्ष—चुनाव पर बहस असंगत है। इसीलिये मैंने मंत्री महोदय को भी रोका था।

श्री गौरीशंकर राय—मैं अधिक न कह कर केवल इतना ही कहूंगा कि मिल मालिकों से अधिक पैसा मिल सकेगा तो वे चुनाव जीत सकेंगे क्योंकि वे समझते हैं कि पैसे से ही चुनाव जीतना आसान है, इसलिये मिल मालिकों से पैसा लेने के लिये छोटे केन क्रशर्स को दबाने का उनका यह प्रयास है। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार निश्चित रूप से मिल मालिकों के कहने पर ऐसा करने जा रही है और सरकार ऐसा समझती है कि इसका कुप्रभाव छोटे-छोटे उद्योग-धंधों पर पड़ने जा रहा है। अगर इस सरकार को सद्बुद्धि हो तो मैं आपके जरिये इस आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि वह सरकार को मजबूर करे कि इस प्रकार का जो अपवित्र और बुरा अध्यादेश है उसको वापस ले।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, इस अध्यादेश के अननुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव मेरा भी था जैसा कि गेंदा सिंह जी का है और उसी सिलसिले में मुझे कहना है कि यह अध्यादेश एक प्रकार से एक वृहत रूप में फैलाने के लिये लाया गया है और कहा यह गया कि अब हमको इस कानून को सारे प्रान्त में लागू करने की आवश्यकता दीख पड़ी है, अतः इसको लागू किया है। लेकिन मुझे संदेह है कि इस प्रकार से फैलाव करके प्रदेश के उन हिस्सों में भी जहां खांडसारी के छोटे-छोटे उपाय किये जा रहे थे कानून का जाल फैला कर अब उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। होगा यह कि जो थोड़ी पूंजी वाले लोग एक सहकारी आधार पर प्रयास करने में लगे हुये हैं उनमें भी लाइसेंसिंग करके या टैक्सिंग का बोझ लादे जाने से अन्ततः वे कुचल ही जायेंगे। कल ही यह प्रश्न पूछा गया कि इन तरीकों द्वारा कितना ज्यादा टैक्स का धन मिलेगा तो मुझे यह बताया गया कि ३ लाख ५० हजार रुपया तो टैक्स के रूप में और करीब २ लाख रुपया लाइसेंसिंग फी के रूप में मिलेगा। तो यह जो ६ लाख रुपया है वह सीधे उन लोगों से सरकार को मिलेगा जो छोटे-छोटे गृह उद्योग चलाना चाहते हैं। गृह उद्योग पनपने न पायें और मिलों की मदद हो इसके लिये इतनी जल्दबाजी कि एक अध्यादेश निकाला जाय और टैक्स लगाया जाय, यह एक अनोखी-सी बात है। यह जरूर कहा गया कि जो टैक्स लगाया जा रहा है वह ६ पैसे फी मन के हिसाब से है मगर २५ पैसे फी मन तक टैक्स लगाया जा सकेगा। तो यह कोई गारंटी नहीं है कि सरकार २५ पैसे फी मन के हिसाब से टैक्स क्यों नहीं लगा देगी। इसलिये मुझे फिर कहना पड़ता है कि ऐसे भागों में जहां यह छोटे-छोटे उपाय गृह उद्योगों के किये जा रहे हैं जो चीनी उत्पादक मिलों से दूर हैं वहां भी इसको लगा कर उनकी आमदनी में एक बड़ा भारी अवरोध पैदा किया जा रहा है। यह अध्यादेश जिस प्रकार से जारी किया गया है उसका मैं मूलतः विरोध करता हूं। इन गृह उद्योगों को कुचलने के लिये और मिल मालिकों

की मदद करने के लिये सरकार ने जो कदम उठाये हैं, इस सम्बन्ध में जब बिल आयेगा तो बोलने का मौका मिलेगा इसलिये इस पर अधिक समय न लेकर मैं इस अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा आज इस अध्यादेश के अननुमोदन या अनुमोदन के विषय पर कुछ कहने का नहीं था लेकिन अभी मैंने माननीय बहुगुणाजी का जो भाषण सुना, उसके बाद मैं समझता हूं कि मैं अपने कर्त्तव्य से बहुत हट जाऊंगा यदि मैं अपने बिचार सदन के समक्ष न रखूं ।

(इस समय १२ बजकर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं ।)

माननीया, मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि इन गृह उद्योगों का महान दुर्भाग्य है कि हमारे जो नायक हैं उनको इतनी गलतफहमी उनके बारे में है कि जो वस्तुस्थिति ह उससे इतना भिन्न उनका निष्कर्ष इन विषयों में हो । महामान्या , एक बात तो सब से पहले मैं यह कहूंगा कि माननीय बहुगुणाजी ने सब से अधिक बल इस पर दिया कि खांडसारी का डेवलपमेन्ट बहुत जोरों में हो रहा है और जिस स्पीड से उसका एक्सटेंशन हो रहा है वह एक चिन्ता की बात हो गयी है इसलिये उस पर नियंत्रण करना आवश्यक समझा गया ।

मैं बहुगुणा जी से नम्र निवेदन करूंगा कि वह इंडियन टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट को देखें । इसमें १९३०-३१ में खांडसारी का टोटल प्रोडक्शन २ लाख टन है और १९३१-३२ में २ लाख ५० हजार टन है, इसी तरह से १९३२-३३ में २ लाख ७५ हजार टन है । आज हमारे मंत्री जी को चिन्ता है जब कि हमारे यहां खांडसारी का प्रोडक्शन २ लाख टन हो गया है । मुझे दुख है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई सही आंकड़े गुड़ और खांडसारी के बारे में नहीं है और मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि सरकार ने गुड़ और खांडसारी के विकास के लिये कोई वास्तविक प्रयत्न ही नहीं किया है । इसका परिणाम है कि मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न किया था जिसका वस्तु-स्थिति से बिलकुल भिन्न उत्तर मिला । सरकार से मैंने कहा था कि हमारे प्रदेश में खांडसारी शुगर बहुत-सी एक्यूमुलेट हो गई है जो बाहर जाया करती थी। इसके कारण भंयकर स्थिति उत्पन्न हो गई है । इसके उत्तर में कहा गया कि ९० प्रतिशत उत्तर प्रदेश में खर्च होती थी और १० प्रतिशत बाहर जाती थी । लेकिन वस्तु-स्थिति इसके विपरीत थी । जब विभागीय खोज की गई तो मेरी बात ठीक निकली । मैं बड़ा आभारी हूं कि यदि हमारी सरकार को वस्तु-स्थिति का ज्ञान हो जाय तो वह ऐक्शन लेने के लिये तैयार रहती है और उन्होंने ऐक्शन लिया, जैसे ही मैंने उनका ध्यान दिलाया । मैंने इसलिये इसका जिक्र किया कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि गुड़ और खांडसारी के बारे में हमारे पास कोई रिलाएबिल आंकड़े नहीं है और जिस समय जो मन में आता है उसी तरह से आंकड़े रख दिये जाते हैं । ढाई लाख या पौने तीन लाख टन खांडसारी का प्रोडक्शन ३२-३३ में था जब कि आज दो लाख टन ही है फिर भी हमारे मंत्री जी को चिन्ता हो गई है ।

माननीया, एक बात और कहना चाहता हूं कि शुगर मिल्स के प्रोडक्शन का २० लाख टन का टारजेट है । इसमें करीब साढ़े अठारह लाख या उन्नीस लाख टन का प्रोडक्शन हो चुका है । केवल एक लाख टन पीछे हैं । इससे सारे देश में और प्रदेश में चिन्ता है। खांडसारी के लिये प्लानिंग कमीशन का साढ़े सात लाख टन का टारगेट है और केवल दो लाख टन या ज्यदा से ज्यादा ढाई लाख टन का प्रोडक्शन है । अभी हम टारगेट से ५ लाख टन पीछे हैं, यानी ७० प्रतिशत अभी पीछे हैं । यदि मैं यह कहूं तो मंत्री जी मुझे क्षमा करें कि उत्तर प्रदेश का अर्थ खांडसारी के मामले में भारतवर्ष है लेकिन शायद यदि यही नीति रही तो यह उत्तर प्रदेश से समाप्त ही हो जाय । आज आंध्र सरकार खांडसारी के लिय

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

दस गुनी ज्यादा सहायता दे रही है। उनका आफर है कि खांडसारी की जो यूनिटें लगाई जांय उनको लोन, सब्सीडी और टैक्निकल एडवाइस दी जायगी। इसके फलस्वरूप लोग वहां जाने के लिये रागिब हो रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि मंत्री जी ने कहा है कि हम उन्हीं को टच करने जा रहे हैं जिनमें सेंट परसेंट मुनाफा है। श्रीमन्, ऐसा मालूम होता है कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो सोचते हैं कि कोई न कोई जस्टीफिकेशन ढूंढ़ा जाय और जो इच्छा हो उसको पूरा करना चाहिये। कहा जाता है कि वह गुड़ और राब को छने नहीं जा रही है। यह ठीक नहीं है। मैं उनको चैलेंज करता हूं। मंत्री महोदय मंत्री हैं और मैं सदस्य हूं। मैं अपना कल इस्तीफा प्रस्तुत कर दूंगा अगर वह साबित कर सकेंगे कि खांडसारी में सेंट परसेंट मुनाफा है या इसके कहीं लगभग भी हो। माननीय मंत्री जी के ध्यान में मैं समझता हूं वह बड़े सल्फीटेशन प्लांट हो सकते हैं जिनको उनकी सरकार ने ही लगाया है। मैंने जो चार्ज लगाया था वह मैं फिर दोहराता हूं कि हमारी बड़ी इल प्लानिंग है। हम यह समझ कर कि उनके हितों के सब से बड़े संरक्षक हम ही हैं, सारी मानोपली आफ बिजडम हमारे पास ही है, उनसे हम पूछना भी जरूरी नहीं समझते हैं कि उनके हित में क्या अच्छा है, हम कोई काम कर डालते हैं। वह सल्फीटेशन पुलांट्स जिनको आप खत्म करने जा रहे हैं वह आपके सरकार के ही लगाये हुए हैं। गरीब जनता को लाखों रुपया सब्सिडी और ग्रांट के रूप में उनको दिया गया है। कालाकंकर हाउस में एक अलग विभाग खुला हुआ है जिसमें आर्ट पेपर पर सदा किताबें छपती हैं, जिनमें उनकी गुण गाथा होती है फिर किस ने कहा था आपसे, क्यों नहीं सरकार ने उस वक्त सोचा था कि सल्फीटेशन प्लान्ट ऐसे एरियाज में लगाये जायं जो मिल एरियाज नहीं है। आप सल्फीटेशन प्लांट लगाने के लिये सब्सिडी और ग्रान्ट देते हैं, एक अलग विभाग खोल रखा है और दोषारोपण दूसरों पर करते हैं। इन सल्फीटेशन प्लान्ट्स में १०० प्रतिशत तो नहीं १०, १५, २० प्रतिशत नफा है।

जहां तक खांडसारी का ताल्लुक है, मैं माननीय बहुगुणा जी से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि वह मेरा नेवता स्वीकार करें बरेली चलने के लिये, और वहां चल कर छोटे-छोटे गांवों में बेलों को देखें जो झोपड़ियों में चलती हैं। तब उनको ज्ञान होगा कि वे प्रतिध्वनियां जो उनके कान में गूंज रही हैं, जो लोग कहते हैं कि १०० प्रतिशत नफा है वे अपने हितों के संरक्षण में यह बात कहते हैं। मैं यह इसलिए कहने के लिये बाध्य हुआ कि हमारा बड़ा दुर्भाग्य होगा यदि वे लोग जिनके ऊपर सारे प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी है उनको इतनी गलत इत्तला हुई तो परिणाम क्या होगा।

अधिष्ठात्री महोदया, इसके बाद मैं एक दूसरी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज फिर मंत्री जी ने तीन चार रुपये के टैक्स डिफरेंशियल की बात कह दी। मैंने कल फीगर्स, प्वाइंट प्वाइंट करके, उनका पूरा ब्रेक अप करके, रख दिये थे। जिस साल को आधार मान कर बताया गया उस साल और वर्तमान साल में जो टैक्स डिफरेंशियल हुआ वह उसको देकर अच्छा होता कि मंत्री जी उसका जवाब देते। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि आज टैक्स डिफरेंशियल बाकी है? अधिष्ठात्री महोदया, इस बारे में और भी एक बड़ी भारी भ्रान्ति है। अगर वह दूर हो जाय तो गृह उद्योगों का महान् उपकार होगा। कल खादी उद्योग से सम्बन्धित सुन्दरम जी का बार-बार जिक्र किया गया, मैं निवेदन करूं जहां ऐक्सपर्ट ओपीनियन सरकार को सूट करती है सरकार उनका नाम ले लेती है और जहां सूट नहीं करती है वहां उस एक्सपर्ट ओपीनियन को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। सारा आधार इस अध्यादेश का बिलकुल गलत है। अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आधार मानते हैं तो यह देखना होगा कि यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्यों बनी? यह इसलिये बनी थी क्योंकि मिल वालों ने मांग की कि हम पिसे जा रहे हैं, हम गुड़, राब, खांडसारी उत्पादकों के मुकाबले में गन्ना वालों को दाम नहीं दे सकते। इसलिये हमें बचाने का उपाय कीजिये। इसलिए यह कमेटी बनी

इस कमेटी ने, मैं यह नहीं कहूंगा कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लोग थे उन पर वह लोग ज्यादा ऐक्सेस कर सके, जो कुछ भी किया, उन्होंने, अध्ययन करके ही किया होगा। लेकिन इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिश का आधार यह है कि एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी और जो टैक्स डिफरेंशियल है उसको माप आफ करने के लिये बैलों पर टैक्स लगेगा जिसकी मात्रा फी बैल २०० रु० होगी। आप एक तरफ तो २०० की जगह ३०० रुपया लगाते हैं और दूसरी तरफ केन्द्रीय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी भी लगा दी। कितना सुन्दर उत्तर है यह कह देना कि केन्द्रीय सरकार से एक्साइज ड्यूटी के लिए कहिए ? जब आप इस सिफारिश को आधार मानते हैं तो आधार तो यह था कि जो टैक्स डिफरेंशियल था उसको माप आफ करने के लिये कोई टैक्स लगाया जाय और उस टैक्स का रूप यह था कि २०० रुपया फी बैल लगा दिया जाता। लकिन एक तरफ तो केन्द्रीय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगा दी जिसका भार रिकमेंडेशन के खिलाफ कई गुना होता है और दूसरी तरफ आपने यह कर भी लगा दिया। तो फिर आपका सारा प्रीमिसेज गलत हो जाता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--- टैक्स नहीं लगाया है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---मैं बहुत खुश होऊंगा अगर माननीय बहुगुणा जी यह कहते हैं कि कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, अगर ३०० रुपया फी बैल उनके खयाल में कोई टैक्स नहीं है तो ठीक है। तब उनकी बात ठीक हो सकती है। लेकिन इस कमेटी ने जो दो सौ रुपया सजेस्ट किया है वह टैक्स के रूप में टु माप आफ दि टैक्स डिफरेंशियल। उसको आपने ३०० रुपया कर दिया और फिर भी टैक्स नहीं लगा, यह कहें तो कह सकते हैं। उनको अधिकार है। लेकिन अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह कहूंगा कि जो कुछ वह ठीक समझें, लगायें, आखिर वह भी जनता के हित में ही सब बातें सोचते हैं, वह भी गृह उद्योगों के दुश्मन नहीं हैं, वह भी उनके पोषक ही हैं, लेकिन कृपा करके फिर वह सुन्दरम् साहब के इस अर्थशास्त्र की दुहाई न दें। यह कह दें कि उनकी सिफारिश के बावजूद भी आज वह समझते हैं कि यह टैक्स लगाना चाहिए और वह लगायें क्योंकि जो वह उचित समझेंगे वही करेंगे और उसमें अगर भला हो सकता है तो हो।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी माननीय बहुगुणा जी ने यह कहा कि यह जो रुपया अग्रिम धन दे दिया जाता है इसका ऐसा दुरुपयोग होता है कि क्या कहा जाय। इसके लिये भी मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि वे स्वयं जरा इसकी जांच करने की कोशिश करें और उसके बाद भी अगर उनका यह निश्चय हो तो ठीक है। इस कमेटी ने ऐसी बात कहीं नहीं लिखी है। उसकी रिपोर्ट में यह कहीं नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसा है भी नहीं। और सरकारी विभाग से जो रुपया मिलता है उस की कथा भी आपको मालूम ही है। मैं क्या कहूं ? बहरहाल उससे गांव वाले काफी असन्तुष्ट हैं। अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी कृपा कर के मेरी प्रार्थना को सोचें और जो बिल अब आ रहा है इस आर्डिनेंस के सिलसिले में उसमें वह इन तमाम बातों का समावेश कर सकें तो अच्छा होगा।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया और विशेष कर के यों आभारी हूं कि आप ने मुझे बहुगुणा जी के बाद में बोलने का अवसर दिया। इससे जो बातें उन्होंने यहां किसानों के नाम पर कहीं उनको मैं सफाई के साथ बतला सकूंगा। इसके पहले कि मैं माननीय गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करूं, दो तीन बातें कह देना आवश्यक समझता हूं। सब से पहले मैं माननीय गेंदासिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। हमको बहुत दिनों में यह मालूम हुआ कि जिस तरीके से माननीय नेता सदन ज्योतिषी हैं, उसी तरह से माननीय गेंदासिंह जी भी ज्योतिषी हैं। उनकी कल की वह बात सही निकली कि यह अध्यादेश जो निकला है इसको उन्होंने पहले अपनी पार्टी में भी रखा होता तो अपनी पार्टी में भी वह इसे पास न करा पाते।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--- हमारी पार्टी को आप हमारे ही ऊपर छोड़ दीजिए, अपनी चिन्ता करिए।

श्री जगवीरसिंह---दूसरे मैं बहुगुणा जी को मुबारकबाद देता हूं। जिस तरीके से उन्होंने मिल मालिकों की वकालत की और किसानों की बात कही। लेकिन अगर वह उसमें एक तरमीम कर लें तो मैं उनका बड़ा आभारी हूंगा। उन्होंने कहा कि मिलमालिकों का इंटरेस्ट भी लास्ट बट नाट दि लीस्ट, तो इसकी जगह अगर वह फर्स्ट ऐंड दि फोरमोस्ट कर लें तो मैं उनका आभारी हूंगा, जैसा कि उन्होंने स्वयं माना है कि हम तो केन सप्लाई बढ़ाने के लिए इस अध्यादेश को लाये हैं। और तीसरे मैं जगदीशशरण जी का भी बड़ा आभारी हूं जिन्होंने कि मेरे काम को बहुत हलका कर दिया और बहुगुणा जी को बहुत सी बातों का जवाब दे दिया जिनका कि मुझे जवाब देना पड़ता। जहां तक इस प्रस्ताव की बात है, मैं माननीय गेंदा सिंह जी का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमको देखना यह पड़ेगा साफ तरीके से, कि इसमें उद्देश्य क्या है क्योंकि केन की सप्लाई जब कम होती जा रही है तो सरकार को बजाय इस तरीके से केन सप्लाई को बढ़ाने के और अपने दोस्तों की दोस्ती निभाने के देखना यह था कि केन की सप्लाई कम क्यों होती जा रही है, कारण क्या है, किसान असन्तुष्ट क्यों हैं? अधिष्ठात्री महोदया, आपका स्वयं गन्ने से वास्ता है। आप भी जानती होंगी और कल से कांग्रेस की तरफ से जितने लोग बोले केवल बहुगुणा जी को छोड़कर सबने हमारे पक्ष का समर्थन किया। मैं समझता हूं कि हमारे समने माननीय वर्मा जी डिप्टी मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वह भी आते मैदान में और साफ तरीके से अपनी राय बतलाते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---बड़ी सख्त राय है उनकी।

श्री जगवीरसिंह---वह अपनी सख्त राय ही रखें। इतना ही नहीं, मैं चाहूंगा कि वह बतलायें कि आया इससे किसान का हित होगा या नहीं, गांव में रहने वालों का हित होगा या नहीं, लैंडलेस लेबर का नफा होगा या नुक्सान होगा। ...(व्यवधान)...मैं आप को समझाऊं, अगर आप समझने की कोशिश करें। मैं बात बता सकता हूं अब वह जहां तक समझने की बात है आप की समझ में आये या न आये मैं नहीं जानता। जहां तक लैंडलेस लेबर के ऊपर हमारे दोस्त चौंकें तो मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि आज हमारे गांवों के रहने वालों के पास बहुत काम नहीं है, बारह महीने काम नहीं होता है और वहां के रहने वाले बहुत काफी तादाद में लगे हुए होते हैं इन काटेज इंडस्ट्रीज में। आप जायं जगदीश शरण जी का निमन्त्रण कबूल करें और देखें बरेली में जाकर कि लैंडलस लेबर कितनी ज्यादा तादाद में इस काटेज इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। यह कहा गया कि काटेज इंडस्ट्रीज को नुक्सान नहीं होगा। वह बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन मैं बहुत साफ तरीके से बतला दूं कि हो सकता है कि अब तक बढ़ गई हों लेकिन आपका यह सेस लग जाने के बाद उनकी किस्मत का क्या होगा वह अब समय ही बतलायेगा। अपने तरीके से मैं समझता हूं कि क्रशर्स की तादाद घटेगी। कल बहुत जोरों से कहा गया कि सात बैलों पर बड़ा शोर हुआ, यहां कहा गया सात बैलों से चलने वाला कोल्हू या एक बैल से चलने वाला कोल्हू, मुझे हंसी आती थी रह रह कर, हो सकता है कि माननीय बहुगुणा जी के यहां १ बैल या ७ बैल से चलने वाले कोल्हू हों लेकिन माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी के जिले में कोई ऐसा कोल्हू होगा या और किसी जगह ऐसा कोल्हू होगा, इसमें मुझे सन्देह है और अपने जिले के लिए तो मैं जानता ही हूं कि ऐसा कोई कोल्हू हमारे यहां नहीं होता।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---किसी ने नहीं कहा इधर से, उधर से ही यह कहा गया था।

श्री जगवीरसिंह---किसी ने भी कहा हो, आपने सात बैलों के कोल्हू का जिक्र किया। माननीय बहुगुणा जी ने एक सवाल उठाया कि क्या माननीय गेंदा सिंह जी कह सकते हैं जिम्मेदारी के साथ कि क्रशर्स वालों के यहां ठीक से तौल होने लगी। मैं कह देना चाहता हूं कि बिलकुल

ठीक तरीके से तौल नहीं होती। लेकिन साथ ही साथ जो बहुगुणा जी के बड़े-बड़े दोस्त हैं उनके यहां किस तरीके से तौल होती है। माननीय वर्मा जी से और आप से भी छिपा नहीं होगा, वह भी जानते हैं कि ऐसे-ऐसे मिल मालिक मौजूद हैं जो वेमेन क्लर्क को बंधा हुआ माहवारी पैसा देते हैं। केवल इसलिए देते हैं कि वे किसानों की गाड़ी से गन्ना काटकर किसानों के साथ बुरा व्यवहार करें। उनको उसकी पूरी कीमत नहीं मिलती है। लेकिन देखना यह है कि आपने उनके लिये क्या बर्ताव किया जिससे उनको फायदा हुआ हो। मैं कहता हूं कि इससे किसानों का नुक्सान होगा। कहा जाता है कि इतने ज्यादा क्रशर नहीं हैं लेकिन पिछले साल क्रशरवाले किसानों के लिये फायदे की बात सोच कर जब मैदान में आये और सरकार के सामने हड़ताल की बात आई तो उनको विश्वास था कि उनके सामने यह आल्टरनेटिव साधन मौजूद है। जो आल्टरनेटिव उनके सामने मौजूद था उसको सरकार आज खत्म करने जा रही है। यह कहना कि इससे हम किसानों का नुकसान नहीं करना चाहते हैं, सही नहीं है। इसमें मेरा निश्चित मत है कि किसानों का इससे जबरदस्त नुकसान है। इतना ही नहीं बल्कि यह कहा गया कि आप उनका नफा करना चाहते हैं डेवलपमेंट कर के। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रदेश को लीजिये, यहां पर क्या डेवलपमेंट इस दिशा में हुआ है। यहां पर ९.५ या ९.४ से ज्यादा चीनी नहीं निकलती है। हमारे प्रदेश में नहीं लेकिन इसी देश में साउथ में ११ फीसदी तक गन्ने से चीनी निकलती है और हवाई आइलैंड्स में १२ ।। फीसदी तक गन्ने से चीनी निकलती है। यहां पर फी एकड़ का एवरेज ३०० मन फी एकड़ और साउथ में ८०० या ९०० मन से अधिक नहीं है लेकिन हवाई आइलैंड्स में १,८०० मन फी एकड़ का एवरज है। यहां पर बड़ा शोर मचाया जाता है कि इतना डेवलपमेंट किया गया है और आगे भी करने की बात कही जाती है मगर इसमें कोई मुझे सचाई नजर नहीं आती।

शिवराजसिंह जी ने कहा था कि अर्ली क्रशिंग शुरू हो जाय, तो अच्छा होगा। मैं निवेदन करूंगा कि यदि अर्ली क्रशिंग शुरू करा दिया जायगा तो बहुगुणा जी मिल मालिकों को छट दे देंगे लेकिन इसके साथ ही अगर लेट क्रशिंग शुरू होगी तो किसान की चिन्ता नहीं की जायगी कि उसके गन्ने का वजन कम हो जायगा। आज अगर कहीं चीनी ज्यादा निकलने लगी है और सरकार स कहा जाय कि ज्यादा पैसा दिलाइये तो इसको सरकार सोचने के लिये तैयार नहीं है।

यहां पर कल से इस बात का जिक्र आया कि हमारी सरकार ने कुछ सिफारिश की और इसी सदन ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि गन्ने के दाम १ रुपया १२ आना मन तय किया जाय। इस बात को यहां पर एक मत से निश्चय किया। लेकिन कल से सरकार से बहुत बार यह पूछा जा चुका है कि सरकार ने सेन्ट्रल सरकार से क्या सिफारिश की, यह इस सदन को बतलाया जाय पर सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया। मैं बहुगुणा जी से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में भी अपने विचार हमको बतलाने की कृपा करें।

आज किसान एक चिन्ता से और परेशान हैं जिसको मैं कह देना जरूरी समझता हूं। कहा गया कि इसमें ७ बैल की भट्ठी की बात हो सकती है और इसी के लिये इसमें कहा गया है लेकिन मैं यह कहूंगा कि इसी सरकार ने कुछ वर्ष पहले दो बैल के कोल्हू पर लाइसेन्स लगाया था। इस सम्बन्ध में मैं बहुगुणा जी से जरूर सफाई चाहता हूं कि कहीं ऐसा इरादा तो नहीं है कि इसको घटाते चले जायं और किसी वक्त में जा कर छोटे किसान पर भी आप लाइसेंस जारी कर के टैक्स लगाने की बात करें। यह हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इरादा फिर पलट जाय। यह कहा जा सकता है कि उस रोज ऐसा इरादा था लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और अब हम रिजर्व्ड एरिआ में कोल्हू नहीं चलने देंगे क्योंकि सरकार को फैक्टरी से मुहब्बत है। आप उनके फेवर की बात करते हैं चाहे उनसे पैसा लेते हैं या नहीं यह तो आप जानें। इससे मुझ बहस नहीं।

[श्री जगवीर सिंह]

एक बात और बहुगुणा जी ने उठाई है उसके सम्बन्ध में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि जितनी बेलें हैं उनमें बड़े ग़लत तरीके से काम होता है। उनमें साइन्टिफिक तरीके से काम नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि इतने साइंटिफिक तरीके से काम नहीं होता जितना कि मिलों में होता है। लेकिन खादी के उद्योग को आप देख लीजिये। उसमें भी उतने अच्छे तरीके से काम नहीं होता जितना कि कपड़ा मिलों में होता है लेकिन उसके बाद भी आप उसको प्रोत्साहन देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी काम होना चाहिये। पूरे साइंटिफिक तरीके से काम न होने के माने यह नहीं होते कि हम उनका गला घोटने की बात सोचते रहें। मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया और मैं चाहूंगा कि मेरी इन दो, एक बातों का जवाब देने की बहुगुणा जी कृपा करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, हमारी मुसीबत बहुत बढ़ जाती है जब हम यह देखते हैं कि हमें आजाद हुए १२ वर्ष पूर्ण हो चुके, १३वां भी पूरा होने जा रहा है मगर अब तक हम राजनीति की शैशवावस्था में ही चल रहे हैं। हिन्दुस्तान एक बात का भुक्तभोगी रहा है---कहें कुछ, करें कुछ और लिखें कुछ। मैं चाहता हूं और निवेदन के साथ चाहता हूं कि अगर हमको देश को बनाना है तो हमको अपनी कथनी और करनी और लिखनी, इन तीनों में तादात्म्य स्थापित करना होगा। मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे इस सदन में बैठकर माननीय बहुगुणा जी को सुनना पड़ा। बड़ी लम्बी चौड़ी तकरीर करते हैं और बड़े तैश में बोलते हैं और बहुत फख्र के साथ बोलते हैं और बड़ा घमंड और अभिमान भी दिखाते हैं. . . . .

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---गलत बात है।

श्री राजनारायण---मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि अगर उनका यह घमंड और अभिमान हम नहीं चूर करेंगे तो ऐसी शक्ति चूर करेगी जो कीड़ा और मकोड़ा होगी क्योंकि इस कांग्रेसी कूड़े से कम्युनिस्टिक कीड़ा पैदा हो रहा है और वह दिन हमारे देश का दुर्दिन होगा। बहुगुणा जी जरा उधर भी ध्यान दें। क्या बहुगुणा जी को इस बात का अधिकार हासिल है कि वे लिखित रूप में जो अध्यादेश हो उसके अननुमोदन के प्रस्ताव पर, जो श्री गेंदा सिंह जी ने पेश किया है, अपने भाषण में बिलकुल उससे उल्टी बात कह दें? मैं किसी अर्थ शास्त्री को अपने समर्थन में नहीं लाना चाहता और न उसकी आवश्यकता समझता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो व्याख्यात्मक ज्ञापन है इस अध्यादेश के साथ उसको माननीय बहुगुणा जी जरा ठंडे दिल से पढ़ें। बहुगुणा जी ने जवाब देते हुये कहा कि हम मिलों को सहारा देने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं. . . .

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मिलों के लिये ही ऐसा नहीं कर रहे हैं।

श्री राजनारायण---लिखा कैसे गया है इसको मैं श्रीमन्, पढ़ देना चाहता हूं। श्रीमन्, हमको जरा समय ज्यादा दे दिया जाय। "इस राज्य में गन्ना पेरने वाली इकाइयों का विकास क्रम शून्य रूप से हुआ है और उसमें विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है। १९५७ में सफेद चीनी पर भारी उत्पादन शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप चीनी की फैक्टरियों के सुरक्षित और अभ्यर्थित क्षेत्रों में विद्युत् चालित कोल्हुओं, बेलों तथा केन्द्रापगो की संख्या अनियन्त्रित रूप से बढ़ गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो गन्ने की पूर्ति चीनी की फैक्टरियों को न हो कर बड़ी खंडसारी इकाइयों को होने लगी, जिसके कारण फैक्टरियों की पेराई में कमी हो गई और दूसरी ओर गन्ना उत्पन्न करने वाले एक बड़े क्षेत्र में उसके उपयोग के लिये कोई समुचित साधन न रह गया।" क्या मतलब हुआ? माननीय बहुगुणा जी अपने इस ज्ञापन में कहते हैं कि चूंकि विद्युत् संचालित फैक्टरियां ज्यादा हो गयीं इसलिये मिलों को पेराई के लिये गन्ना कम मिला, इसलिए उस पर हम इस प्रकार एक अंकुश रखना चाहते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---एक तीसरी और बात भी है और वह इम्पार्टेंट फैक्टर है।

श्री राजनारायण---जो प्रथम कहा जा रहा है वह इम्पार्टेंट नहीं है और जो बाद में कहा जा रहा है वह इंपार्टेंट है। इस बुद्धि की बलिहारी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप हमें बुद्धि विभ्रम जन्य भ्रांति में न डालें। मैं बहुगुणा जी से यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वे जरा अपनी बुद्धि को सम्भालें। माननीया अधिष्ठात्री महोदया, इस अध्यादेश को आप देखें, मैं उसे पढ़े देता हूं, इसमें लिखा है कि पिछले पेराई के मौसम में गन्ने की बड़ी मात्रा में पूर्ति चीनी की फैक्टरियों की न हो कर खंडसारी इकाइयों की हुई। सरकार ने आवश्यक आधार पर सामग्री एकत्र की, इस विषय पर काफी विचार किया इसकी चर्चा खंडसारी बनाने वालों से तथा चीनी की फैक्टरियों के प्रतिनिधियों से की और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पिछली फरवरी में उठाये गये प्रारम्भिक कदम के बाद निम्नलिखित कार्यवाहियां की जायं :---

(१) राज्य के अन्य क्षेत्रों में खंडसारी इकाइयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि रोकने के उद्देश्य से उक्त आदेश का प्रसार सम्पूर्ण राज्य में करने का निर्णय किया गया।

(२) गन्ने की पेराई के बाद खंडसारी बनाने की प्रक्रियाओं को विनियमित करने के उद्देश्य से ऐसे केंद्रापगों को जिनके द्वारा राब या गुड़ से खंडसारी तैयार की जाती है, उत्तर प्रदेश खंडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेन्स देने के आदेश के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया गया।

(३) उपवंचन रोकने के उद्देश्य से गुड़ तथा राब तैयार करने वाले विद्युत् चालित कोल्हुओं और बेलों पर भी लाइसेन्स लगाने का निर्णय किया गया।

यह सारी की सारी बातें जो यहां पर हैं उनकी सफ़ाई होनी चाहिये। मुझे बहुत अफसोस है कि कल माननीय बहुगुणा जी कह रहे थे कि हम मिल मालिकों की सुरक्षा की वजह से इस बिल को नहीं लाये हैं। हम मिल मालिकों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह मिल मालिकों की सुरक्षा नहीं है तो और क्या है? मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि केवल मिल मालिकों को सुरक्षा देने के लिये ही माननीय बहुगुणा जी ऐसा कर रहे हैं। अगर देखा जाय तो १९ लाख एकड़ रिजर्व एरिया है। माननीय बहुगुणा जी आज इस हैसियत में नहीं हैं कि व यह कह सकें कि ३३ प्रतिशत उत्पादित गन्ने से ज्यादा मिलें पेर सकती हैं। ऐसा कल उन्होंने शायद कहा भी था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैंने नहीं कहा था।

श्री राजनारायण---ख़ैर नहीं कहा था तो ठीक है। इसके लिये आपको मुबारकबाद। तो मैं यह कह रहा था कि जो गन्ने की मिलें हैं वे केवल ३३ फीसदी पेर रही हैं। अब रह जाता है ६७ फीसदी। तो आप देखें कि यह ६७ फीसदी गन्ना बच जाता है। कल माननीय बहुगुणा जी ने बड़ी दबी-दबी जबान से यह कहा था कि चूंकि किसान की मजबूरियों की वजह से विद्युत संचालित मशीन चलाने वाले लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसलिये सरकार इसको रोकना चाहती है। मैं कहता हूं किसान की मजबूरियां ६७ फीसदी गन्ने के लिये नहीं हैं। यह ६७ फीसदी गन्ना जो किसान मिलों को नहीं दे पा रहा है और मिल नहीं पेर पा रहे हैं उसको पेरने की, मैं पूछना चाहता हूं, मजबूरी किसान पर है या नहीं? वह कैसे पेरेगा? आज यह नियंत्रण लगाकर सरकार मिल मालिकों का ही हर तरह से पेट भर रही है। आज माननीय बहुगुणा जी की स्थिति उस शुतुर्मुर्ग की तरह ही है जो जानकर बालू में सर गाड़ देता है और यह समझता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है। बिलकुल वैसी ही स्थिति बहुगुणा जी की है। सरकार की तरफ से जब बहुगुणा जी कुछ कहते हैं तो वे यह समझते हैं कि उनको कोई देख नहीं रहा है। आज वे करोड़पतियों के नोटों से जनता के वोटों को खरीद कर चुनाव की बातें करते

[श्री राजनारायण---]

हैं। कल ही उन्होंने चुनाव के जीत की बड़ी लम्बी-चौड़ी तकरीर दी। मगर अभी आसाम में चुनाव हुआ, कम्युनिस्ट उम्मीदवार जीता। आज सभी हम आप कम्युनिस्ट पार्टी की निन्दा कर रहे हैं लेकिन फिर भी वह कैसे जीत गया। वहां चीन का हैवक खड़ा है फिर भी क्यों वह जीत गया? क्या इससे यह मान लें कि उस क्षेत्र की जनता चीनी आक्रमण को पसन्द करती है? क्या माननीय बहुगुणा जी इस तर्क को लाना पसन्द करेंगे। मैं अब भी इसी मत का हूं कि अगर हमारे द्वारा समुचित रूप से जनता को नेतृत्व दिया जाय तो आज भी हिन्दुस्तान की जनता कम्युनिस्ट हमदर्दी को पसन्द नहीं करती। मगर उनका उम्मीदवार आसाम में कैसे जीत गया? इससे क्या नतीजा निकालेंगे? अभी वाराणसी का उप-चुनाव हुआ था उसमें हम हारे और बहुगुणा जी जीते, मगर ९ हजार वोट्स हमको पड़े और ८ हजार कम्युनिस्टों को और १३ हजार के करीब कांग्रेस पार्टी को पड़े। अगर इसका विश्लेषण सही मानों में करोगे तब देश को बना पावोगे लेकिन व्यर्थ में अनावश्यक ढंग से गरूर करना और उसमें अपनी प्रतिभा और शक्ति का उपयोग करना इससे समाज नहीं बनेगा। हमारा दिल भरा हुआ है क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमने त्याग कर के देश को बनाने का स्वप्न देखा था...

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--- दूसरों ने भी आजादी अर्जित करने में आपसे कम त्याग नहीं किया है।

श्री राजनारायण---हो सकता है मगर उससे फायदा उठाया है। मैं यह कह रहा हूं कि इसका अननुमोदन करने के लिये जो प्रस्ताव है उसका समर्थन माननीय बहुगुणा जी क्यों नहीं करते। मैं माननीय बहुगुणा जी का ही आंकड़ा देना चाहता हूं कि ४.५ प्रतिशत गन्ना ही विद्युत कोल्हू पेर पाते हैं और ३३ फीसदी मिल। यानी साढ़े ३७ फीसदी गन्ना पेरा गया, तब माननीय बहुगुणा जी का वह तर्क कि मिलों को पूरा गन्ना नहीं मिल रहा है अपनी जगह पर नहीं ठहरता है क्योंकि इसके अतिरिक्त भी किसानों के पास इतना गन्ना है कि अगर मिल लेना चाहें तो वह गन्ना दे सकते हैं। अतः वह अपने तर्क में सुधार करें।

दूसरे वह यह कहते हैं कि विद्युत चालित यन्त्रों को लेकर जो बैलों द्वारा कोल्हू चलते हैं उनके द्वारा चीनी का उत्पादन कम होता है, उसमें परसेंटेज कम पड़ता है। इस सम्बन्ध में इस सदन में कई बार विवाद हो चुका है और मैं इसलिए उन तमाम पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता मगर मैं कह सकता हूं कि हमारे पास प्रमाण हैं और हम साबित कर सकते हैं कि जो रिकवरी होती है उसका परसेंटेज कम दिखाया जाता है, बेईमानी की जाती है और धोखा दिया जाता है और उसकी ओर सरकार की पैनी दृष्टि कभी नहीं जाती। सरकार चलेगी किसानों की मजबूरियों से नाजायज फायदा उठाने की तरफ। अगर यह सरकार कहती है कि यह जो विद्युत चालित मशीनरी है वह मिलों की अपेक्षा कम चीनी पैदा करती है, उसकी रिकवरी कम आती है तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसके लिये वह कोई व्यवस्था करे। किसानों को वह ऐसा यंत्र दे जिससे किसान अपने ६७ फीसदी गन्ने का पूरा उपयोग कर पावे। लेकिन उनको खांड नहीं बनाने देगी, राब नहीं बनाने देगी, गुड़ नहीं बनाने देगी, आखिर यह सब क्या लड़कपन है। अभी हमारे देश में और प्रदेश में राजनीति अपने सर के बल पर चल रही है हम चाहते हैं कि वह पैर के बल पर खड़ी हो और उस को उसी तरीके पर खड़ा करने का हमारा प्रयत्न है। मैं निहायत अदब के साथ सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार इस अध्यादेश को वापस ले। यह अध्यादेश किसी के हित में नहीं। इसको नये तौर पर लावे तो किसानों का कुछ भला हो जायगा मगर किसी दूसरे का भला नहीं होने वाला है। अगर किसानों का ही अहित करने का ध्येय सरकार का हो तब तो बात अलग है लेकिन किसान ही अधिक हैं इसलिये किसान का अहित समाज का अहित है, देश का अहित है, राष्ट्र का अहित है और राष्ट्र का अहित करना अगर सरकार का ध्येय है तो सरकार करे।

एक बात मैं और साफ कर दूं। मैं इस शब्द और वाग्जाल में फंसना नहीं चाहता। सरकार की ओर से बराबर कहा जाता है कि हमारा भी वही उद्देश्य है। हो सकता है सरकार

का वही उद्देश्य हो, मैं किसी की इंटेंशन में नहीं जाना चाहता, किसी की इच्छा में नहीं जाना चाहता, किसी के मन में नहीं प्रवेश करना चाहता। लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि उसके काम के बाद जो नतीजा हो उसका विश्लेषण किया जाय। सरकार की यह इच्छा रही हो कि उद्योग धंधों को बढ़ायें, गृह-उद्योग धंधों को काफी मात्रा में बढ़ाये लेकिन इसके बाद भी सरकार का जो काम हो रहा है उससे समाज गिर रहा है, ह्रास हो रहा है, उससे गरीबों और किसानों की आमदनी गिरती जा रही है। उन आंकड़ों में जाने की मैं जरूरत नहीं समझता लेकिन बहुगुणा जी से निवेदन करूंगा कि वे ग्रामीण आमदनी को देखें। अर्थ-शास्त्रियों की किताबों को न पढ़ें। अर्थशास्त्री सरकार को कई प्रकार के आंकड़े दे सकते हैं। एक आंकड़ा ऐसा हो सकता है कि देश विकास की चर्म सीमा पर पहुंच गया है लेकिन उनको सही आंकड़े हम देंगे। आज जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनसे एक ओर कंगाली का कीचड़ फैल रहा है और दूसरी ओर उस कंगाली के कीचड़ के भीतर से करोड़पतियों का कमल खिल रहा है। दोनों बातें हो रही हैं। हमारे बहुगुणा जी की दृष्टि करोड़पतियों पर गयी, कमल पर गई तो वह जरूर कहेंगे कि कमल का फूल बढ़ रहा है उसका सदुपयोग करें, जरूर देश की प्रगति उनकी निगाह में आयेगी और अगर कंगाली के कीचड़ पर उनकी नजर जायगी तभी वह सही नतीजे पर पहुंचेंगे। हमें अफसोस है कि आज वह ऐसे वातावरण और उलझनों में पड़े हुये हैं कि वह कंगाली के कीचड़ की ओर नजर नहीं डाल रहे हैं। इसलिये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर समाज को बनाना हो तो हमें अभिमानी ढंग की बातों को त्याग करके संयत रूप से सुचारु रूप से रचनात्मक कार्यक्रम को लेकर चलना चाहिये। जब रचनात्मक कार्यक्रम कहा जाता है तो उसमें हमारी एक और भावना छिपी रहती है कि कभी-कभी आवश्यक ध्वंस से भी रचना होती है। हम चाहते हैं कि करोड़पतियों का ध्वंस करके गरीबों को बढ़ायें। इस मकसद को हासिल करने के लिये हम अध्यादेश के घोर विरोधी हैं। इसका फल किसानों के लिये अनिष्टकर हो रहा है, उद्योग धंधों के लिये अनिष्टकर हो रहा है। दूसरे यह कि जिस तरीके से अध्यादेश लाये जा रहे हैं वे तानाशाही मनोवृत्ति के प्रतीक हैं। इसलिये इस नुक्ते-नजर से और इस दृष्टिकोण से हम इस अध्यादेश का बिरोध करना चाहते हैं और इसके अननुमोदन का जो प्रस्ताव है उसके समर्थक हैं।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---अधिष्ठात्री महोदया, मैंने उपमंत्री की तकरीर को बहुत गौर से सुना। मैं यह कहने की गुस्ताखी तो नहीं करूंगा कि उपमंत्री जी को गन्ने की काश्त के उन्नतशील ढंग नहीं मालूम हैं लेकिन उनको याद जरूर दिलाऊंगा कि गन्ने की काश्त और उन्नतशील ढंगों में अक्तूबर सोइंग भी एक खास ढंग है और गन्ने के पकने के लिये एक साल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो गन्ना अक्तूबर में बोया जाता है वह अवश्य ही दूसरे अक्तूबर में पक जायगा और यदि उपमंत्री महोदय इस तरह का आश्वासन किसानों को दे दें आज सदन में, कि जो अक्तूबर में गन्ना बोयेंगे उनके गन्ने के पेरवाने का वह प्रबंध अक्तूबर के महीने में कर देंगे तो मैं उनको किसानों की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि काफी बड़े क्षेत्र में किसान अक्तूबर में गन्ना और गन्ने के साथ-साथ उस गन्ने के अन्दर आयल सीड्स या चना वगैरह बो सकेंगे। उनकी तकरीर से मेरी दूसरी शंका जो इस अध्यादेश के कान्सटीट्यूशनल आस्पेक्ट से सम्बन्ध रखती है, वह और भी मजबूत हो गयी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कानून के इन्टरप्रिटेशन में कभी-कभी जब एक्स्टर्नल एड्स ली जाती है तो सरकार की तकरीर को भी कभी-कभी पढ़ लिया जाता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि कभी उनकी तकरीर को पढ़ा गया तो अवश्य ही यह अध्यादेश और वह कानून जो इस अध्यादेश को स्थापित करने के लिये लाया जा रहा है, संविधान की धारा १४ का उल्लंघन करेंगे। संविधान की धारा १४ के मुताबिक हमको उन तमाम नागरिकों के साथ जो एक-सी हालत में हैं एक-सा बरताव करना चाहिये। उन्होंने बताया कि पावर क्शर और खंडसारी यूनिट्स को वह इकाइयां, जो रिजर्व एरिया में चल रही हैं उन पर इसलिये प्रतिबंध लगाया जा रहा है क्योंकि गन्ने की वहां खरीद में कुछ माल-प्रक्टिसेज चल रही हैं और वहां जो श्रमिक काम करते हैं उनके साथ न्यायोचित

[श्री शिवराज सिंह यादव---]

बर्ताव नहीं होता है, उनके ऊपर कोई सरकारी कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यदि यह भी सही हो तो यह तमाम दिक्कतें और माल प्रैक्टिसेज जो आज रिजर्व एरिया में हैं वे नान-रिजर्व एरिया में भी मौजूद हैं। इसलिये उन दोनों में जो डिफरेंस और discriminations यह कानून पैदा करता है वह rational और reasonable नहीं हैं और संविधान की धारा १४ का उल्लंघन है और equality before law के खिलाफ यह चीज जाती है।

इसके अतिरिक्त हमारी सरकार की नीति कोआपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने की है। आज देहात के अन्दर यदि कुछ काश्तकार एक जगह इकट्ठा होकर गन्ना पेरने का प्रबंध कर लेते हैं उसके बाद गुड़ और राब बनाने के जो उन्नतिशील ढंग हैं उनको अपनाकर कहीं राब और खांडसारी बनाने का प्रबंध करते हैं तो कौन-सा जुर्म करते हैं। उनका इस प्रकार से इस उद्योग पर प्रतिबन्ध और लाइसेंस तथा टैक्स लगाना क्या कोआपरेटिव नीति के अनुकूल है? अगर वे उनको कंसेशन्स दे दिये होते तो मुझे खुशी होती। अगर आप इस प्रकार से आर्थिक दबाव रिजर्व एरिया में डालेंगे तो उससे सटा हुआ जो नानरिजर्व एरिया है उसमें भी बहुत से क्रशर्स लगे हुये हैं वह और बढ़ जायेंगे। क्या आपने उन पर भी कोई प्रतिबन्ध लगाया है? अगर नहीं तो क्यों? आपको सबके साथ रैशनल होना चाहिये। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस अध्यादेश के तहत में जो कानून आप ला रहे हैं उससे रिजर्व एरिया के चारों तरफ कितने ही पावर क्रशर्स और बढ़ जायेंगे और वे काफी दूर तक का गन्ना खींचेंगे क्योंकि आपके जो भी परचेजिंग सेंटर्स हैं वे सभी रिजर्व एरिया के circumference के पास नहीं हैं वह अन्दर हैं और इस प्रकार काफी मात्रा में उसका गन्ना फिर भी आपके पावर क्रशर्स और खांडसारी ईकाइयों में हो जायगा जिसकी ओर आपका ध्यान नहीं है। लाइसेंसिंग फीस लेने की बात जो इसमें रखी गयी है, मैं तो उसके बिलकुल विरोध में हूं। उसका स्पष्ट कारण यह है कि आपकी मंशा इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा कर सरकारी कोष के लिये कोई धन कमाना नहीं है। आप केवल इसलिये प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि गन्ना इन क्रशर्स के पास न जाकर आपकी मिलों के पास जाय। जब आपने लाइसेंस देने का प्रतिबन्ध पहले लगाया है तो फिर यह फीस किस बात की? आज का नागरिक यह चाहता है और उचित भी है कि जब कभी उससे कोई फीस ली जाय तो उसका मुआवजा उसके एवज में उसको कुछ मिलना चाहिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो पावर क्रशर्स और खांडसारी इकाइयों से लाइसेंस फीस लेते हैं, उनको आप कौन-सी सेवा करते हैं और उनको कौन-सी सहायता देते हैं। इसके लिये आपका क्या न्यायसंगत तर्क है जो आपने इतनी बड़ी धनराशि लेने की बात इसमें रखी है। इन तमाम बातों की तहत में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस अध्यादेश की उम्र खतम होने के पहले-पहले आप ऐसा बिल लावें जिसके अन्दर इन तमाम दिक्कतों का निराकरण हो। जिसके अन्दर न केवल मिलों की हिमायत हो बल्कि गन्ना पैदा करने वाले जो कोआपरेटिव बेसिस पर गुड़, राब या खांडसारी तैयार करते हैं उनकी दिक्कतों तथा उपभोक्ताओं की दिक्कतों का भी पूरा-पूरा निराकरण हो। अगर आप इस तरह से पीसमील लेजिस्लेशन लायेंगे तो मैं आज ही वार्निंग देता हूं कि निकट भविष्य में ही आपको कोई अमेंडिंग बिल लाना पड़ेगा और जिस सदन के अन्दर इतनी बड़ी संख्या सदस्यों की हो उसके लिये जल्दी-जल्दी अमेंडिंग बिल लाना कोई शोभा की बात नहीं है। तो मैं आपसे पुनः यह प्रार्थना करता हूं कि इस अध्यादेश की स्थापना करने के लिये आप एक ऐसा बिल लावें जो सम्पूर्ण हो और उसके अन्दर इन तमाम दिक्कतों का निराकरण होना बहुत आवश्यक है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं किसान नेता और गन्ना पैदा करने वाले किसानों के प्रतिनिधि भाई गेंदा सिंह को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस आर्डिनेंस का अनुमोदन किया उनको भी बधाई देता हूं और बधाई इस बात के लिये भी देता हूं कि कैबिनेट के सदस्यों को छोड़ कर इस आदरणीय सदन के अन्दर कोई भी

माननीय सदस्य नहीं है जिसने इस आर्डिनेंस का समर्थन किया हो। मेरी दिक्कत है, मैं जानता हूं कि साथी गेंदा सिंह, श्री जगदीश शरण अग्रवाल और श्री शिव राज सिंह के समाने गन्ने के बारे में उतनी बातें मैं नहीं बता सकूंगा जितनी श्री गेंदा सिंह ने तथा और सब लोगों ने बतलायीं। लेकिन मान्यवर, मेरी तकलीफ यह है कि माननीय उपमंत्री महोदय ने जहां इस बात का आश्वासन दिया कि छोटी-छोटी काटेज इंडस्ट्रीज, जो गन्ने की चलती हैं, उनको कोई आघात नहीं होगा। वहां इस बात को उन्होंने बिलकुल ही नहीं बतलाया कि वह कौन-सी वजूहात थीं जिनकी वजह से इस आर्डिनेंस को यहां लाना पड़ा, क्योंकि जिस आर्टिकल के अनुसार यह आर्डिनेंस लाया गया है वह २१३ है। आपकी आज्ञा से मैं उसकी दो पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं--"२१३ (१) उस समय को छोड़ कर जबकि राज्य की विधान सभा, तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन, सत्र में हैं यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।"

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन-सी परिस्थितियां थीं जिनके अनुसार यह आर्डिनेंस लाया गया। दूसरी बात यह है कि १८ नवम्बर को जबकि यह हाउस इन सेशन था तो जरूरत होने पर उसे बुलाया जा सकता था। मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि क्या कैबिनेट के लोगों ने, माननीय मुख्य मंत्री ने या उनके साथियों ने माननीय अध्यक्ष से सलाह ली? १८ नवम्बर को अगर आर्डिनेंस की जरूरत थी तो क्यों नहीं सेशन बुलाया जा सका? स्पीकर साहब से राय ली जाती, उसके बाद स्पीकर साहब यह कहते कि इस समय सेशन बुलाना उचित नहीं है तब उसके बाद आर्डिनेंस लाया जाता तो मैं समझता हूं कि मुझे विरोध करने का कोई मौका नहीं मिलता। मैं जानना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन की स्प्रिट के खिलाफ यह चीज हो रही है और जनतंत्र के प्रति चारों ओर एक अविश्वास-सा फैलता जाता है। जब १८ नवम्बर तक असेम्बली प्रोरोग नहीं हुई थी, उसके पहले कोई सेशन होता तो बुलाया जा सकता था, कैबिनेट को हम अन्तिम चीज नहीं समझते, वह तो हाउस की एक कमेटी ही है तो क्यों नहीं हाउस को कान्फिडेंस में लिया गया। बार-बार पूछा गया कि लाइसेंस फी या कोई चीज लगाना चाहते हैं तो कहा गया कि कोई चीज नहीं ला रहे हैं। मंत्री जी ने तो स्पष्ट नहीं किया लेकिन मैं आर्डिनेंस का मन्तव्य पढ़ना चाहता हूं--

"There was large scale diversion of sugarcane from sugar factories to Khandsari units in the last crushing season. Government collected the necessary data, gave considerable thought to the matter, discussed it with representatives of Khandsari manufacturers and sugar factories and came to the conclusion that the preliminary step taken in February last should be followed up by the following measures."

यह हमारी कैबिनेट और गवर्नमेंट का कहना है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर फैक्टरीज का हित आता है, मिल-मालिकों के हित का सवाल आता है तो उसके लिये आर्डिनेंस आ जाता है। जब लाखों रुपया केन सेस का बकाया है और किसानों का गन्ने का रुपया सैकड़ों और लाखों बाकी है तब कोई आर्डिनेंस नहीं आया। उस वक्त कोई अधिनियम बनाने की बात नहीं आई और जब कभी भी विरोधी दल की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि लाखों रुपया सेस का इन मिल मालिकों पर बकाया है और किसानों का गन्ने का लाखों रुपया बाकी है जिस गन्ने को किसान जेठ की गर्मी में सींचकर तैयार करता है और अपने खून पसीने से गन्ना तैयार करके ले जाता है उसका भी पैसा वह नहीं पाता। इस तरह से यहां की कैबिनट बराबर मिल-मालिकों का पक्ष करती है और कोई खयाल किसानों का नहीं किया जाता।

एक दूसरी तरफ भी मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी सरकार को अधिकार है कि वह शुगर केन बोर्ड बनाये। मैं माननीय उद्योग मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि शुगर

[श्री प्रतापसिंह]

केन बोर्ड की भी कोई सिफारिश आई ? मैं आपकी आज्ञा से बोर्ड के कर्त्तव्य भी बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि बोर्ड निम्नलिखित बातों पर एडवांस देगा--(१) "Matters pertaining to the regulation of supply and purchase of cane for sugar factories."

यह आर्डिनेंस इस के परव्यू में आता है। फिर (२) है "The varieties of cane which are suitable or unsuitable for use in sugar factories."

और (३) है "The maintenance of healthy relations between occupiers or managers of factories, cane growers, their Co-operative Societies, Cane Development Councils and Purchasing Agents."

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह चीजें जो आर्डिनेंस के पेज ३ पर हैं वह उसके परव्यू में हैं या नहीं ? यह शुगर केन बोर्ड यू० पी० गवर्नमेन्ट को सलाह देगा गन्ने की सप्लाई और परचेज के बारे में या कोआपरेटिव आदि के बारे में, अगर केन बोर्ड ने कोई सलाह दी है तो वह हमें बताई जाय। एक बड़े तमाशे की बात है कि यह फैसला कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में ले लिया गया, मैं तो उसको कोई एबसोल्यूट अथारिटी नहीं समझता, हमें तो यू०पी० की जनता के प्रति वफादार होना चाहिये क्योंकि प्रजातंत्र की सर्वोच्च सत्ता जनता में ही है। अगर मिलमालिकों के रोब में आकर और उनके असर में आकर हम अपने फैसले करते हैं तो उसका यह मतलब नहीं है कि गवर्नर साहब को सलाह देकर आर्डिनेंस लाया जाय। कौन-सी ऐसी आवश्यकता है ? श्रीमन्, यह आर्डिनेंस कब आना चाहिये था ? जब प्रत्येक रीजन में जहां किसानों का गन्ना खड़ा है, छोटी-छोटी सहकारिता की फैक्टरीज होतीं। माननीय उप-मंत्री जी को तब कहने का मौका मिलता कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सहकारी फैक्टरीज खोल दी हैं और उनको गन्ना नहीं मिलता है, इसलिये इस आर्डिनेंस की जरूरत है। इस वक्त इस आर्डिनेंस को लाना कि हमारी फैक्टरीज को गन्ना नहीं मिल रहा है, यह इस बात को छिपाना है--जो कि उन्हें साहस के साथ कहनी चाहिये--कि हम मिल-मालिकों की मदद करना चाहते हैं।

दूसरी बात हमारे मंत्री महोदय ने कही कि सौ फीसदी से उनको ज्यादा मुनाफा हो चुका है। फैक्टरीज के मुनाफे की तरफ भी आप जरा गौर करें। मैं आपकी आज्ञा से इंडियन शुगर मैनुअल के पेज १०७ से पढ़कर बताना चाहता हूं कि शुगर इंडस्ट्री का मुनाफा सन् १९४७ में १७१.५ था और सन् १९५६ में ४५४.५। तो मैं बताना चाहता हूं कि यह लगभग २५० फीसदी ज्यादा हो गया। जहां इतना मुनाफा है वहां तो मंत्री महोदय उन मिल-मालिकों का प्रोटेक्शन चाहते हैं और जो काटेज इंडस्ट्रीज के रूप में चला रहे हैं, जिसका नारा मंत्री महोदय भी देते हैं, उनके लिये कुछ नहीं किया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश नहीं बनाना चाहते हैं जहां किसान थोड़ा-सा गन्ना पैदा करे और खुद पेर ले और अपनी जरूरत के लिये गुड़ भी बनावे और चीनी भी बनावे ? इसमें किसका नुकसान है ? जनता का या गवर्नमेन्ट का ? इसमें मिल-मालिकों का नुकसान है। उनकी तिजोरी खाली होती है। जिस दिन उनकी तिजोरियां खाली होंगी उस दिन कैबिनेट के बहुत से सदस्य वहां नजर नहीं आयेंगे। हो सकता है बहुगुणा जी आयें क्योंकि वह तो मजदूर के घोड़े पर चढ़ कर आये हैं। माननीय बहुगुणा जी बार-बार कहते हैं कि मैं छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूं और जिस दिन छोटे उद्योगों का ह्रास होने लगेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं इसकी कद्र करता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि आर्डिनेंस की क्या जरूरत थी ? एसेम्बली को बुलाने के लिये स्पीकर साहब से क्यों राय नहीं ली गई ? यह एक बहुत अहम मसला है।

य ह उन पर आघात करता है जो कि इस प्रदेश की रीढ़ हैं। मैं फिर कहता हूं कि यह मौका नहीं था कि इस आर्डिनेंस को लाया जाता। हमारी जो इकानामिक पालिसी है, जो इंडस्ट्रियल पालिसी है और जो शुगर बोर्ड के फैसले हैं उनका कुछ खयाल है? केवल काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स ने फैसला कर लिया और माननीय बहुगुणा जी से कहा कि रख दीजिये और उसके बाद उन्होंने रख दिया जबकि हमारा सदन है और हम लोगोंको यह हक है कि हम अपने खयालातों का इजहार करें।

मेरा एतराज यह भी है कि जब जनतंत्र की जड़ें हिल रही हैं, ऐसे मौके पर आर्डिनेंस का लाना जनतंत्र की जड़ को खोदना है। अन्त में मैं अपने सब साथियों को श्री जगदीशशरण जी अग्रवाल, श्री शिवराज सिंह यादव और दूसरे साथियों को जो कि नहीं बोले हैं, उन सबको और श्री गेंदा सिंह जी को बधाई देता हूं कि जिनके प्रस्ताव का केबिनेट के लोगों को छोड़ कर सबने समर्थन किया है।

*श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---अधिष्ठात्री महोदया, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस अध्यादेश को लाने में सरकार की ओर से जो बहस चलायी गई यहां उसमें जो मुद्दा खुल करके सामने आया वह चीनी मिल बनाम खंडसारी, या चीनी मिल प्रतिनिधि बनाम खंडसारी प्रतिनिधि रहा। इसके पीछे कौन-सा ऐसा वर्ग है जिसका सब से ज्यादा स्वार्थ निहित है, इसका इस अध्यादेश में कोई जिक्र नहीं है। इसके लाने का क्या मंशा है? संबंधित विधेयक के उद्देश्य और कारणों में बताया गया है कि चूंकि फैक्ट्रीज को गन्ना उचित मात्रा में नहीं मिलता रिजर्व एरियाज में, खंडसारी का काम भी बढ़ गया है, इसलिये मिलों को गन्ने की सप्लाई कम होती है इस वजह से कुछ प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है। कुछ पहले प्रतिबन्ध लगे और कुछ अब लगाने की आवश्यकता है। इसलिये यह अध्यादेश आया और सीधे-सीधे यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि खंडसारी की यूनिट्स पर लाइसेंसिंग सिस्टम कर दिया जाय और उनकी सेस या ड्यूटी बढ़ा दी जाय ताकि उनको प्रोत्साहन न मिले और वह कम हों ताकि गन्ना मिलों में आ सके। लेकिन उन मूल कारणों को ढूंढ़ने का सरकार ने प्रयास नहीं किया जिनकी वजह से गन्ना मिलों को नहीं मिलता? उसका कारण यह है कि किसानों को उनके गन्ने की उचित कीमत नहीं मिलती, यही वजह है कि मिलों को गन्ना उचित मात्रा में नहीं मिलता। यह कारण नहीं है कि गन्ना की पैदावार कम हो गई या खंडसारी में ज्यादा जाने लगा। वहां तो ज्यादा इसीलिये जाने लगा कि वहां उनको उचित दाम मिलते हैं। मुझे दुख है कि आज तक सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हुआ। नागपुर अधिवेशन के बाद जिसमें राष्ट्रीय व्यापार की योजना सरकार ने अपनायी उससे इतना जरूर मालम हुआ कि किसानों को उनके उत्पादन की सही कीमत मिलनी चाहिये। लेकिन इस अध्यादेश से सरकार का दृष्टिकोण बिलकुल विपरीत मालूम होता है। अगर किसान को गन्ने की कीमत सही दिलायी जाय तो कोई वजह नहीं है कि वह मिल में गन्ना न ले जाय। सरकार कह सकती है कि गन्ने की कीमत केन्द्रीय सरकार ने ३ आना मन बढ़ायी लेकिन दूसरी तरफ चीनी की कीमत बढ़ा करके मिल मालिकों को फायदा पहुंचाया गया। इससे किसान को क्या फायदा हुआ? इसलिये अगर यह कहा जाय कि सरकार मिल मालिकों के हित को सामने रख कर यह अध्यादेश लायी है तो कोई गलत नहीं है। अगर किसान को यह प्रोत्साहन मिले कि उसको उत्पादन का उचित दाम मिलेगा तो कोई वजह नहीं है कि वह अपना गन्ना मिलों में न ले जा कर खंडसारी यूनिट्स पर ले जाय। लेकिन एक तरफ कीमत पर प्रतिबन्ध लगा कर गन्ना कम कीमत पर लिया जायगा और दूसरी ओर रिजर्व एरिया में खंडसारी यूनिट्स लगाने की इजाजत न दी जाय ताकि किसान को मजबूर हो कर मिल में मनमाने तरीके पर अपना गन्ना देना पड़े, यह दृष्टिकोण सरकार का ठीक नहीं है। अगर किसान को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भोखालाल]

उसके उत्पादन का उचित दाम मिले तो कोई झगड़ा ही न रहे। हमारी भी मंशा है कि मिलों को गन्ना मिले लेकिन काश्तकारों को मजबूर करके मिलों को गन्ना न दिलाया जाय।

खंडसारियों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि ऐसे-ऐसे तरीके हैं जिससे वे किसानों को लूटते हैं, किसानों से रुक्के लिखवा लेते हैं और मनमाने ढंग से गन्ना लेते हैं। हो सकता है ऐसा होता हो लेकिन क्या ऐसा प्रतिबन्ध लगा कर किसान को दूसरी तरह से मजबूर नहीं किया जा रहा है कि गन्ने की खपत वह कैसे करे? खंडसारी बन्द हो जाय फिर मिल को मजबूर हो कर उसे सस्ते दामों पर गन्ना देना पड़े, यह जो सरकार का रवैया है यह उचित नहीं है कि दूसरे तरीके से इस प्रकार प्रतिबन्ध लगा कर छोटे उद्योगों को धक्का पहुंचाया जा रहा है जिससे कि आदमियों की बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। यह भी हमारे समाजवादी उद्देश्यों के खिलाफ है। इन शब्दों के साथ मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं और माननीय गेंदा सिंह जी ने, जो प्रस्ताव उपस्थित किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---अधिष्ठात्री महोदया, कल मैं इस विषय पर बोल चुका हूं इसलिये अधिक समय नहीं लूंगा। मेरा खयाल है कि हमारे उप-मंत्री जी इस उद्योग को संभाले हुए हैं, वे अपने विषयों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद ही वे उस पर बोलते हैं, परन्तु आज जो उन्होंने खांडसारी के लाभ के आंकड़े बतलाये उससे मैं यह समझा कि उनको गलत सूचना दी गई है। उन्होंने जो कहा कि १०० फीसदी मुनाफा खांडसारी वालों को हो चुका है वह शायद ठीक नहीं है, लेकिन अगर इतना भी हो तो मिल वालों को भी इससे कम मुनाफा नहीं है और अगर मिल को इतना मुनाफा होता है तो फिर उसको किसी संरक्षण की जरूरत नहीं है और इतना मुनाफा जब उनको हो जाता है तो वे स्वयं ही कम्पिटीशन द्वारा प्रास्पर करेंगे।

जहां तक खांडसारी का सम्बन्ध है एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि खांडसारी में ईल्ड कम होती है। १०० मन गन्ने में से साढ़े ६ मन खांड निकाल पाते हैं और मिल १० मन चीनी निकालती है। लेकिन हम यह भी कहते हैं कि नुकसान होता है। यह भी सब जानते हैं कि जितना छोटा उद्योग होगा उतना ही काम करने का व्यय उसमें ज्यादा होगा और जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उसका रनिंग एक्सपेंडिचर कम होगा।

जहां तक गन्ने के मूल्य का सवाल है यह बात तो पिछले दो तीन सालों से साफ है कि सुरक्षित क्षेत्रों में खांडसारी वालों ने जो गन्ना खरीदा उसका मूल्य निश्चित रूप से मिल की अपेक्षा अधिक दिया। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कोई भी खांडसारी वाला ऐसा नहीं होगा जिसने गन्ने के मूल्य को मिल वालों से अधिक न दिया हो और इस प्रकार गन्ने के उत्पादक को गन्ने का मूल्य अधिक मिल गया, फिर खांडसारी बनाने में खर्चा ज्यादा हुआ, ईल्ड कम हुई, लेकिन मुनाफा बढ़ गया यह बात किसी तरह से ठीक नहीं बैठती?

मैं निश्चित रूप से विनियमन के पक्ष में हूं और मेरी राय में नियंत्रण हमको करना पड़ेगा लेकिन सुरक्षित क्षेत्र में आपको विनियमन की आवश्यकता न पड़े यदि उस क्षेत्र का सारा गन्ना लेने की जिम्मेदारी मिलें ले लें। माननीय उप-मंत्री के आंकड़ों के अनुसार १९ लाख एकड़ जमीन सुरक्षित क्षेत्रों में है जिसमें गन्ना बोया जाता है और ७८ करोड़ मन गन्ना वहां पैदा होता है और मिलें कुल ४० करोड़ लें तो बाकी जो गन्ना है, यदि आप विनियमन करके राब वालों व खांडसारी वालों को निकाल देंगे, वह कहां जायगा?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---निकाल नहीं रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद---ठीक है, निकाल नहीं रहे हैं लेकिन यदि किसी इंडस्ट्री में मुनाफा कम होता जायगा तो उसको डिसकरेजमेंट तो होता ही है। लिहाजा ऐसी नीति होना चाहिये कि वह भी जिन्दा रहे। जो बाकी बचे ३८ करोड़ मन उसको अगर खांडसारी

वाले नहीं ले सकते और उसका कोई उचित प्रबन्ध नहीं होता है तो वह गन्ना कहां जायगा ?

दूसरी बात मैं एक और बताऊं। यदि मिल वाले पूरा गन्ना ले लें तो मेरा तो यह अनुभव है कि मिल वाले दो पैसा कम दें, मिल वाले थोड़ा-सा ज्यादा परेशान करें तब भी किसान उन्हीं को गन्ना देना पसन्द करता है किसी दूसरे के मुकाबले में। तो आप यह कर सकते हैं कि अक्तूबर से अप्रैल तक अगर मिल चली तो ६ महीने में यह सारा गन्ना ले लिया जायगा और यदि वह गन्ना नहीं लिया जायगा तो निश्चित रूप से वह गन्ना कुछ सस्ता देंगे भी और नहीं भी देंगे तो किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया ही जायगा।

एक बात और जरा-सी कहूं। गुड़ और राब का जहां तक सम्बन्ध है मेरा अपने जिले में तो यह अनुभव है कि कोई रोजगारी आदमी गन्ना खरीद कर गुड़ बना कर नहीं बेचता। गुड़ वही लोग बेचते हैं जो अपने गन्ने का बनाते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जिले जिले का अनुभव अलग-अलग है।

श्री जगदीशप्रसाद---और जब अपने गन्ने से गुड़ बना कर किसान बेचता है तो उस पर कोई विनियमन नहीं रहता। फिर गुड़ में ईल्ड कम है, लेकिन भोजन तत्व तो है और गांव के लोग गुड़ का खाना पसन्द करते हैं।

जैसा मैंने निवेदन किया था, मुझे बहुत नहीं बोलना है, केवल दो, तीन शब्दों में अपनी एक और भावना व्यक्त कर कर दूं। माननीय प्रताप सिंह जी की उस भावना से मैं सहमत हूं कि अध्यादेश निकालने की जो शक्ति सरकार को संविधान के अन्दर दी गयी है वह बहुत विशेष परिस्थितियों में दी गयी है और किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य में ज्यादा अध्यादेश का आना उस सरकार के लिये श्रेयस्कर नहीं है। यह परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि जिनमें अगर अध्यादेश न निकाला जाता तो मिलें बन्द हो जातीं और हमें किसी एमर्जेन्सी का सामना करना पड़ता। अतः मैं आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि इसको सोचें और आगे इसको न दोहरायें तो अच्छा है।

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)---अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री गेंदासिंह**---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं अपने को बहुत भाग्य वान् मानता हूं कि माननीय बहुगुणा जी का एक भी माननीय सदस्य ने समर्थन नहीं किया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---समर्थन करने वालों की तरफ से तो मैं बोला ही।

श्री गेंदासिंह---अगर बहुगुणा जी अपने को समर्थन करने वालों की ओर से बोलने वाले कहते हैं तो उनको एक प्रश्न पर सोचना होगा और मैं उनको बहुत तीव्र बुद्धि का व्यक्ति मानता हूं तो जरा हमारे लिये दिक्कत होगी कि आइन्दा भी वह हमारा यह ख्याल बना रहने दें। उनसे मैंने कुछ निवेदन किया था और खासतौर से उस वक्त कि जब चीफ मिनिस्टर साहब भी यहां मौजूद थे, कुछ सवालात मैंने कर दिये थे। मैं समझता हूं कि उन सवालात का जवाब देना वह मुनासिब नहीं समझते थे या उनको जानबूझ कर एवायड किया। तो अब मैं जबरदस्ती जवाब तो ले नहीं सकता। लेकिन मैं एक दो बातें कह देना चाहता हूं अगर उनको हमारी बात नापसन्द हो, हमको वह समझते हों कि यह तो राजनीतिक दांव पेंच की बात करते हैं, इनके मन में कोई और बात है, इसलिये वह हमारी बात नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह---]

मान सकते हैं तो जगदीश प्रसाद जी, जगदीश शरण जी और शिव राज सिंह यादव जी के मन में तो कोई और बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके मन में और कोई बात नहीं है और मैं आशा करता हूं कि वह बिना गुस्से के उनकी बात पर विचार करेंगे और अगर वह विचार करने की कृपा करेंगे तो शायद वह हमको भी नजदीक पायेंगे।

आपने जो कल सुन्दरम जी का नाम ले लिया तो उससे मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं कहता हूं कि जब वह कोई बात जानते नहीं हैं तो उनका इसमें हाथ डालना ठीक नहीं है। यदि सुन्दरम जी को कोई जानकारी थी तो वह आंध्र के बारे में थी, वहीं उनका जन्म हुआ, खाना वहीं खाया, शादी विवाह वहीं हुआ, बच्चे वहीं पैदा किये तो वहीं की बात वह ज्यादा जान सकते हैं। यहां की बात वह क्या जानेंगे? जब-जब सुन्दरम और ऐसे लोग रहे हैं तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री को चौपट ही किया है। १९४८ में जब शुगर इंडस्ट्री का स्कैंडल हुआ था तो इन्हीं लोगों के कारण हुआ था। आज गोपालन वहां क्या करते हैं? वह उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री को मारना चाहते हैं और अगर आप भी उनके मददगार हों तो फिर मैं क्या कर सकता हूं।

इस कमीशन की रिपोर्ट थी कि खांडसारी इंडस्ट्री को विलेज इंडस्ट्री समझें। आप दिखा दें कि कहां उन्होंने कहा है कि इस पर टैक्स लगा दो? २०० रुपये का लाइसेंस लगाने को कहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करती है वह भी आपका ही काम करती है और बिना इसकी सिफारिश के उसने एक्साइज ड्यूटी लगाई और उसमें आपका भी हिस्सा है। आपने जो यह टैक्स लगाया तो नये मेजर्स क्यों अखतियार किये? उनको मारने के लिये या उनको जिलाने के लिये? पहले लाइसेंस का आर्डर हुआ, फिर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई, फिर यहां की गवर्नमेंट का हुक्म हुआ। इस के बाद मिल मालिकों को सब्र नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से उनको गन्ना नहीं मिल पाता है। इसके बाद हुकूमत ने सोचा और अक्तूबर में उसको इलहाम हुआ और उसने फैसला कर दिया। अब हम आगे भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन्स लगायेंगे जिससे रिजर्व एरिया में ही नहीं बल्कि सारे उत्तर प्रदेश के एरिया में लोग आतंकित हो जायं और कोई क्रशर लगाने ही न पायें। वह कहते हैं कि क्रशर्स .....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जितना उत्पादन हुआ है, कम होगा।

श्री गेंदासिंह---आप के पास फीगर्स हैं, लेकिन हम को डर लगता है कि बहुगुणा जी को कहीं जल्दी इस्तीफा न दे देना पड़े। हम चाहते हैं कि जब तक हम बने रहें वह भी बने रहें। लेकिन मेरा खयाल है कि सही जानकारी जिस वक्त होगी, इस्तीफा उनको उसी वक्त दे देना पड़ेगा। आपने एक कानून गन्ने की बिक्री और खरीद को विनियमन करने के लिये बनाया। उसमें भी यह पास हुआ कि कोई रेस्ट्रिक्शन खांडसारी, कोल्हू या गुड़ पर नहीं किया जायगा, कोई डिस्करेजमेंट का काम नहीं होने पायेगा। आपने उस समय क्यों नहीं विचार किया? मैंने मुख्य मंत्री जी के सामने कहा था। मुख्य मंत्री जी चले गये। आपने उनसे पूछा भी नहीं कि कहा था या नहीं। मैंने कहा था कि प्रोसीडिंग मंगा कर देख लीजिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---मैं कब इनकार करता हूं।

श्री गेंदासिंह---मैं आप से पूछता हूं कि जब उस समय मांग की गयी थी कि ऐसा कदम मत उठाइये, तो क्यों उठाया? आपने कहा कि खांडसारी वालों को १०० प्रतिशत मुनाफा हो गया है। लेकिन मैं पूछता हूं कि १९४७ में जिस शुगर इंडस्ट्री का मुनाफा १७१.५ था वह १९५६ में ४५४.५ हो गया, तो यह कितने गुना हुआ? ढाई गुना हुआ। आप यह पसन्द करते हैं कि किसी का बहुगणा हो जाय, १०० प्रतिशत यानी दुगना हो जाय

तो पसन्द नहीं है लेकिन ढाई गुना हो जाय तो पसन्द है। यह मुनाफा १९४७ से १९५६ में हुआ जब कि किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था कि उन्हीं के हाथ गन्ना बेचें। १९५८ में यह बंधन हुआ और मिल मालिकों को ३७ रु० ८५ नये पैसे में जो चीनी बेचनी चाहिये थी उसके बजाय ४५ रुपये मन पर आज मुजफ्फरनगर और हापुड़ में बेच रहे हैं। उसके बाद आज आवश्यकता यह है कि रुकावट लगायी जाय उनके ऊपर जो खांडसारी, राब या गुड़ में गन्ना चला जाता है। मैं समझता हूं कि यह करोड़ों किसानों के विरुद्ध मेजर है। मैं यह भी जानता हूं कि कांग्रेस मजबूत है। जो बहुगुणा जी ने कहा उसमें रत्ती भर शक नहीं है। अगर मजबूत न होती तो कोई अंधा हो कर ही ऐसा काम कर सकता है। समझदारी से ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कमजोर हूं। कमजोर किसान भी है। लेकिन उस किसान की कमजोरी से इस तरह का फायदा मुल्क के करोड़पति उठा रहे हैं उसका क्या नतीजा होगा? चीन पर आज शाम को बहस होने वाली है। उस वक्त यह सारा हाउस भरा हुआ होगा। उसमें बड़ी दिलचस्पी होगी लोगों को, यह गैलरी भी भरी होगी और कल बड़े मोटे-मोटे हरूफों में वह जो चीन की चर्चा यहां होगी वह अखबारों में छपेगा लेकिन यह घर में जो चीन के एजेंट हैं उनकी क्या हालत है, उनको कुछ मदद आप कर रहे हैं या सरकार कर रही है या क्या कर रही है?

एक सदस्य—वह कौन हैं?

श्री गेंदासिंह—मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं कि चीनी के दो हमले हैं। एक हमला तो बार्डर पर है और दूसरा हमला तो उसका इकोनामिक हमला है, आर्थिक आक्रमण है और उस आर्थिक आक्रमण को कौन बढ़ा रहा है? कहां आप जा रहे हैं इस वक्त? लाखों किसानों को, करोड़ों किसानों के हितों का आप बलिदान कर रहे हैं पचास साठ मिल मालिकों के सामने। इन पचास साठ मिल मालिकों के सामने उनका बलिदान करके और उनके ऊपर लगाम न लगा कर के, उनको खुली छूट मुनाफे में देकर के इनके ऊपर कितना रेस्ट्रिक्शन, कितनी पाबन्दियां, इन गुड़ बनाने वालों पर और गन्ना पैदा करने वालों पर सरकार ने लगा रखी हैं? उसको अपनी कीमत तय करने का अधिकार नहीं, अपने ग्राहक तय करने का अधिकार नहीं। सरकार तय करती है ग्राहक कि गन्ना फलां जगह जायगा, और कीमत भी सरकार तय करती है। कोई दुनिया का ऐसा सौदा नहीं कि जिसमें जो आदमी पैदा करता है वह कुछ अपना भाव ताव न कर सके। सरकार ने कोआपरेटिव भी बनायी है उस कोआपरेटिव को भी अपने हाथ में रखकर के और उसका भी दुरुपयोग कर रही है। उसको भी यह हक नहीं देती कि हम अपने गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में बातचीत कर सकें। एक रास्ता हमारे लिये दिखाई दे रहा था और वह रास्ता यह था कि गांवों में जब मिलमालिकों के एजेंट शरारत करते हैं, पुर्जियां देने में पैसा मांगते हैं, तो उस वक्त किसान खंडसारी वालों के यहां गुड़ और राब बनाने वालों के यहां अपना गन्ना पटक कर ट्रांस्पोर्ट के खर्चे से बच जाता है, ढोने का खर्च बचा लेता है। यह सही है कि ज्यादा कीमत दी है खंडसारी वालों ने। तो उनके पास जब वह चला जाता है, तो सरकार उनके ऊपर हमला करके हमारे अन्दर यह भावना पैदा कर रही है कि जो कोई इनकी मदद करने के लिये आयेगा, वह मारा जायगा इन बड़े-बड़े मिल मालिकों के सामने। मैं कहता हूं कि क्या औचित्य है इसका?

बहुगुणा जी ने सवाल किया कि क्या अब तौल ठीक हो गई? उसका उत्तर कई भाइयों ने दे दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या अब तौल ठीक हो रही है उन सारी शुगर फैक्ट्रियों में? वह जरा शुगर इंसपेक्टर्स की रिपोर्ट्स को देख लें। मैं कहता हूं कि बड़े-बड़े लोग जो पूंजीपति हैं उनकी फैक्ट्रियों में सब से ज्यादा शिकायतें तौल की गड़बड़ी की हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आप के पास होंगी, हमारे पास तो नहीं भेजी आपने

श्री गेंदासिंह---अब मैं जल्दी में बता देना चाहता हूं। आप जरा मेहरबानी करके सरहरा को देख लीजिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बेकार मैं समझता हूं कि उससे कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, लेकिन जितने ही ज्यादा आपके नजदीक के लोग हैं, जितने ही ज्यादा बड़े लोग हैं उनके खिलाफ उतनी ही ज्यादा शिकायतें हैं और अगर ऐसी बात है तो यह दो वर्ष पहले की बात थी या नहीं? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह शिकायत क्यों १९५८-५९ में पैदा हो गई? इसके पहले यह शिकायत क्यों नहीं पैदा हुई थी? इंडियन शुगर मिल एसोसियेशन के इशारे पर यह शिकायत पैदा हुई और यह एसोसिएशन जिस प्रकार से काश्तकारों पर हमला कर रहा है और सरकार का इस्तेमाल उसमें कर रहा है, उससे सरकार जाने-अनजाने अपने खिलाफ एक विद्रोह खड़ा कराने की कोशिश कर रही है। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि सरकार अपने को इस काम से रोके और अगर नहीं रोकती है, मैं जानता हूं कि यह केवल अध्यादेश ही नहीं बल्कि इसे वह अपनी प्रैस्टिज का सवाल बनाकर खड़ा कर रही है, क्योंकि यह बिल वैसे पास नहीं हो सकता था, अगर सचमुच ही वह इस पर सोच-विचार करती। इसलिए हम तो हार ही जायेंगे। अध्यादेश तो लागू हो ही गया। गन्ना किसानों के ऊपर और उनके १८ लाख परिवारों के ऊपर यह एक तलवार लटक गई। मैं समझता हूं कि यह तलवार हटानी चाहिए सरकार को।

एक फिगर बता दी बहुगुणा जी ने। मैं उनकी सेवा में निवेदन कर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सिर्फ ४ या ४।। फीसदी गन्ना खंडसारी में जायगा। अब आप जरा एक बात देखें कि उन्होंने यह भी कहा कि १० लाख टन चीनी मिलों से पैदा होती है और २ लाख टन चीनी पैदा होती है खंडसारी से। तो इस १० लाख टन में और २ लाख टन में कितना अनुपात है इसको भी जरा आप ख्याल करें। १० लाख टन में हमारा अगर ४० फीसदी गन्ना चला जाता है तो इस २ लाख टन खंडसारी में कितना गन्ना जायगा। इसको आप जरा अपने विभाग वालों से समझें तो अच्छा है। आप इस विभाग के लिये अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ लाभ करना चाहते हैं तो हम किसानों की तरफ से आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनको भी कुछ लाभ देना चाहते हैं। आप बहुत जिम्मेदार पद पर हैं। यह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जहन्नुम में इस प्रदेश को ले जा रहा है और पिछले कई वर्षों से ले जा रहा है और ले जायगा। मैं आपसे बताता हूं कि यह सारे किसानों के खिलाफ एक साजिश है। किसानों के खिलाफ यह साजिश होने के नाते मैं आप से निवेदन करता हूं कि खंडसारी, गुड़ और राब बनाने वालों पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। इस पर बैठ कर विचार कर सकते ह। यदि सरकार उनसे कुछ पैसा लेना चाहती है तो इस पर भी देखा जा सकताहै लेकिन जहां तक इस अध्यादेश का सवाल है हम इसको निकम्मा समझते हैं और यह पास नहीं होना चाहिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अधिष्ठात्री महोदया, मैं अपने दोस्तों का बहुत कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। प्रताप सिंह जी ने कुछ मौलिक सवाल उठाये थे कि इस अध्यादेश को जारी करने की जो शर्तें थीं वह पूरी हुई या नहीं। मैं संविधान की उस धारा को पढ़ना नहीं चाहता हूं जिसका उन्होंने जिक्र किया था। मैं उस २१३ धारा को पढ़ कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। केवल यह कहता हूं कि गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर जो है उसमें यह स्पष्ट है कि सैटिस्फैक्शन गवर्नर को होना चाहिये। उसमें लेजिस्लेचर के सैटिस्फैक्शन का जिक्र नहीं है। गवर्नर यदि सैटिस्फाइड हो कि इस प्रकार की स्थिति एक्जिस्ट करती है तो उनको अध्यादेश जारी करने का पूरा अधिकार है। उनका वह सैटिस्फैक्शन कहीं पर भी क्वैश्चन नहीं किया जा सकता है। जैसी मर्यादा संविधान की है उसके अनुसार उसमें और अधिक न कह कर इतना कह दूं कि जहां पर किसी अथारिटी में सैटिस्फैक्शन वेस्ट हो तो उसको क्वेश्चन करने का राइट कहीं नहीं है। जिसको सैटिस्फैक्शन का राइट हो वह उसी तक महदूद रहता है लेकिन परामर्श करने की बात जरूर रहती है और वह हमने किया।

बदकिस्मती से यहां पर इस विषय में बड़ी चर्चा चली कि इस अध्यादेश के सम्बन्ध में यह होना चाहिये और वह होना चाहिये। अगर मैं उन सब बातों पर जाऊं तो उसके लिये बहुत समय

चाहिये। चीनी के ६५ मालिकों को चीनी उद्योग के साथ जोड़ देना और उनको ही चीनी का उद्योग मान लेना यह निहायत गलत बात है। चीनी उद्योग में लगे हुये ६०, ७० हजार मजदूर भी हैं। चीनी उद्योग में इसी तरह से सम्बन्धित काश्तकार भी हैं जो मिलों को गन्ना देते हैं। चीनी उद्योग के ट्रान्सपोर्ट में लगे हुये मजदूर भी हैं। इस प्रकार से हमारे आर्थिक ढांचे से जितना चीनी उद्योग का सम्बन्ध है वह सब के लिये चीनी उद्योग से दिलचस्पी का प्रश्न है।

श्रीमन्, एक बात कही गयी और वह हमारे लायक दोस्त शिवराज सिंह जी ने कही कि संविधान की दफा १४ का कुछ खतरा है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दफा १४ का खतरा लेश मात्र भी नहीं है। इस पर काफी विचार हुआ है और बहुत दूर तक इस बात पर विचार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी हमने खूब देख लिया है। मगर किसी कमरे में बैठकर दो वकील और दो टेक्निकल आदमी में अक्सर समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन हम इससे सन्तुष्ट हैं और हमारी तरफ से सेस वहीं पर लगाया जायगा जहां से वह लिया जा सकता है। उन्होंने यह कहा कि तुम्हारा सेस चला जाय इसलिये खंडसारी का काम रिजर्व एरिया के बाहर लोग लगायेंगे। अब मैं इस सम्बन्ध में आप से क्या कहूं। यदि मैं इस तरह की बहुत सारी बातों का जिक्र करूंगा तो जगदीशशरण जी अग्रवाल नाराज हो जांयगे। सेंट्रल इक्साइज की बड़ी शिकायत उनको है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फीगर इकट्ठा करवा लें, और मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि जो लोग यहां उपस्थित नहीं हैं उन के सम्बन्ध में ज्यादा चर्चा करना मुझे अच्छा नहीं मालूम होता, कुछ अनुचित-सी बात मालूम होती है। लेकिन सेन्ट्रल इक्साइज जो इकट्ठा होती है वह मुझे डर है कि कहीं जो हम सेल्स टैक्स आदि इकट्ठा करते हैं उस से भी कम न चली जाय। उससे कोई फायदा होगा इसका मुझे भरोसा नहीं है। खैर, उस तरफ मैं ज्यादा नहीं जाता।

एक बात से मुझे अपने पर दया भी आती है और तरस भी आता है। दया इसलिए आती है कि हम किस से क्या कहें? हम पूंजीपतियों के दोस्त कहलाने वालों का यह हाल है कि सन् १९५४-५५ में हम उनसे ५.४६ करोड़ रुपया इक्साइज लेते थे और आज १९५८-५९ में वह रुपया बढ़ कर २५.८७ करोड़ हो गया। दूसरी तरफ हम सेस का रेट देखें। जब हम आये थे तो १९३८-३९ में हमने यह सेस लगाया था और उसके बाद स्वराज्य प्राप्ति के बाद जब हम जेलों से निकल कर फिर यहां आये तो वह १९४५-४६ का १ आना मन का रेट धीरे-धीरे बढ़ कर १९४७-४८ में ३ आना मन तक हो गया बड़ी मिलों का और उस ३ आने के रेट को अगर हम रुपयों में देखें तो जहां हम ३०.९७ लाख रुपया इकट्ठा करते थे उसके स्थान पर हम ४७२.३७ लाख रुपया १९५८-५९ में इकट्ठा करने लगे। अजीब दोस्ती है कि उनका जो पैसा है, उनका जो काम है उसमें हम अपना पैसे का बोझ धीरे-धीरे बढ़ाते जाते हैं और यह हर अर्थ-शास्त्री मानेगा कि हर चीज का जो बाजार में दाम होता है उसके एक मार्जिनल रिटर्न की थ्योरी है। हम जो उनके ऊपर बोझ बढ़ाते गये उससे उनके रिटर्न में फर्क जरूर पड़ता होगा और यह एक ऐसा सत्य है कि जिसे आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता। यही दो बातें दोस्ती के बारे में मैं कहूंगा।

माननीय जगदीशशरण जी, मानता हूं कि खंडसारी से काफी परिचित हैं और उनका उससे सीधा संबंध है, उनका काफी ज्ञान है और उससे हम लाभ उठाना चाहते हैं, उठाया भी है और ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि वह बड़े जोश में एक बड़ी बात कह गये जो कहना भी नहीं चाहिये थी। हम जो १०० परसेंट मुनाफे की बात कहते हैं तो उसी ढंग से जैसे ४७१ परसेंट मुनाफे की बात चीनी उद्योग में आती है। बात में बात छिपी हुई है, लेकिन उसे न समझ कर गुस्से में कहना कि तुम नालायक आदमी हो कि तुमको फीगर्स के बारे में बिलकुल पता नहीं है, मैं समझता हूं उचित नहीं है और समझदार आदमी को जल्दी में गुस्सा आना नहीं चाहिये।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—]

एक बात भाई राजनारायण जी ने कही। क्या कहूं, जोश और तैश के साथ सारी बातें कहना शायद शोभा की बात नहीं है। वह कह गये कि यह सारी की सारी बात इसमें लिखी हुई है कि हम मिल मालिकों की मदद करेंगे। श्रीमन्, एक कहावत है कि जबरा मारे और रोने न दे। राजनारायण जी मेरे मुकाबले काफी तगड़े आदमी हैं, उनके साथ कौन बहस करे। किसी की हिम्मत नहीं है और मैं तो हमेशा उनके सामने नतमस्तक हूं और रहना चाहता हूं। लेकिन उनसे कहना चाहता हूं कि हिन्दी जो उनको बहुत प्यारी है उसी में लिखा है कि वह स्थिति आ जरूर गयी कि जिन क्षेत्रों में खंडसारी फैल सकती है, वह वहां जा नहीं रही है। मैं कहता हूं कि उनका कहना इस तरह से कहां तक ठीक है कि वे किसी आदमी की सारी बातों को न कहें और केवल कुछ ही बातों का जिक्र कर दें। हमने अपने उद्देश्य और कारणों में हर बात को स्पष्ट कर दिया है। अगर आप उसे पढ़ें तो आप को विदित हो जायेगा कि हमारी कोई नियत ऐसी नहीं है कि जिससे इस खंडसारी उद्योग को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे। हम भी चाहते हैं इस उद्योग का विकास हो। हम प्रदेश में खंडसारी उद्योग को पनपने देना चाहते हैं। अब कहने के लिये कोई कुछ भी कहें। हर आदमी अपने-अपने दल को, पार्टी को फायदा पहुंचाने की नियत से अपनी बात करता है। मुझे उनसे कुछ नहीं कहना, वे कुछ भी कहें। किन्तु यह सच है कि इसके पीछे हमारी कोई नियत मिल मालिकों को मदद करने की नहीं है। प्रजातंत्र के नाम पर अगर कोई बेकार की बातें कह कर अपने दल की सहायता करना चाहता है तो वह करे। मुझे उससे कोई लड़ाई नहीं, कोई नाराजगी नहीं हो सकती।

एक दूसरी बात। बदकिस्मती यह है कि हमारे संविधान में यह नहीं लिखा है कि अमुक व्यक्ति ही प्रधान मंत्री होगा, गन्ने का मंत्री वही व्यक्ति हो सकता है जो स्वयं गन्ना पैदा करता हो। तो गन्ने का मंत्री गन्ना पैदा करने वाला ही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक हमारे मित्र ने उन्नत किस्म के गन्ने की बात कही। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितना इस प्रकार का गन्ना हमारे यहां होता है? कितना बीज हमारे पास है? हम कहां से लाकर उसको देंगे? ऐसा तो है नहीं कि मिल दस पांच दिन ही चले। तो यह सब बातें ऐसी हैं जिन पर आप को ध्यान देना चाहिये। कितनी ही तरह की वेराइटीज हैं जो हम नहीं बना सकते हैं। उसकी तरफ हम कितना अनुसंधान कर रहे हैं? किसी भी वेराइटी को एकाएक बदल देना कोई आसान काम नहीं है। कहना तो बहुत आसान होता है, उसको करना मुश्किल होता है। हां, मैं उनकी इस बात में एक राय रखता हूं कि जल्दी होना चाहिये, जल्दी से जल्दी होना चाहिये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी भी अपना वक्त ले लेती है। उसमें आवश्यक समय तो चाहिये ही।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से क्या कहा। क्या हमारी लिखा पढ़ी चली। मैं इस सम्बन्ध में यही उनको बताना चाहता हूं कि मैं उस सूबे की सरकार का मंत्री हूं जिस सूबे की सरकार के मुख्य मंत्री माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी हैं। उन्होंने कुछ मान्यतायें बनाई हैं, और उन्हीं मान्यताओं को मानते हुए हम अपना कार्य करते हैं। मैं किसी की और बातों में नहीं पड़ता और मैं यह नहीं चाहता कि इस वाद-विवाद में कुछ उन बातों का जिक्र करूं।

मुझे इस बात का अफसोस है कि यदि किसी केन्द्रीय मंत्री ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार से हमारा समझौता हो गया है। हमारा कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है। अगर ऐसा कहा तो उन्होंने यह बात गलत कह दी। हमसे गन्ने की क़ीमत के बारे में केन्द्रीय सरकार से कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ है। मुझे जरूर इस बात की नाराजगी है कि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसका देना केवल अनुचित ही नहीं था, तथ्य से उसका सीधा-सीधा संबंध नहीं था। इसके अतिरिक्त मैं उस बयान के मुताल्लिक और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

एक बात और मेरे मित्र जगदीश शरण जी ने कही टैक्सेशन इन्सीडेन्स के सिलसिले में और कुछ फिगर्स और कैलकुलेशन का जिक्र किया और अगर फिगर्स और कलकुलेशंस की बात हुई तो वह भी कर दूंगा। जो थ्योरिटिकल है और जो प्रैक्टिकल है दोनों को स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन टैक्स ही अकेले डिफरेंशल नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शुगर इंडस्ट्री के जो वेज रेट्स हैं वही खंडसारी के भी हैं। जो इंटरेस्ट आन कैपिटल आउटले शुगर इंडस्ट्री का है क्या वही खंडसारी की है, जो इन्कमटैक्स और सुपरटैक्स शुगर इंडस्ट्री वाले देते हैं क्या वही खांडसारी वाले देते हैं ? इसके अलावा भी मैंने कहा कि इन्डाइरेक्ट सबसीडी देने के लिये मैं वचनबद्ध हूं। अगर किसी तारीख को यह मालूम हो गया कि इस हमारे निश्चय से खांडसारी को तबाही होती है तो हम कोई जिद करने के लिये इसको नहीं लगा रहे हैं। न हम यही कह रहे हैं कि यह सतत सत्य है या यह कि जैसा शंकराचार्य जी ने कहा कि "अहं ब्रह्मस्मि" तो यही चलेगा, यह शंकर तो नहीं कह रहे हैं यह हाड़ मांस के आदमी कहलाते हैं। हमारा यह दावा तो नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वही करेंगे चाहे परिणाम कुछ भी हो, कोई जिद नहीं है।

एक बात यह कही गयी कि हम ईल्ड नहीं बढ़ाते हैं और कहते-कहते वह साहब तो हवाई आईलैंड तक पहुंच गये। मैं यहां कोई इस बात के लिये तो लेक्चर देने नहीं आया हूं कि कितने एलीमेंट्स होते हैं गन्ने की खेती में उसको कितनी ह्यूमिडिटी की जरूरत है और कितने फैक्टर्स उसमें इन्वाल्व्ड हैं। इसमें मैं इस वक्त जाना भी नहीं चाहता लेकिन हमारी कोशिश यह है कि गन्ने का उत्पादन हर एकड़ पर ज्यादा से ज्यादा हो और इस प्रयास में हमें जो सफलता मिली है वह हम सब के सामने है।

एक सवाल यह उठाया गया कि अगर ३३ परसेंट क्रश मिल वाले करते हैं तो बाकी का क्या होता है ? सब से बड़ी खपत करने वाला किसान राजा खुद है, उसका अपना गन्ना और अपना गुड़। सब से बड़ी तादाद उसकी है और मैं बताता हूं कि उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

जहां तक कोआपरेटिव के डर की बात शिवराज सिंह जी ने कही उससे कोई खास डर की बात नहीं है। अगर दस-बीस किसान मिल कर करना चाहें तो करें अगर ७ कोल्हू एक जगह लग जाते हैं तो वह परिधि में आते हैं।

श्री अधिष्ठाता--माननीय मंत्री जी, जरा चेयर की तरफ भी देखें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--आपने तो अधिष्ठात्री जी बड़ी कृपा की है लेकिन उनको भी देखना पड़ता है जिनकी कृपा मुझ पर नहीं है, अच्छे और बुरे दोनों ग्रहों को देखना पड़ता है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई ग़लती या ख़राबी किसान की नहीं है, छोटे उद्योग की नहीं है।

जहां तक ४.५ परसेंट वाली बात है जिसको लेकर गेंदासिंह जी ने बड़ा रिडीक्यूल किया है, तो उसके लिये मैं पहले कह चुका हूं कि वह हमारे इस बिल की तहत में आयेगा और उसमें किसी प्रकार की परेशानी किसान के लिये नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मुझे आशा है कि यह सदन मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेगा।

श्री अधिष्ठाता-- प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--२७,
विपक्ष में--५२।)

विभिन्न दलों के नेताओं की अनुपस्थिति पर आपत्ति

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, एक निवेदन मेरा है । बोलने का समय होता है सवेरे तो नेताओं से कुर्सियां भर जाती हैं लेकिन जब हाथ उठाने का समय होता है तो फिर नेताओं का पता नहीं लगता, जाने कहां छिप जाते हैं। अगर कोई एक सदस्य नहीं आता है तो उसके ऊपर अनुशासन की कार्यवाही की जाती है कि तुम फलाने प्रस्ताव पर क्यों शामिल नहीं हुए। मैं कहता हूं और जो विरोधी पार्टियों के सदस्य हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि उन नेताओं के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जाय और नेताओं को निकाल दिया जाय.....

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री टीकाराम पुजारी---इस समय सब नेता लोग गायब हो गये...

श्री अधिष्ठाता---पुजारी जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---मुझे एक सूचना सदन को देनी है। नत्थी (ग) में चीन के विषय में जो प्रस्ताव है उसके समान एक प्रस्ताव मिला है वह मैं आप के सामने पढ़कर सुनाये देती हूं। इसके सम्बन्ध में ५ बजे श्री अध्यक्ष आकर निश्चय करेंगे कि इन दोनों प्रस्तावों में से कौन से प्रस्ताव पर विचार किया जायगा :

"यह सदन चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा भारत की उत्तरी सीमाओं के अन्तर्गत बहुत बड़े भू-भागों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बाराहोती, निलंग आदि स्थानों को जो कि ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा परम्पराओं से भारत एवं तदनुसार उत्तर प्रदेश के अभिन्न अंग हैं एवं रहे हैं, चीन को राष्ट्रीय सीमाओं के अन्तर्गत मानने तथा भारत को उन स्थानों एवं भूभागों में आक्रान्ता तथा अनधिकृत-अधिकारी ठहराने आदि भारत-विरोधी कार्यों की तीव्र भर्त्सना करता है, तथा संस्तुति करता है कि इस साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से ओतप्रोत कम्युनिस्ट चीनी कुचेष्टा का सामना करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जायं, तथा सभी राष्ट्रीय तत्वों का सहयोग प्राप्त कर देश एवं उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमाओं की सबल रक्षा तथा सर्वांगीण विकास हेतु शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये जायं ताकि देश के भीतर तथा बाहर के राष्ट्र विरोधी तत्वों को नष्ट किया जाना भी सम्भव हो सके।"

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या आप इस पर मत लेंगी ?

श्री अधिष्ठाता---स्पीकर महोदय तय करेंगे कि इन दोनों प्रस्तावों में से कौन से पर बहस की जाय। ५ बजे का समय है, जब वह आवेंगे तभी तय करेंगे। इस प्रस्ताव पर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं जिन्हें स्पीकर महोदय बतलावेंगे।

*उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९ (विचार जारी)

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---महोदया, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९ [The Uttar Pradesh (Sugarcane Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Bill, 1959] पर विचार किया जाय।

इस विषय पर कल से आज तक इतनी बहस यहां हुई है कि और कुछ कह कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं और मुझे आशा है कि सदन मेरे इस बिल को स्वीकार करेगा।

---

* २१ दिसम्बर, १९५९ को कार्यवाही में छपा है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :

"सदन यह निश्चय करता है कि उक्त विधेयक इस अधिकार के साथ कि पूरे अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाय, प्रवर समिति को भेजा जाय।"

मैं भी बहुगुणा जी की इस बात से सहमत हूं कि इस विषय पर बहुत बहस हुई है और चाहे बहुगुणा जी इस गल्ती को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो जल्दी अध्यादेश जारी करने की थी वह अच्छी नहीं थी। अगर यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया जाता है तो जो खामियां रह गई हैं वे ठीक हो सकेंगी। जिस कानून में बहुगुणा जी संशोधन चाहते हैं उसमें मैं थोड़ा और संशोधन चाहता हूं। अध्यादेश के अननुमोदन का प्रस्ताव तो रचनात्मक था ही, यह प्रस्ताव भी रचनात्मक है और इस दृष्टि से है कि इस कानून की खामियों पर विचार करने और उन्हें ठीक करने का मौका एक जगह बैठ कर हम लोगों को मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि सेलेक्ट कमेटी में भेजने से सदन का बहुत समय बच जायगा जो दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। सरकार भी समय के लिये फिक्रमन्द है। सेलेक्ट कमेटी में दूबदू बैठकर, नजदीक बैठ कर, विचार कर लिया जाय, तो अच्छा है। उस समिति में जाकर सरकार को यह भी मालूम होने का अवसर होगा कि इस विधेयक में बहुत-सी बातें अनावश्यक रूप से रक्खी हुई हैं जिन्हें निकल जाना चाहिये। गन्ना उत्पादकों के और मिल मालिकों के कोआपरेटिव केन यूनियन्स फेडरेशन के अधिकारों और काम करने के ढंग की खामियों को देखकर ठीक करना चाहिये। यदि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी को चला जायगा तो ठीक है वरना सदन को सारी बातों के बताने में सदन का बहुत समय लग जायगा। मैं इस आशा से कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी को चला जायगा और अधिक समय नहीं लेना चाहता।

श्री अधिष्ठाता---श्री जगदीश शरण जी अग्रवाल से मैं यह कहना चाहती हूं कि उनका और श्री गेंदासिंह जी, दोनों के प्रस्ताव एक से हैं। इसलिये आपके प्रस्ताव को उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। आप उनके प्रस्ताव में संशोधन कर सकते हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, जैसा अभी माननीय बहुगुणा जी ने और गेंदासिंह जी ने कहा, जो बहस कल से अब तक हुई थी उसमें करीब-करीब सारी बातें आ चुकी हैं और यह विधेयक ठीक उस अध्यादेश की पुनरावृत्ति है। लेकिन मैं केवल दो शब्दों में इतना कहना चाहता हूं कि हमारी प्रक्रिया नियमावली के अनुसार अध्यादेश पर बहस करते हुए हम विधिवत् किसी विधेयक की धारा पर बहस नहीं कर सकते और न उस पर ध्यान देना उचित हो सकता है। जब विधेयक हमारे सामने है तभी धाराओं पर ध्यान देने का अवसर होगा।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केवल दो बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। एक तो उन्होंने इस विधेयक को पेश करते समय कोई व्याख्यान नहीं दिया। ठीक है, काफी जिक्र कल से अब तक हुआ। अच्छा तो यही था कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाता और इसी भावना से मैंने यह प्रस्ताव रखा था। मेरे प्रस्ताव में यह है कि ३ दिन में समिति अपना प्रतिवेदन दे दे। मैं आज भी उसे सही समझता हूं। जब हम एक ऐसा विधेयक बनाने जा रहे हैं जिसका असर इस प्रदेश के लाखों व्यक्तियों पर पड़ने वाला है---चाहे बहुगुणा जी उनकी संख्या आज कुछ भी समझते हों---तो उस पर ठंडे दिल से विचार होने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन यदि जैसी परम्परा-सी होती चली आ रही है कि जल्दी-जल्दी संशोधन विधेयक आते हैं और उसमें हमें कोई कठिनाई महसूस नहीं होती, तो ठीक है, दो महीने के बाद हम फिर बैठेंगे और तब संशोधन विधेयक आ सकेगा चाहे वह शोभा की बात हो या न हो। लेकिन वह आवेगा, ऐसा अनिवार्य मालूम पड़ता है।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो कृपया एक स्पष्टीकरण हो जाय, वह यह कि इसमें एक मेन परिभाषा आई है "गुड़, राब और खांडसारी बनाने वाली इकाई" इससे उनका क्या मतलब है? यह किस तरह से लागू होगी ?

दूसरी आधारभूत बात यह है कि इसमें हर जगह गुड़ और राब शब्दों को बढ़ाया गया है लेकिन जहां तक उस बोर्ड का ताल्लुक है, जिसके द्वारा गन्ने वालों और मिल वालों के बीच में संतुलन पैदा करने की कोशिश की जायगी, एक दूसरे की कठिनाई को समझाने और आपस में मदद करने की कोशिश जिसके द्वारा की जायगी, उसमें गुड़, खांडसारी और राब वालों का जिक्र नहीं है। इसी एक बात से यह साफ जाहिर होता है कि सरकार की ओर से जो भी बिल बनाये जाते हैं वह मिल मालिकों के संरक्षण हेतु बनाये जाते हैं। पाबन्दी तो लगायी जाती है गुड़, खांडसारी और राब बनाने वालों पर लेकिन जहां किसी अधिकार या हाथ बटाने का सवाल आता है उनका जिक्र भी नहीं किया जाता। मैं समझता हूं कि माननीय बहुगुणा जी के नोटिस में अभी तक यह बात न आयी होगी इसलिये यह प्रत्यक्ष कमी रही। अतः अब वह मेरी इस प्रार्थना और सुझाव को कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे। उचित तो यही होगा कि उसी अनुपात में उनको रखा जाय जिस अनुपात में उनका वाकई रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये परन्तु जिस तरह से वे उचित समझें, उसको पूरा करें। जब वे इस विधेयक द्वारा ऐसे समुदाय पर असर डाल रहे हैं जो ५० प्रतिशत गन्ने की खपत करने वाला है तो हमें यह मानना ही होगा कि उसके हितों का बोर्ड में समावेश किया जाय।

इस के अतिरिक्त और भी बातें ऐसी हैं जिनके लिये और अधिक विचार-विनियम की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी इस पर और ज्यादा विचार करके उन बातों का इसमें और समावेश कर दें जिनका समावेश करना अत्यन्त आवश्यक है। अगर इस समय संभव हो सके तो बहुत ही अच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव के बारे में अपने निवेदन को समाप्त करता हूं।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, इस विषय पर कल से अध्यादेश से लेकर बिल तक जो भी बहस हुई है, वह बड़ी दिलचस्प बहस रही। माननीय उद्योग मंत्री की सारी स्पीच के सुन लेने के बाद केवल एक बात समझ में आयी कि उनको दो बड़ी भारी चिन्तायें इस बात की हैं कि २ लाख टन खांडसारी हमारे प्रदेश में पैदा होने लगी है और उनकी यह चिन्ता बढ़ती ही चली जाती है। इसके अतिरिक्त मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं इस बात के लिये कि उनको एक चिन्ता यह भी है, और उन्होंने उस चिन्ता को भी व्यक्त किया, उनको यहां खांडसारी में लगे हुए मजदूरों की बड़ी चिन्ता है क्योंकि उनका कहना है कि वे इस कानून के रहते हुए उससे लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि फैक्टरीज में लगे हुए १० लाख के करीब मजदूर हैं और २ लाख मजदूर इस खांडसारी उद्योग में लगे हुए हैं जिनके लिये आप कहते हैं कि आपको बड़ी चिन्ता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जब खांडसारी उद्योग का दम ही निकल जायगा तो वे २ लाख मजदूर कहां जायेंगे ? आप का कहना तो यह है कि वे हतोत्साह न हों तथा उनको कोई हानि न पहुंचे इसलिये आप यह प्रतिबन्ध आदि लगा रहे हैं लेकिन आज जो कुछ वे इस कानून के द्वारा लाभ उठा पाते हैं, कल तो वे धेला, पैसे का भी लाभ नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि १० लाख मजदूरों की जगह तो आप इन २ लाख मजदूरों में से एक को भी एकोमोडेट करेंगे नहीं। मैं माननीय उपमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे इस बात से बड़ी तसल्ली है कि माननीय उपमंत्री जी के दिल में मजदूरों के लिये बड़ी कलक है। लेकिन वह कलक किस काम का, वह प्यार किस काम का जिससे गाल कट जाय। माननीय उपमंत्री जी को मजदूरों के लिये प्यार तो बहुत है लेकिन वह उसी तरह का प्यार है जिससे गाल कटे और जख्म पैदा हो। उत्तर प्रदेश में करीब १० लाख टन चीनी पैदा होती है जिसमें १० लाख मजदूर लगे हुए हैं उसी अनुपात में यहां २ लाख टन खांडसारी पैदा होती है तो उसमें भी २ लाख मजदूर लगे हुए होंगे।

माननीय अग्रवाल जी के कहने से मुझे मालूम हो रहा है कि उसमें सवा २ या ढाई लाख मजदूर लगे हुए हैं। तो फिर वे कहां जायेंगे इसको माननीय उपमंत्री जी ने अपने दो दिन के भाषण में नहीं बतलाया और जो जख्म वे पैदा कर रहे हैं उसका कोई मरहम उन्होंने नहीं बतलायी।

जैसा कि अग्रवाल जी ने बतलाया कि सन् ३०–३२ में २ लाख टन खांडसारी शुगर पैदा होती थी और आज भी उतनी ही शुगर यहां पैदा होती है। उसमें कोई भी इजाफा आज तक नहीं हो पाया। जब कि क्रिस्टल शुगर जहां सन् ४९–५० में ५ लाख टन पैदा होती थी वहां सन् ५६–५७ में १० लाख टन पैदा हुई यानी उसकी पैदावार दुगुनी होती जा रही है लेकिन खांडसारी ने कोई प्रगति नहीं की। उसकी प्रगति की तरफ सरकार का कोई रुझान भी नहीं है। जरा सा छोटे उद्योगों ने तेज चलने की कोशिश की तो कहा कि बस बेटे, आगे न जाना। फिर भी वे आगे गये तो आगे खाईं और खन्दक खोद दी। एक असाधारण गजट का पर्चा निकला है जिसमें दिया हुआ है––गुड़ आदि बनाने की साधारण प्रक्रिया का अनुसरण करने वाली इकाई २ नये पैसे प्रति मन, गुड़ आदि बनाने की शुल्कीय प्रक्रिया का अनुसरण करने वाली इकाई ३ नये पैसे प्रति मन के हिसाब से कमीशन गन्ना विकास परिषद् को देगी। इसी गजट में लिखा है कि सरकार को भी साधारण पर ४ नये पैसे और शुल्कीय पर ९ नया पैसा सेस देना पड़ेगा, बस यहीं पर उनका विकास रुक गया। उनकी टांग इतनी लम्बी नहीं हैं कि वे जोर से भाग सकें।

एक बात मैं आपको और बतला दूं कि इस अध्यादेश को आप देखें जिसमें व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया हुआ है। माननीय उपमत्री जी कहते हैं कि हमने यह अधिनियम प्रदेश भर में नहीं लगाया है सिर्फ उन्हीं पर लगाया है जहां रिजर्व्ड एरियाज हैं। आप उसे प्रतिबन्ध कहें, सेस कहें या टैक्स कहें लेकिन आपने लगाया तो है ही। अग्रवाल जी ने ठीक ही कहा कि जब आपने टैक्स नहीं लगाया है तो फी फैक्टरी ३०० रु० लेने की जो बात है उसे टैक्स न कहा जाय तो क्या कहा जाय? व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया हुआ है––"राज्य के अन्य क्षेत्रों में खंडसारी इकाइयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि रोकने के उद्देश्य से उक्त आदेश का प्रसार सम्पूर्ण राज्य में करने का निर्णय किया गया"। एक तरफ तो यह कहते हैं कि यह अधिनियम हमारे सम्पूर्ण राज्य में लागू किया गया है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने सिर्फ रिजर्व क्षेत्र के लिये किया है जहां कि मिलों को गन्ना दिलाना है। इसी में एक जगह पर व्याख्यात्मक टिप्पणी में कहा गया है कि––"१९५७ में सफेद चीनी पर भारी उत्पादन शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप चीनी की फैक्टरियों के सुरक्षित और अभ्यर्पित क्षेत्रों, विद्युत चालित कोल्हुओं, बैलों तथा केन्द्रापगों (सेन्ट्रीफ्यूगल्स) की संख्या अनियमित रूप से बढ़ गई है"। लिखा है कि 'अनियमित रूप से बढ़ गई है' जिस का मतलब यह हुआ "कि एक ओर तो गन्ने की पूर्ति चीनी की फैक्टरियों को न हो कर बड़ी खंडसारी इकाइयों को होने लगी"। वह कहते हैं कि गन्ना खंडसारी को जाने लगा और चीनी मिलों को पूर्ति गन्ने की नहीं हो पाई, इसलिये उन को बिल लाने की जरूरत पड़ी।

लेकिन इसके खिलाफ ही खेतान साहब कहते हैं कि––"अधिक उत्पादन के लिये इस की आवश्यकताओं को आंका जाय। केवल ऐसा करके ही सरकार अपनी ऐसी नीति निर्धारित कर सकती है जो राज्य की प्रत्येक फैक्टरी की जरूरतों को पूरा करे"। यह खेतान साहब की रिपोर्ट है इस के पेज ५ पर यह लिखा है। आगे वह कहते हैं कि "अन्तिम विश्लेषण में बुनियादी कारण फैक्टरी में गन्ने का अभाव है"। एक तरफ तो यह कहते हैं और आगे फिर कहते हैं कि "फैक्टरी अंचलों में अच्छी किस्म के गन्ने के पर्याप्त उत्पादन के लिये हमें योजना बनानी है"। मिल वाले भी कहते हैं कि हमारे यहां उत्पादन की कोई योजना नहीं है और इसी वजह से योजना की कमी के कारण गन्ने की पैदावार घटी है। यह कहते हैं कि नहीं खंडसारी को गन्ना गया है इसलिये मिल वालों को गन्ना कम मिलता है। यह 'उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग' एक रिपोर्ट है इस के पेज ६ पर खेतान साहब कहते हैं कि––"सरकारी प्रशासन के सामर्थ्य में विश्वास होने के बजाय उस के प्रति अविश्वास हो रहा है। निम्नांकित आंकड़ों से मालूम होता है कि अनेक

[श्री शिवप्रसाद नागर---]

वर्षों में यद्यपि रिकवरीमें कुछ सुधार हुआ है, पर वास्तव में उत्पादन गिरा है और उस से काश्तकारों का कोई हित नहीं हुआ है।" लेकिन कारण यह नहीं है जो इस में लिखा गया है। व्याख्यात्मक ज्ञापन में यह दिया हुआ है कि खंडसारी के कारण गन्ना नहीं मिला यह बात ठीक नहीं है। सही बात यही है कि जो मिलमालिक स्वयं कहते हैं कि गन्ने की पैदावार घटी है। लेकिन हमें सोचना यह है कि गन्ने की पैदावार क्यों कम हुई? वह इसलिये कम हुई है चूंकि गन्ने के दाम गिरे हैं, किसान ने कम दाम होने के कारण तवज्जह ही नहीं दी।

हमारे यहां लखीमपुर में ६-१२-५८ को उद्योग समिति की बैठक हुई। उस की सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है कि---"सन् ५६-५७ के सीजन में जिले में ४ करोड़ ७२ लाख ४९ हजार १ सौ मन गन्ना पैदा हुआ। यह रिपोर्ट वहां के जिलाधीश की अध्यक्षता में दी गई थी। उस वक्त नेवटिया साहब बहुत बौखलाये और उनकी और मेरी इस पर दस मिनट तक खासी झड़प हुई। हमारे यहां दो शुगर मिल हैं एक तो गोविन्द शुगर मिल, ऐरा और हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला गोकरननाथ। जिले के इन दो मिलों ने १ करोड़ ५५ लाख १०१ मन गन्ना कुल पेर पाया। भला बताइए ४ करोड़ ७५ लाख मन गन्ना जहां पैदा हो वहां सिर्फ १ करोड़ ५५ लाख मन ही पेर पाएं तो बाकी कहां जाय? आप कहते हैं कि खंडसारी की वजह से गन्ना मिल नहीं पाया लेकिन असलियत कुछ और है। मान लें कि खंडसारी की वजह से गन्ना मिलों को नहीं मिल पाया तो क्या रिकवरी भी खंडसारी ने छीन ली? खेतान साहब कहते हैं कि सन् ३९-४० में रिकवरी ९.३७ थी, ४७-४८ में ९.८०, ५३-५४ में ९.८७, ५७-५८ में ९.६३ और ५८-५९ में ९.७० हो गई। प्रति एकड़ जो पैदावार हुई वह घटती चली गई। सन् ३९-४० में ११.३५, ४७-४८ में १२.६, ५३-५४ में १०.५०, ५७-५८ में १०.१२ और ५८-५९ में १०.१ रह गई। इसका क्या मतलब है? यह क्यों घट गई? पैदावार घटी है। पैदावार के साथ रिकवरी घटी है और उसके साथ उत्पादन घटा है। यह स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं कि ३० लाख एकड़ सारे उत्तर प्रदेश में गन्ने का रकबा है। इस तीस लाख एकड़ में से १९ लाख एकड़ रिजर्व एरिया में है और उसे भी पूरा नहीं पेर पाते ....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---पच्चीस बार यह बात कह चुके हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं तो कहता हूं कि यह बिल भी पच्चीस बार आ चुका है। हर साल चार-छः दफा संशोधन लाते हैं। हम एक बात को दो बार कहते हैं तो बुरा लगता है। मैं समझता हूं कि जब बार-बार आप यहां बिल लाने को तैयार हैं तो उसके ऊपर जो कुछ आलोचना हो उसको सहने के लिये तैयार रहना चाहिये।

श्रीमन्, ५५-५६ में २९ लाख ४ हजार एकड़ एरिया था जो ५६-५७ में ३४ लाख ९ हजार एकड़ हो गया और ५७-५८ में३० लाख एकड़ हो गया। रकबा बढ़ गया। फील्ड बढ़ी लेकिन ईल्ड नहीं बढ़ी। जितने भी मिल-मालिक हैं, करोड़ों रुपये का फायदा उठाते चले जाते हैं। हमारे गोला मिल में एक करोड़ मन गन्ना हर साल पेरा जाता है और शक्कर का भाव ३९ रुपये कुछ आने मन है। एक करोड़ मन गन्ना पेर कर चार करोड़ रुपये उन्हें प्राप्त होता है। चार करोड़ में से वह देते क्या हैं? डेढ़ करोड़ रुपया किसानों को देते हैं। एक रुपया आठ आना मन किसानों को मिलता है। जो गेट पर दो आना मिलता है उसको छोड़ दीजिये। वह तो दूसरी जगह पूरा कर लिया जाता है। इस तरह से इनको ढाई करोड़ रुपया बचता है और १,३०,००,००० रु० ड्यूटी सेस इत्यादि का देते हैं। इस प्रकार १,२०,००,००० रु० का मुनाफा एक मिल वाले को जहां होता हो मैं समझता हूं वह सरकार प्रजातन्त्रात्मक सरकार नहीं है। शायद मंत्री जो यह कहना चाहते हैं कि इसमें मजदूरों का वेतन शामिल है, मशीन का वीयर और टीयर भी शामिल है तो इसी प्रकार खंडसारी वालों को भी यह सब भुगतना होता है, प्लान्ट लगाते हैं, लेबर रखते हैं और जितना पैसा फराकदिली स वह देते हैं उतना मिल मालिक नहीं देते।

जहां पर यह बात कही जाती है कि गन्ने की सप्लाई मिल वालों को कम हो गई है इसलिये कि चूंकि खंडसारी यूनिट्स खुल गई हैं, अब प्रतिबन्ध लगाया, मशीनों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये था, मगर मशीनों के साथ बैल वाले कोल्हुओं पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया कि अगर किसी गांव में ६,७ कोल्हू लग जायं तो ठीक है लेकिन अगर एक भी ज्यादा हो गया तो प्रतिबन्ध के अन्दर आ गया। अगर कोआपरेटिव बेसिस पर भी चलायें तो रोक दिये जायेंगे या टैक्स देना पड़ेगा। इसका उद्देश्य यह है कि खंडसारी तथा गुड़ बनाने वाली इकाइयों को वहां से अपने को हटा लेना चाहिये जिस क्षेत्र से चीनी की मिल अपने गन्ने की पूर्ति का अधिकांश भाग प्राप्त करती हो। इसलिये हटा लें कि मिलों को गन्ना सप्लाई होता रहे। मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने का उत्पादन और रिकवरी जो घटी वह इसलिये नहीं घटी कि खंडसारी यूनिट्स खुल गईं बल्कि इसलिये कि सरकार की तवज्जह उस तरफ कम है, कोआपरेटिव सोसाइटीज की तवज्जह कम है, मिल वालों की तवज्जह कम है। वे पेरना जानते हैं, चीनी बनाना चाहते हैं, मगर उसका उत्पादन और ईल्ड बढ़ाना नहीं जानते। उसका भी कारण है और वह यह कि जितना अमोनियम सल्फेट आता है वह किसानों को न मिल कर ब्लैक मार्केट में चला जाता है। लखीमपुर तथा फरदहन स्टेशन से हजारों मन सल्फेट दूसरे प्रदेश को चला गया, मद्रास को चला गया। मैंने डिप्टी कमिश्नर से इस सम्बन्ध में शिकायत की, जांच के बाद पता लगा कि मद्रास को यहां का सल्फेट चला गया। कहा जाता है कि मद्रास में रिकवरी ज्यादा होती है तो वहां तो होगी ही। जब वह फरटिलाइजर इस्तेमाल करेंगे, हमारे यहां तो उसकी नौबत ही नहीं आती, केमिकल मेन्योर का हमारे यहां के किसान फायदा ही नहीं उठा पाते। लखीमपुर की ही बात नहीं है बल्कि बिहार तक सैकड़ों स्टेशनों का अमोनियम सल्फेट ब्लैक मार्केट में चला गया। जिम्मेदार अधिकारियों ने इस तरह की हरकत की है। यही वजह है कि फील्ड तो बढ़ गया मगर ईल्ड नहीं बढ़ी। इस पर किसी ने तवज्जह नहीं दी इसलिये खंडसारी वालों पर रहम कीजिये, इन्हें आजाद कर दीजिये यह अपना काम करें। आप इसकी तह में जायें कि ईल्ड क्यों कम हो रही है।

मैं बताता हूं कि जो लोग पकड़े गये हैं अमोनियम सल्फेट की ब्लैक मार्केटिंग के लिये, सस्पेंड किये गये हैं लखीमपुर में थोड़े दिन बाद वह आप ही की सिफारिश से बहाल कर दिये जायेंगे। वही लोग आप से उसकी शिफारिश करेंगे जिससे उसका गहरा ताल्लुक होगा। वह कहते हैं कि आप क्या करेंगे। हमारे बड़े सोर्सेज हैं। नागर जी इससे ढीले हो गये कि बड़े सोर्सेज हैं। आज मुअत्तल हुआ कल बहाल हो गया। सख्त सजा दिलाइये तब काम चलेगा। यहां की वैगन बम्बई में पकड़ी गयी। जितने केमिकल मेन्योर हैं बाहर जा रहे हैं इसलिये गन्ना कम मिलता है। इसलिये गन्ना कम नहीं मिल रहा कि गन्ना की पेराई खांडसारी वालों ने कर रखी है। गन्ने की पैदावार बढ़ाइये। फिर जहां तक किसानों का ताल्लुक है वह यह कि गन्ने के दाम उसी अनुपात से बढ़ जायं जिस अनुपात से शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं। सन् ४७–४८ में ३५ रु० ७ आने मन शक्कर के दाम रखे गये और २ रुपये मन गन्ने के दाम थे। ५१–५२ में ५ रुपये मन शक्कर के दाम घट गये और ४ आने मन गन्ने के दाम। लेकिन ५२ में जब आपकी सरकार बनी तो गन्ने के दाम तो रह गये १ रुपये ७ आने मन और शक्कर के दाम हो गये फिर ३५ रु० ७ आने मन। तो इसका क्या कारण था? बात यह थी कि मिल ओनर्स को आप खुश करना चाहते थे। रिसेंटली ५२–५३ के इलेक्शन में आप उनसे ओब्लाइज हो चुके थे। उन्होंने आपकी मदद की ओर आपने इधर उनकी मदद की और शक्कर के दाम फिर ३५ रुपये ७ आने मन कर दिये लेकिन गन्ने के दाम वही रहे। बन्दाबवाज, इसीलिये यह गड़बड़ी हुई और उत्पादन घटने लगा। आपकी तवज्जह उत्पादन बढ़ाने की तरफ न जाकर इस तरफ चली गयी कि खांडसारी पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। इसलिये मैं सरकार से कहता हूं कि वह सम दृष्टि से इसको देखे और दोनों को बराबर काम करने की स्वतंत्रता हो।

जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनको आप स्वतंत्रता दें। अगर उनको बड़े फाटक में आप बन्द कर देंगे तो वे मर जायेंगे, जिन्दा नहीं रह सकते। बड़े-बड़े मिल ओनर्स हैं जिनकी

[श्री शिव प्रसाद नागर]

ऊंट जैसी गरदन है वे बाहर झांक कर देख सकते हैं लेकिन छोटे उद्योग धंधे वालें इन फाटकों में बंद हो कर मर जायेंगे। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि इन छोटे उद्योगपतियों को छोड़ दिया जाय, इन पर रहम किया जाय और छोटा किसान उन्हीं पर निर्भर भी करता है। उसका कारण यह है कि एक छोटा किसान जिसके पास थोड़ी सी जमीन है और १५० मन गन्ना पैदा करता है, वह एक महीने में एक पर्ची पाता है। फिर चाहे उसमें यहां कोई मूंडन हो, मड़चटना ब्याह शादी, या मुकदमा पड़ जाय और उसे २०० रुपये की जरुरत पड़ जाय तो उसे पर्ची एक महीने बाद ही मिलेगी, वह अपनी जरुरत को पूरा नहीं कर सकता और उसकी जरूरत को वह खांडसारी शुगर फैक्टरी ही पूरा करती है और एक दफा में वह खेत खाली करा लेती है और उसकी जरूरत रफा कर देती है।

आप कहते हैं कि खांडसारी शुगर फैक्टरीज दाम कम देती हैं इसके लिये मैं चैलेंज करता हूं कि राजा शुगर फैक्टरी और गोला शुगर फैक्टरी तक ४४ मील का रकबा है। प्राविंश्यल रोड है। इस सड़क पर जितनी खांडसारी फैक्टरीज लगी हुई हैं उन्होंने २ रुपये मन गन्ना खरीदा है। हमने यह देखा है कि खांडसारी शुगर फैक्टरीज के सामने चट्टे के चट्टे लगे हैं बहुत ऊंचे ऊंचे ५०, ५० फुट तक लेकिन उसके सामने ही रोड सेंटर के वे-ब्रिज पर ट्रकें खाली गयीं, उनको गन्ना नहीं मिला और उसी वे-ब्रिज के सामने जो खांडसारी फैक्टरीज लगी हैं उनके यहां गन्ना धड़ाधड़ उतर रहा है और २ रुपये मन गन्ने के दाम दिये जा रहे हैं। मिल वाले गेट पर १ रुपये १० आने मन देते हैं अगर किसी रोड सेंटर का फासला २४ मील का है तो २४ पैसे कट जायेंगे। डेढ़ नये पैसे एक मील पर लेते हैं और २ पुराने पैसे के हिसाब से ६ आने कट जायेंगे और उसको कीमत १ रुपये ४ आने मिल वाले देंगे। २४ मील से जो गन्ना लायेगा उसको अगर २४ पैसे कटाने पड़े तो ६ आने पैसे कट जाते हैं। आप १ रुपया १० आने देते हैं और अगर ६ आने कटेंगे तो १ रुपया ४ आने मिलेंगे और अगर उसी जगह खांडसारी फैक्टरी है और वह १ रुपया ६ आने देने को तैयार है तो किसान उसको क्यों नहीं देगा? इसलिये आप इसको गौर करें कि शुगर फैक्टरीज के कांटे जब उस जगह लगे हों जहां अगर शाम से अपनी गाड़ी भर कर किसान चलता ह तो सुबह पहुंचता है और इस बीच में कहीं उसकी गाड़ी की पैंजनी टूट जाती है, कहीं धुरा टूट जाता है, कहीं जूंअर टूट जाती है, और कहीं बैल की टांग टूट जाती है तो वह क्यों मिल के कांटे पर ले जायगा? वह तो खांडसारी फैक्टरी के कांटे पर ले जायगा और इसलिये ले जायगा कि उसकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, उसके बैल सुरक्षित रहेंगे।

आपको मालूम नहीं, लखीमपुर के कांटे से ५ मील पर एक दुमानी घाट है। हम बीस बाहें करते हैं तब गन्ने के लायक खेत बन पाता है। ६ मयौनी करते हैं फिर फार्म पर बीज लेने जाते हैं और नाखून से गन्ना छीलते हैं कि कहीं अंखुआ न टूट जाय, फिर खूंड काटते हैं और तीन गाठ का बेड़ा बोते हैं, फिर पांस देते हैं और फिर एक-एक नखत की तरह खेत में देखते हैं कि कितने पौधे निकले, तब जा कर गन्ना पैदा होता है। और जब गन्ना तैयार होता है तो स्वाती के बूंद की तरह देखते हैं कि अब परची आती है अब परची आती है। फिर एक महीने में कहीं एक परची आती है और वह भी अगर किसी जबरदस्त के हाथ में पड़ गई तो पूछते हैं कि दादा हमारी परची मिली, बप्पा हमारी परची मिली। और जब बड़ी मुश्किल से परची मिली तो जब गन्ना गाड़ी पर लाद कर चले और बीच में लढ़ी न टूटे और कांटे पर पहुंच जाय और फिर वहां तुल जाय तब हम समझे कि हमें पैसा मिल गया। और जब पैसा लेकर लखीमपुर से ५ मील पर जाते हैं तो ८ आदमी वहां मिलते हैं और वहां हम पर पिटाई पड़ती है और खाली लढ़ी घर को पहुंचती है। वहां लोगों के हाथ, पैर तोड़ दिये गये, कितने ही जान से मार दिये गये और लूट लिये गये हमने बीसों बार अधिकारियों से इस बात को कहा मगर कोई तवज्जह नहीं दी गयी। तो जब यह हालत होती है तो फिर क्यों न खांडसारी सेंटर पर हम अपना गन्ना दें? इस पर आप प्रतिबन्ध लगाते हैं। हम कहते हैं कि हमें मंजूर है आपका यह प्रतिबन्ध और आपकी हर शर्त अगर आप हर जगह गन्ने का दाम एक कर दीजिये चाहे वह मिल का गेट हो चाह

कोई और वेईंग सेंटर हो। मगर आपने शुगर केन ऐक्ट में लिखा है कि मिल के गेट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है और आपका रेट गेट पर १ रु० १० आने है तो रेल सेंटर पर १ रु० ८ आने और रोड सेंटर पर १ रु० ५ आने और १ रु० ३ आने है। तो या तो आप हमें मजबूर न करें या फिर सब जगह एक सा रेट कर दें।

हम कोई बहस नहीं करना चाहते हैं, हम बिल को पास करना चाहते हैं मगर एक बात बताते हैं कि जिस तरह से १ रुपये १२ आने वाला प्रस्ताव इस हाउस से पास हुआ था यह बिल भी उसी तरह से फेल होगा। इसलिये फेल होगा कि इसमें जनहित नहीं है, इसमें मिल हित है और आपके साथी भी इसको पसन्द नहीं कर रहे हैं। आज भी बेंचेज खाली रही हैं और कल भी रही थीं और जो सदस्य उधर से बोले हैं वह भी आपके विरोध में ही बोले हैं। आपकी बात उनके गले नहीं उतर सकी है। इसलिये हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमें मजबूर न करें और हम लोग मजबूर नहीं हो सकते हैं। आप कहते हैं कि चुनाव के ऊपर क्या असर पड़ेगा? हम वहां से जीत गये और यहां से जीत गये। लेकिन मैं कहूंगा कि आपने जब गन्ने के दाम घटाये तो किसान परेशान हुये और उसने अपनी फटी मिरजई उतार कर फेंक दी। यह सब गन्ने की बदौलत हुआ, यह सब आपके नेवटिया की बदौलत हुआ। उन्होंने जो गजब ढाया है तो वहां से एम० एल० एज़ की सीट साफ हो गई और ५ पी० एस० पी० के एम० एल० ए० और एक एम० पी० हुये। हम लोग कहते हैं कि ज्यादा मीठा जहर हो जाता है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। आप इसमें ज्यादा मीठा क्यों घोल रहे हैं। जरूर कीड़े पड़ेंगे। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि जो खांडसारी की फैक्टरी हमारे गांव के पास हैं उनको गन्ना पहुंचाने में हमें सुविधा होती है, हम सुरक्षित रहते हैं और जब गन्ना सेन्टर पर ले जाते हैं तो हमारा पैसा बदमाश छीन लेते हैं, गाड़ी टूटती है और हमारे जानवर मरते हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रखकर इस पर पुनः विचार करें। हम आपको राय देंगे और मुमकिन है कि आपकी समझ में आये या न आये। लेकिन कभी कभी आप मान लेते हैं। आज इसको मुल्तवी कर दीजिये और पार्टी की मीटिंग कीजिये और अपने सदस्यों से राय ले लीजिये और देख लीजिये कि बहुमत किस पक्ष में है। हमने जो कुछ यहां कहा है उससे आपके सदस्य भड़क नहीं सकते हैं। इसलिये कि वह समझदार हैं इससे आपकी इज्जत बची रहेगी और जो आपके सदस्य आज विरोध में बोल रहे हैं वह नहीं बोलेंगे वरना आपकी अखबारों में बदनामी होगी। इसके बाद आप इस बिल को लायें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, यह जो संशोधन हमारे अग्रवाल जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कल से इस पर बहस चल रही है। माननीया, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हम लोगों की बातें यदि उनको कड़वी मालूम होती हैं तो उनको अपने पक्षवालों की बातों पर अवश्य गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिये। श्रीमन् एक ऐसी सरकार के लिये जो अपने को समाजवादी सरकार कहती है उसका इस तरह का बिल लाना, एक ऐसे समय में अध्यादेश निकालकर किसानों के हकूक को खत्म करना, सहकारिता का गला घोंटना और कुटीर उद्योगों को बरबाद करना उचित नहीं है। यह सरकार बराबर दुहाई दिया करती है कि वह कुटीर उद्योगों को बढ़ाना चाहती है और उसको पनपाने के लिये, उसके लिये हर तरह की सहायता देने के लिये तैयार है। लेकिन आज इस बिल ने यह साबित कर दिया है कि इस सरकार के दिखाने के दांत दूसरे हैं और खाने के दांत दूसरे हैं। मिल मालिकों की जरा सी पुकार पर यह सरकार मिल मालिकों के खिदमत में पहुंच जाती है। १५ तारीख से गन्ना मिलों की हड़ताल जारी थी। उसमें हमने जो दृश्य देखा वह अकथनीय है। मालूम होता है कि कांग्रेसी सरकार इन मिल मालिकों की बदौलत ही बनी हुई है। उनके संरक्षण के लिये हर तरफ से दौड़ने को तैयार रहती है। आनन्द नगर में मैंने देखा कि वहां आज पांच दिन से पुरन्दरपुर थाने के सारे थानेदार, हेडकांस्टेबिल और सारे कांस्टबिल डेरा डाले पड़े थे। थाने के हलके में चाहे चोरियां हों डकैतियां हों सरकार को कोई परवाह नहीं। एक मैजिस्ट्रेट और तहसील का पूरा स्टाफ डेरा डाले पड़ा है। २४,२४ ३६,

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

३६, ४८, ४८ घंटे से गन्ने की गाड़ियां रुकी पड़ी थीं । मेरी समझ में नहीं आता है कि जो सरकार अपने हाथों से कानून बनाती है उसको अपने लाड़लों के जरिये खुद उस कानून को बरबाद कराती है । उसका उल्लंघन करती है । आनन्दनगर में हजारों गाड़ियां तीन रोज से रुकी पड़ी थीं । उपाध्यक्ष जी और श्री शिब्बन लाल सक्सेना एम० पी० ता० १८-१२-५९ को हम लोगों के साथ वहां गये थे प्रचार करने के लिये कि गन्ना किसानों को हड़ताल करनी चाहिये । वहां यह सूरत देखी तो हम लोगों को मजबूर हो कर यह करना पड़ा कि अधिकारियों को गन्ना की गाड़ियों को तौलाने के लिये मजबूर करें । वह रेल की बोगियां तौला रहे थे, ट्रक तौला रहे थे । वहां पूरा सरकारी स्टाफ मौजूद था । किसानों की कोई मदद नहीं कर रहा था । साफ जाहिर हो रहा था कि सारे सरकारी नौकर मिल मालिकों के नौकर हैं । यह समाजवादी सरकार कहलाने वाली पूंजीवादी सरकार है और मिल मालिकों के रहम कर्म पर चलने वाली है । बारह बजे रात तक वहां हमने ६०० गाड़ियां तौलायीं । आखिर में उन लोगों को यह सहन नहीं हुआ और तीन बजे रात को उन्होंने हमारे साथियों को गिरफ्तार किया । उसमें माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी, उपाध्यक्ष महोदय भी गिरफ्तार हुये । यह बिलकुल अवैधानिक गिरफ्तारी इस लिये हुई कि वहां मिल मालिकों की मनमानी थोड़ी देर नहीं चली । उनकी इच्छा के विरुद्ध उन गाड़ियों को तौलाया गया । यह रेकार्ड पर मौजूद है । यह हर जगह हर समय देखा जा सकता है ।

आज तक यह सरकार खांडसारी उद्योग को गृह उद्योग कहती रही है और बराबर यह कहा जाता रहा कि इस पर कोई कर नहीं लादा जायगा । लेकिन पिछली हड़ताल ने यह सिद्ध कर दिया कि खांडसारी उद्योग, गुड़ और राब बनाने वाले जो उद्योग हैं, हो सकता है कि एक दिन वह इनके दुलारे और लाड़ले मिल मालिक को बधिया बैठा दें । किसानों की मजबूरी से फायदा उठाने वाली यह सरकार महज इसलिये इस बिल को लायी है कि किसान मजबूर के मजबूर बने रहें, उन्हें कोई ऐसा रास्ता न मिल सके कि वह मिल मालिकों से ज्यादा पैसा मांग सकें और अकड़ सकें । माननीय बहुगुणा जी बार-बार यह कहते हैं कि मिल मालिक गन्ना का इससे ज्यादा दाम नहीं दे पायेंगे । वह मेरे साथ चलें मैं उनको दिखाऊं । हमारे यहां के किसानों का गन्ना छोड़ कर नैपाल के किसानों का जो गन्ना मिल मालिक खरीदते हैं वह दो तीन आना बेशी देकर खरीदते हैं । एक-एक गाड़ी पर उनको लाठियां चलती हैं । तुलसीपुर और आनन्दनगर मिलों के लठबंद बढ़नी स्टेशन पर मौजूद रहते हैं और जो गन्ने की गाड़ियां नैपाल से आती हैं उनके लिये लड़ते हैं । जो कस्टम नैपाल में लगता है वह भी देने के लिये तैयार होते हैं । एक-एक गाड़ी मेहनत करके हासिल करते हैं उनको तरह तरह की सुविधायें पहुंचायी जाती हैं । खिलाफ इसके हमारे यहां जो उन्होंने क्षेत्र बांट रखे हैं, मिलों के जिम्मे जो जिले बांट रखे हैं वहां मजबूरी है वहां के किसान दो-दो तीन-तीन रोज कांटों पर पड़े रहते हैं । मिलों की एरिया में गन्ने पड़े रहें इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? मैं तो कहूंगा कि अपने को समाजवादी कहलाने वाली इस सरकार की है ।

यह सरकार आज सिद्ध कर चुकी है कि यह सरकार किसानों की सरकार नहीं है बल्कि मिल-मालिकों की सरकार है । मिल मालिकों की भलाई के लिए सारी बातें करना चाहती है । मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करें किसानों के हित के लिए जो जरूरी काम है उनको भी देखें, उन पर भी खयाल करें और इस बिल को जो इसमें मांग है कि प्रवर समिति के जिम्मे कर दिया जाय, यह कोई खतरनाक काम नहीं है, उससे कोई अनहित होने वाला नहीं है, यह थोड़े लोगों की कमेटी में पेश होगा, वहां इस पर पूरी तरह से गौर हो सकेगा कि वाकई यह जो करने जा रहे हैं यह कितना उचित और कितना अनुचित है, यह कोई ऐसी मांग नहीं है कि आसमान फट सकता है या जमीन फट सकती है । इसे उन्हें मंजूर कर लेना चाहिए और इस बिल को प्रवर समिति के जिम्मे करके इस पर विचार कर लेना चाहिए ।

अभी अपने भाषण में माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि अलग कोल्हुओं पर हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, गुड़ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से जबानी कहने से तो कुछ लाभ नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्रवर समिति में यह जायगा, तो वह इस पर विचार करेगी कि कहां तक कोल्हुओं को और गुड़ को इससे वंचित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है।

अग्रवाल जी ने कहा कि जहां बोझ डालने का सवाल है वहां तो उन्होंने इस बिल में हर जगह खंडसारी, गुड़, राब बढ़ा दिया है कि खंडसारी, गुड़ और राब जोड़ लिया जाय लेकिन जहां बोर्ड का सवाल है जो चीनी मिलों का संरक्षण करते हैं वहां इनके रिप्रिजेंटेटिव बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं आया है। यह साफ सिद्ध करता है कि सारा मंशा उनका यह है कि मिल मालिकों का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण हो सके। श्रीमन्, इतना दबाव पड़ने पर तीन आने जो दाम गन्ना का बढ़ाये हैं, उसमें एक पैसा भी मिल मालिकों से लेने के लिए तैयार नहीं है। खाने वालों पर १ रु० १४ आने मन का दाम बढ़ा दिया है। दस मन में १ मन चीनी तैयार होती है। १० × ३ = ३० आने, इधर बढ़ाया ३ मन तो १ रु० १४ आने उधर बढ़ा दिया। यह सारा काम क्या सिद्ध करता है? क्या इसके बाद भी आपको कहने का हक है कि हम किसानों की सरकार हैं? हम समाजवादी सरकार हैं और हम मिल मालिकों को नफा नहीं देना चाहते हैं? यह सारा काम पुकार पुकार कर कह रहा है कि ये किसानों का गला घोंटकर मिल मालिकों का संरक्षण कर रहे हैं और किसान जो अलग अपना गन्ना बेचने के लिए संरक्षण पाता था उस पर बंधन लगाकर उसको मजबूर कर रहे हैं कि वह मिलों में ही जाय। मैंने माना कि मिल वालों का जो एरिया है उसमें पाबन्दी आप लगा दें कि मिल में गन्ना जाय लेकिन मिल वालों पर भी तो पाबन्दी होनी चाहिए कि जितना गन्ना तुमने रिजर्व किया है उतना तुम्हें पेरना ही पड़ेगा चाहे तुम्हारी रिकवरी पूरी आवे चाहे कम आवे। लेकिन जब, जहां रिकवरी का सवाल आता है वहां तो गन्ने को सूखना पड़ता है, उसे फूंकना पड़ता है। तो इसकी जिम्मेदारी मिल मालिकों पर नहीं है। लेकिन किसान पर यह जिम्मेदारी है कि वह गन्ना उन्हें दे। उसको मजबूर करना चाहते हैं कि वह सिवाय मिल के कहीं दूसरी जगह अपना गन्ना न ले जाय, न पेरे, न कुछ करे। मेरा ख्याल है कि यह उचित बातें नहीं है, अनुचित हैं और गरीब किसानों की गरीबी से नाजायज फायदा उठाना है। एक समाजवादी सरकार की मंशा ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके इसको प्रवर समिति के जिम्मे कर दें।

*श्री लाल बहादुर (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, अभी यह बिल जो सरकार की तरफ से पेश है उस पर हमारे कई लायक दोस्तों ने बड़ी लम्बी चौड़ी स्पीच दी। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी बात पूंजीपति या मिलमालिकों की है? पता नहीं कि इस प्रदेश में कितने ऐसे लोग हैं जो ७ कोल्हू चलाते हैं। कौन ऐसा किसान है जो सात कोल्हू चलाता है। मैं भी किसान हूं, मुझे पता है कि सात कोल्हू चलाने वाला किसान, किसान नहीं कहा जाता वह तो राजा, महाराजा ही होगा या कोई बड़ा ताल्लुकेदार ही होगा। मैं जानता हूं कि सात कोल्हू कोई किसान नहीं चलाता है। अगर यही किसान की परिभाषा की जाती है तब तो फिर किसान बहुत कम रह जायेंगे। मान्यवर, मैं आप से यह निवेदन करूं कि मैं ऐसी जगह से आता हूं जहां पर मिल नहीं चलते हैं। वहां पर शुद्ध किसान हैं जो कोल्हू चलाते हैं और गुड़ बनाते हैं। उनमें से मैं भी एक हूं। पूर्वी भाई हमारे जानते होंगे कि यह बात है या नहीं।

हमारे बहुत से भाइयों ने यहां पर बड़ी-बड़ी बात कही कि यह सरकार समाजवादी सरकार नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर मिलमालिक बुरजुआ है तो यह सात कोल्हू चलाने वाला पैटी बुरजुआ है। मेरी परिभाषा तो उसके लिये यह है कि यहां का किसान बहुत गरीब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लालबहादुर]

है। वह किसान, जो एक कोल्हू चलाता है वह खाने पीने के लिये अच्छा समझा जाता है। मैं भी इस प्रदेश में घूमा हूं और सारे देश की बात करता हूं कि एक कोल्हू वाला किसान बहुत अच्छा समझा जाता है। सात कोल्हू चलाने वाला किसान अगर कोई है तो वह, मैं समझता हूं, मिलमालिक ही है जो उसी तरह से बदमाशी से सरकार से जमीन हड़पता होगा और सरकार को धोखा देता होगा और सरकार को धोखा दे कर जमीन हड़प कर रखता होगा। आप लोग सब इस पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

मुझे इस सिलसिले में जो भाषण हुये उनको सुन कर ताज्जुब हुआ। मैं नहीं चाहता था कि इस पर बोलूं लेकिन जब मैंने सुना कि सात कोल्हू जो चलाये वही किसान है तब बोलने के लिये मेरी इच्छा भी हुई। एक कोल्हू पर कम से कम १० एकड़ अगर गन्ना हो तब जाकर उसका काम चल सकता है लेकिन सात कोल्हू पर ७० एकड़ गन्ने की पैदावार से कम काम नहीं चल सकता है। वह किसान नहीं होता है वह पेटी बुरजुआ है। हमारे यहां का किसान तो इतना ग़रीब है कि वह १, २ एकड़ पर गुजारा करता है। अगर किसी किसान के पास १० एकड़ जमीन है तो यह समझा जाता है कि वह खाने पीने के लिये अच्छा पैदा करता है। वैसे यहां पर सदन में आप लोग योग्य हैं, जो चाहें प्रस्ताव पास कर सकते हैं। आप लोग सरकार से कहते हैं कि वह पूंजीपतियों का समर्थन करती है लेकिन मैं निश्चित तरीके से कहता हूं कि आप भी पेटी बुरजुओं का समर्थन करते हैं। यहां पर किसानों के नाम पर दुहाई दी जाती है लेकिन आप उनका गला काटने के लिये तैयार हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस बिल का विरोध करना है तो इसका विरोध कीजिये और कहिये कि किसी भी तरीके से जो कोल्हू चलाये उस पर कर लगे चाहे वह एक कोल्हू चलाये या २ कोल्हू चलाये या ७ कोल्हू चलाये। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इस देश की हालत को देखते हुए किसान की दशा पर आप रहम कीजिये। अगर आप इस तरह की किसान की परिभाषा यहां पर करेंगे तो बाहर के लोग क्या कहेंगे और क्या इस सदन के प्रति अपनी भावना बनायेंगे कि यह सदन सात कोल्हू चलाने वाले को किसान कहता है। कम से कम जिस जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाकर भेजा है और जिसके सामने आप जिम्मेदार हैं उस जनता के साथ आप सहानुभूति रखिये। उनके लिये इस प्रकार से कहना कि सात कोल्हू चलाने वाला किसान है क्या यही जस्टिफिकेशन है? पूर्वी जिलों में कोई सात कोल्हू चलाने वाला नहीं है। पता नहीं हमारे बुजुर्ग दो बाबू कैसे यह कहते हैं? क्या उनके यहां ऐसे किसान हैं जो सात कोल्हू चलाते हों? वह पिछली असेम्बली में चिल्लाते रहे कि हमारे यहां जमीन की कमी है, भुखमरी है, खाने की कमी है फिर भी वह यह मानते हैं कि वहां सात कोल्हू चलाने वाले किसान हैं। अगर सात कोल्हू वाले किसान को आप किसान कहें तब तो हद हो गयी। मैं तो बोलने वाला ही नहीं था लेकिन जब मैंने सुना यह कि सात कोल्हू वाला किसान मामूली किसान है तो मुझसे रहा नहीं गया। हमारी तरफ तो यह है कि तीन, चार या पांच किसान मिल कर कोल्हू खरीदते हैं और बहुत बार इसके लिये वे किसी से रुपया उधार लेते हैं या कोल्हू वाले को ही यह कहते हैं कि हम गुड़ बेंच कर रुपया अदा करेंगे। पता नहीं कि आज यह कैसा किसान यहां आ गया जो कि सात कोल्हू चलाता है। अगर ऐसा हमको कहीं दिखलाया जाय तो हम जरूर मानने के लिये तैयार हैं। मुझे इतना ही निवेदन करना था।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)--अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:--

पक्ष में ६८,
विपक्ष में ३८।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं माननीय गेंदासिंह जी का प्रस्ताव लेती हूं। प्रश्न यह है कि....

श्री गेंदासिंह---मुझे जवाब देने का तो मौका मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---इसमें जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रवर समिति के प्रस्ताव के लिये जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है और वैसे सबेरे से काफी जवाब आपका हो चुका है।

अब प्रश्न यह है कि सदन यह निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९ [The Uttar Pradesh (Sugarcane Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Bill, 1959] को इस अधिकार के साथ कि पूरे अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाय, प्रवर समिति को भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---३९,

विपक्ष में---७७।)

श्री अधिष्ठाता---अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---अब तो क्लोजर मूव हो गया है, अब आप विरोध नहीं कर सकते हैं, आप कृपया बैठ जाइये।

श्री राजनारायण---क्लोजर तो यह हुआ है कि इस प्रस्ताव को प्रवर समिति में न भेजा जाय और इस पर आगे विचार न हो। अब तो विधेयक विचार के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं। आप मुझे इसके लिये मना कर रही हैं। तो मैं आप के द्वारा वह नियम जानना चाहता हूं जिसके द्वारा मुझे विरोध करने से रोका जा रहा है? क्लोजर मूव होने पर भी हम विरोध कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया बैठ जाइये।

श्री राजनारायण---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, यह व्यवस्था का प्रश्न है। मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। मुझे बताया जाय कि किस नियम के अनुसार हम इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। कोई भी विधेयक विचारार्थ जब लिया जाता है तो उसका विरोध हो सकता है, यह संसदीय परम्परा है। इसके तीन स्तर होते हैं उसको प्रस्तुत करने का, उस पर विचार करने का और उसके पास होने का इन तीनों स्तरों पर विरोध किया जा सकता है। माननीय गेंदा सिंह जी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय, वह आइटम क्लोज हो गया लेकिन उसके बावजूद भी हमको हक है कि हम यह कहें कि हम विचार नहीं करेंगे।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---वह तो हो गया।

श्री राजनारायण---आप इतना फुदकते क्यों हैं? तो श्रीमती अधिष्ठात्री जी, आप हमें पढ़ कर बता दीजिये कि हमारी नियमावली में कौन-सा नियम है जिसके हिसाब से अगर विचार का प्रस्ताव आये तो उसका विरोध नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता--- विरोध में तो डिबेट शुरू से चल रहा है। आप बैठिये।

श्री राजनारायण---लेकिन वह तो गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव पर मत हुआ है, विचार करने के प्रस्ताव का विरोध नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता---जब क्लोजर का प्रस्ताव आया और वह आ चुका है तो हाउस ने उसके लिये मत दे दिया है अब उसके बाद उस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण---मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी नियमावली में यदि कोई ऐसी व्यवस्था हो तो आप कृपया हमको पढ़ कर सुना दें। हमारा जो ज्ञान है संसदीय परम्परा का उसके अनुसार जब प्रवर समिति में भेजा जाने वाला प्रस्ताव गिर जायगा तब भी किसी सदस्य की समझ में यह बात आ सकती है कि वह सरकार से कहे कि सरकार इसे स्वतः वापस ले ले। यह तर्क वह प्रस्तुत कर सकता है। अब अगर बोलने का मौका ही नहीं दिया जायगा तो कैसे वह कहेगा कि यह विधेयक विचार के योग्य नहीं है और इसको यहां विचार के लिये लाकर सदन का समय नष्ट न किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---आप जरा बैठ जाइये। जिस वक्त यह बिल पेश किया गया तो उस वक्त यह प्रस्ताव विचार करने का था और जिस वक्त क्लोजर मूव किया गया है तो वह उसको बन्द करने के लिये। अब आप अगर विरोध करने के लिये दोबारा इसको उठाने के लिये कह रहे हैं तो आप कानून के खिलाफ बात कह रहे हैं। यह नियमावली में आप देखिये।

श्री राजनारायण---आप कृपया नियम १३२ निकाल लीजिये। उसके २ (क) में है:

> "१३२ (२) (क) विचारार्थ लिया जाय, तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय या उस पर राय जानने के लिये उस तिथि तक, जो प्रस्ताव में दी गयी हो, परिचालित किया जाय, अथवा ....

श्री अधिष्ठाता---आप जरा सुनिये। नियम ११६ इस प्रकार है: "(१) किसी प्रस्ताव के किये जाने के उपरान्त किसी समय भी कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि 'अब प्रश्न उपस्थित किया जाय' और जब तक कि अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या युक्तियुक्त वाद विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है, अध्यक्ष प्रस्ताव रखेंगे 'कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय'।

(२) जब उपनियम (१) के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो उससे आनुषंगिक प्रश्न या प्रश्नों को, और आगे वाद-विवाद के बिना तत्काल प्रस्तुत कर दिया जायगा...."

इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। मैं समझती हूं कि यह आपकी मति में आ गया होगा।

श्री राजनारायण---मेरी बात का समाधान नहीं हुआ। अगर आप यह कहें कि जब सरकार ने प्रस्ताव विचारार्थ उपस्थित किया तब माननीय गेंदासिंह जी ने संशोधन उपस्थित किया तो उसको मैं मान सकता हूं.....

श्री अधिष्ठाता---आप बैठ जाइये, आपका अब बहस करना बिल्कुल व्यर्थ है। अब मैं प्रस्ताव उपस्थित करती हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री राजनारायण---व्यवस्था का प्रश्न है। जिस किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो उस पर भाषण करने की भी स्वतंत्रता होगी। अगर आपका यह कथन सत्य हो कि पहले ही सारी बातें तय हो चुकीं तो इस पर फिर अब वोटिंग की क्या जरूरत है? आपने माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन को वोटिंग से गिरा दिया और आपका यह कथन है कि उनका संशोधन जो गिर गया उसमें सन्निहित है कि विचार का प्रस्ताव भी पास हो गया।

श्री अधिष्ठाता--आप विरोध तो अधिक मात्रा में और व्यर्थ में कर रहे हैं।

श्री राजनारायण--आप यह कह सकती हैं कि मेरा यह वैधानिक प्रश्न नहीं है लेकिन आपके द्वारा "व्यर्थ" शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--आप तो बेकार में लड़ रहे हैं।

श्री राजनारायण--आपसे लड़कर क्या करूंगा, मैं तो सबल से लड़ता हूं।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५९ [The Uttar Pradesh (Sugarcane Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Bill, 1959] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--७८,

विपक्ष में--४८।)

खंड २

२--उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ (जो आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक तथा प्रस्तावना में जहां भी शब्द "फैक्टरियों" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "फैक्टरियों तथा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० के दीर्घ शीर्षक तथा प्रस्तावना का संशोधन

श्री अधिष्ठाता--अब इस विधेयक के खंड २ पर विचार जारी होगा।

श्री रामायण राय--अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २ की पंक्ति २ से ४ में शब्द "जहां भी शब्द .....रख दिये जांय" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"जहां कहीं भी शब्द 'फैक्टरियों' आया हो उसके स्थान पर शब्द 'फैक्टरियों तथा खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयां' रखे जांय।"

जहां भी शब्द फैक्टरी आया है उसके आगे खांडसारी शुगर बनाने की इकाइयां, यह न रखा जाय, यह मेरा संशोधन है।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी कल से लेकर आज तक जो विवाद चल रहा है उसको सुनने के बाद हमारे इस मासूम संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। यह एक छोटा-सा संशोधन आप स्वीकार कर लें तो आपकी सारी मुसीबत दूर हो जायगी। केवल फैक्टरी रहने दिया जाय। खांडसारी और शक्कर बनाने वाली इकाइयां इसमें न रक्खा जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अधिष्ठात्री महोदया, मुझे इस बात का अफसोस है कि माननीय रामायण राय जी ने अपने जिस संशोधन को पेश करते हुए उसे मासूम कहा, उसका मुझे विरोध करना पड़ रहा है। इसका कारण आगे चलकर स्पष्ट हो जायगा। कल से लेकर आज तक यदि किन्हीं भाई को कारण स्पष्ट नहीं हुआ तो उसके लिये अधिक सफाई देना मेरे लिये सम्भव नहीं है। केवल एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि गुड़ और राब इसमें ये दो अल्फाज और रख दिये गये हैं। वे इसलिये रख दिये गये हैं कि जो बड़ी इकाइयां इसमें हैं वे किसानों वाली इकाइयां नहीं हैं। यह सिर्फ उन इकाइयों के लिये है जो बड़े-बड़े पावर क्रशर्स के जरिये गुड़ बनाते हैं। उन पर प्रतिबन्ध लगाना और उनकी देखरेख करना आवश्यक है नहीं तो ऐसा न हो कि जो लोग कोल्हू द्वारा गुड़ बनाते हैं वे उनके मुकाबले में गायब हो जायं। उन पर नजर रखना जरूरी है, इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर---अधिष्ठात्री महोदया, ख़ुदा ख़ैर करे यकीन मानिये, यह संशोधन भी मासूम है और मंत्री जी भी मासूम हैं, फिर इस पर कहा क्या जाय। जो संशोधन आया है उस पर कल से बहस जारी है। इसी संशोधन के लिये कहा गया कि वह मासूम है और जिनके सामने पेश किया गया है वह भी मासूम हैं। अब मेरी प्रार्थना है कि इस मासूमियत को मान लेना चाहिये और इसमें से निकाल देना चाहिये खांडसारी और गुड़ की इकाइयों को इस बिल से। अगर मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर बड़ी कृपा होगी और गरीबों का वे बड़ा भला करेंगे। सब से बड़ा प्रश्न यह है कि देहात में भी आजकल सहकारिता का बड़ा जोर है और उसके आधार पर यह चीज भी चल रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि किसानों को गन्ना बहुत दूर ले जाना पड़ता है। अगर किसी को यह देखना हो कि किस प्रकार से किसानों को अपना गन्ना मिल पर ले जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वह मेरे साथ चलें। जब गाड़ीवान गाड़ी में गन्ना भर कर चलता है तो एक पूरा दिन उसको रास्ते में लगता है। मिल पर उसको सारी रात एक रजाई ओढ़े निकल जाती है और दूसरे दिन शाम के ८ बजे तक उसका नम्बर आ पाता है। ऐसी हालत में इन इकाइयों को छोड़ देना चाहिये। इससे इन इकाइयों के पास रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस प्रकार यह एक मासूम-सा संशोधन है। मुझे यकीन है मंत्री जी अब इसको मंजूर कर लेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं इस संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरी आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना है कि गुड़ और राब बनाने का जो सामूहिक तरीका है, उस पर टैक्स लगाने की योजना को सरकार छोड़ दे। इस पर सरकार गौर से सोचे और जल्दबाजी न करे। यह जो टैक्स लगाया जा रहा है इसके बारे में हमें सब से प्रथम २० तारीख को मालूम पड़ा। इन तीनों दिनों में सरकार एक ऐसी अनोखी बात करना चाहती है जो आजतक देखने में नहीं आयी। यह नया टैक्स है और वह भी बहुमत के बल पर लगाने की कोशिश की जा रही है। इससे सरकार सवा तीन लाख रुपया पैदा करने जा रही है। इसी के आधार पर दूसरा कानून भी है। सन् १९५६ के कानून को आप देखें, उससे इसका संबंध है। उसमें से रू शब्द का प्रयोग किया गया है। उससे इसका संबंध है। इसका आधार वही है। इसको पास कर देने के बाद फिर बहस करने की आवश्यकता न रह जायगी। इसको ज्यों ही स्वीकार कर लिया गया त्यों ही टैक्स लग जाने का आधार स्वीकार कर लिया जायेगा। इसलिये इन शब्दों को बढ़ाये जाने का मैं विरोध करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---अधिष्ठात्री महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आप का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी जो संशोधन माननीय रामायण राय जी ने रखा है वह कहीं पर भी ठीक नहीं बैठता है, जिस तरह से वह लिखा है ठीक था लेकिन वैसे तो उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने तो कहा था कि "फैक्टरियों तथा खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" इसको हटा दिया जाय। वह इस का समर्थन नहीं कर रहे हैं जो छपा है। अवस्थी जी किसका समर्थन कर रहे हैं जैसे छपा है उसका समर्थन कर रहे हैं या जैसा रामायण राय जी ने प्रस्तुत किया है? जैसे रामायण राय जी ने प्रस्तुत किया है? वैसे तो बैठता ही नहीं जिसका वह समर्थन कर रहे हैं। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्पष्ट कर दूं .....

श्री अधिष्ठाता---आप का एतराज ठीक है, मोतीलाल जी बैठ जायं।

श्री राजनारायण---उनका मतलब यही है कि "फैक्टरियों तथा खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" हटा दिया जाय, वह गलत छप गया है, वह इस अंश को जो बिल में है संशोधन के द्वारा निकाल देना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का अंग माना जाय।

श्री राजनारायण---यह कैसे अधिष्ठात्री महोदया ....

श्री अधिष्ठाता---जब संशोधन बैठता ही नहीं है तो बोलने का सवाल ही क्या है ?

श्री राजनारायण---जो भाषण अब तक हो गये वह क्या अब एक्सपंज कर दिये जायंगे, वह तो प्रोसीडिंग का भाग बन गये। संशोधन गलत छप गया था कि "रख दिये जायं" लेकिन उन्होंने कहा था कि जहां भी शब्द "फैक्टरियों तथा खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" आये हैं वे हटा दिये जायं। उन्होंने साफ कह दिया था हमारा संशोधन इस प्रकार से रखा जाय, फिर भी आपको अधिकार है जैसे आप रामायण राय जी से संशोधन रखायें वह रखें।

श्री अधिष्ठाता---जो संशोधन सामने है वही लिया जायगा। अब भाषण समाप्त हो गया। माननीय गेंदासिंह जी का भी उसी से मिलता जुलता है ....

श्री गेंदासिंह---मेरी गलती नहीं है, मेरी बात भी सुन ली जाय।

श्री अधिष्ठाता---गेंदासिंह जी का भी वही है जो निकालना चाहते हैं, वह भी वही चीज रखना चाहते हैं। गेंदा सिंह जी पढ़कर मिला लें।

श्री गेंदासिंह---इस बिल के खंड २ में संशोधन इस प्रकार है कि "तीसरी पंक्ति में शब्द 'फैक्टरियों' के आगे शब्द "तथा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" को निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---(श्री गेंदासिंह से) आप ऊपर से पढ़कर जरा देखें।

श्री गेंदासिंह---उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ (जो आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक तथा प्रस्तावना में जहां भी शब्द "फैक्टरियों" आया हो उसके स्थान पर शब्द "फैक्टरियों तथा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता---आपका तो यह है कि इसे निकाल दिया जाय।

श्री गेंदासिंह---मेरा यह है कि तीसरी पंक्ति में शब्द "फैक्टरियों" के आगे शब्द "तथा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" को निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---यह अगर निकाल दिया जाय तो फिर इसका क्या बनता है।

श्री गेंदासिंह---मेरा मतलब यह है कि जहां शब्द "फैक्टरियों" आया हो वहां सिर्फ "फैक्टरियों" रहे और "तथा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" को निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---फैक्टरियों तो आया ही है। आपका जो मतलब है वह इसमें ठीक नहीं बैठता है। आप जैसा चाहते हैं उसको पढ़िए।

श्री मोतीलाल अवस्थी---उसमें पंक्ति तीन लिखा है उस पर जरा गौर करें।

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया बैठिए।

श्री गेंदासिंह---इसमें है कि जहां भी शब्द "फैक्टरियों" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "फैक्टरियों तथा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" रख दिये जायं। तो जहां कहीं भी प्रस्ताव रखने वाले का मकसद इसे रखने का है, वहां मेरा अमेन्डमेन्ट है कि सिर्फ "फैक्टरियों" रहे और "तथा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों" को निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---माननीय गेंदा सिंह जी, आपका मतलब यह हुआ कि फैक्टरियों की जगह तो फैक्टरियों ही होना चहिये। तो कोई संशोधन तो होता नहीं है आपका । क्लाज २ को आप क्या बनाना चाहते हैं वह बतला दीजिये ।

श्री गेंदासिंह---अब इतनी देर बाद यह बात मैं समझता हूं कि सीधी कही गई है। आपका दर्जा ऊंचा है, जो कुछ भी आपने रूलिंग दी है वह ठीक है । मैं विरोध तो कर सकता हूं ? अब मैं विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---आपका अमेन्डमेन्ट आउट आफ आर्डर है ।

श्री गेंदासिंह---मैं विरोध जिन कारणों से कर रहा हूं उन कारणों का बहुत हद तक जिक्र हो चुका है । अब भी मेरी राय है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाता तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेन्ट हो सकता था । मैंने इस उम्मीद से सेलेक्ट कमेटी वाला प्रस्ताव रखा था कि उद्योग उप मंत्री जी उस पर कुछ विचार करेंगे । उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि कुछ जवाब दें और जवाब मिला एक ऐसे आदमी के जरिये जो काशी का हो जिनका मैं आदर करता हूं क्योंकि हमारे यहां एक कहावत है कि काशी का पत्थर चाहे कड़े में हो और चाहे पूजा जाता हो सब शिव हैं । माननीय लाल बहादुर जी ने जवाब दिया कि ७ कोल्हू वालों को आपने मान लिया कि वह पूंजीपति नहीं हैं । मैं समझता हूं उन लोगों के ऊपर यह ज्यादती करने वाला बिधेयक है और यह क्लाज है । इसलिये मेरा विरोध करना जरूरी है । मैं जानता हूं इसका क्या नतीजा होगा, मेरा विरोध नहीं सुना जायगा । लेकिन मैं निवेदन कर दूं और कम से कम सारा देश समझता रहे कि वहां बैठने वालों में दो, तीन प्रकार के लोग थे । आगे आने वाली पीढ़ी थोड़े ही दिन बाद आयेगी वह समझेगी कि हमने गलती की, और हम भी समझेंगे । इसलिये मैं इस खंड का विरोध कर रहा हूं । जब कोई इसमें इम्प्रूवमेन्ट नहीं हो सकता तो ऐसा खुला हथियार सरकार को नहीं देना चाहिये । अगर आपकी मंशा यही है कि सिर्फ रिजर्व एरिया में आप रेगुलेट करना चाहते हैं तो उसके बाहर के क्षेत्र पर क्यों जुल्म किया जा रहा है ? ऐसा नहीं करना चाहिये । रिजर्व एरिया में ही कर दें लेकिन वह भी नहीं करना चाहते क्योंकि आपको याद होगा कि केन कमिश्नर ने एक आदेश निकाला कि पिछले तीन साल की जितनी औसत सप्लाई है उससे ज्यादा किसी का गन्ना नहीं लिया जायगा । बिजनौर जिले से इसके संबंध में रिप्रजेन्टेशन हुआ और जहां कहीं कुछ लोगों ने गन्ना ज्यादा पैदा किया या पर एकड़ ईल्ड बढ़ायी तो किसान यह चाहता है कि उसका गन्ना मिल में चला जाय लेकिन वह भी मिल को सप्लाई नहीं हो पाता है । यह आदेश आज भी प्रचलित है । अगर कोई अपने पिछले तीन साल की औसत सप्लाई से ज्यादा सप्लाई करना चाहता है मिल को तो उसको एक बांड करना पड़ेगा कि जितना ज्यादा वह गन्ना सप्लाई करना चाहता है उससे अगर कम सप्लाई होती है तो दो आना मन उसे तावान देना पड़ेगा, जो उसे पहले ही जमा करना होगा और तभी उसका गन्ना जा सकता है ? अगर उप मंत्री जी को न मालूम हो तो वह इसकी जानकारी कर लें कि रिजर्व्ड एरियाज का सारा का सारा गन्ना मिल में नहीं जा सकता तो फिर उसकी खपत का क्या बन्दोबस्त है । मान लीजिये रुहेलखंड और मेरठ डिवीजन का कोई किसान है और जिस पर आप कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं वह चाहता है कि वह कोल्हू रखे और अपने पैदा किये हुए गन्ने को खुद इस्तेमाल करे और मिल मालिक को न दे और खुद खांड या गुड़ बनाना चाहे तो उसके लिये इस क्लाज में कहां गुंजायश रह जाती है ? दूसरे इसमें यह भी गुंजायश नहीं है कि ४, ५ या १० किसान मिलकर ८ या १० बैलों का कोल्हू लगालें और कोआपरेटिव बेसिस पर किसान इकट्ठा हो कर इस प्रकार का कोई काम कर सकें, उनको एन्करेज करने के लिये इस क्लाज में कौन सी गुंजायश रह जायगी ? इसको माननीय मंत्री जरा समझने की कोशिश करें, हम लोग खामख्वाह हर बात में विरोध करने के लिये विरोध नहीं करते हैं । इस तरह की जब कोई गुंजायश नहीं है तो हमें इसका विरोध करना पड़ता है । हम यह जरूर चाहते

हैं कि इससे लोगों को एम्प्लायमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, इसलिये हम इसका विरोध करके आज यह चाहते हैं कि इस क्लाज को पास न किया जाय।

हम जल्दी करना चाहते हैं, देर नहीं करना चाहते। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि हम तो कुछ सोचते हैं लेकिन जब काम दूसरे लोगों के हाथ में पास होता है तो उसका इस्तेमाल किसी और तरह से होता है। एक कागज आया है केन कमिश्नर के दफ्तर से खांडसारियों के पास अपना हिसाब-किताब रखने के लिये। वह हिसाब-किताब एक्सपर्ट आदमी ही कर सकते हैं, कोई क्रशर या कोल्हू वाला जो गांव का किसान है वह हिसाब नहीं रख सकता। वह हिसाब रखने का आदी नहीं है। उसका नतीजा वही होगा जो सेल्स टैक्स में हुआ। जो करप्शन पहले वहां नहीं था वह उस क्रशर वाले को, कोल्हू वाले को सिखाया जायगा और करप्शन सिखाने वाले लोग यहां से पेड हो कर जायंगे। मुझे आज भी मालूम है कि पिछले वर्ष जो लाइसेंसिंग आर्डर के लिये जो आर्डर किया गया उसके लिये किस-किस जगह पर लाइसेंस लेने वालों को रिश्वत देनी पड़ती है।

दूसरी बात यह कि उनकी जांच के लिये जो हमारे इन्स्पेक्टर साहबान रखे जायंगे, यह प्राइज पोस्ट समझी जाती है और इसमें एक-एक इन्स्पेक्टर कितनी रकम कमा सकेगा मैं उसकी कल्पना इस वक्त नहीं करता हूं। और इससे न हम करप्शन रोक पायेंगे, न उसमें जो गलतियां होंगी उनको रोक पायेंगे और न टैक्स इवेजन को रोक पायेंगे। हां, एक चीज जरूर होगी कि कुछ किसानों को करप्शन में हिस्सा लेने के लिये हम मजबूर करेंगे और वह जो सीधा-सादा छोटा व्यापारी है, जिसको पेटी बुर्जुआ हमारे लाल बहादुर जी समझने लगे हैं और हम सब पेटी बुर्जुआ हैं इसलिये निकालो हम सब को। सीलिंग वाला बिल, आप बाद को आये, आपसे पहले की बात है, उसमें ८० एकड़ तक वाले को यह सरकार पेटी बुर्जुआ नहीं मानती है।

श्री लालबहादुर—इन्डायरेक्टली आप इसको सपोर्ट करते हैं?

श्री गेंदासिंह—नहीं सपोर्ट करता हूं, आप सुनिये तो जरा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस पेटी बुर्जुआ को भी हम जिन्दा रखना चाहते हैं अपने मुल्क में। करोड़पति को हम नीचे खिसकाना जरूर चाहते हैं और जो दरिद्र है उसको जरूर ऊपर उठाना चाहते हैं। कोई जादू की छड़ी अगर लाल बहादुर जी बता दें कि नहीं, बगैर उनको नीचे किये हुये हम नीचे के लोगों को ऊपर उठा देंगे तो दूसरी बात है। वरना यह बार-बार दोहराया जाता है कि हम बड़े लोगों को नीचे खिसकायेंग और छोट लोगों को ऊपर ले जायंगे। मगर यह बात बिल्कुल साफ है कि आपका जो काम हो रहा है वह छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को और नीचे ले जा रहा है और ऊपर के लोगों को और ऊपर ले जा रहा है। आखिर इन बातों का जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है उसकी स्टैटिस्टिक्स को मैं सामने रखता हूं। सन् १९४७ में जिन फैक्टरियों का मुनाफा १७१ था वह सन् १९५६ में जाकर ४५४ हो गया। क्यों हो गया? बहुगुणा जी कहते हैं कि क्या इसको बार-बार दोहराते हो। अरे, मैं इसको दोहराते-दोहराते मर जाना पसन्द करता हूं। इसको पढ़ कर हमारा खून उबलता है। आखिर जो अंग्रेजों के जमाने में किसानों को और मध्यम वर्ग के लोगों को लूटते थे उनको लुटवाने क लिये तो हम यहां नहीं आये हैं। तो अब जरा इसके साथ-साथ गांव के किसानों की आमदनी के आंकड़े बहुगुणा जी देखें कि सन् १९४७ के मुकाबले में सन् १९५६ में वह कितनी घटी है। ऐग्रीकल्चरिस्ट की इन्कम घटी, पर कैपिटा इन्कम गांव वालों की घटी। इसलिये इस बात पर जरा ठंढे दिल से गौर करना चाहिये और ऐसे तरीके नहीं अख्तियार करने चाहिये जिससे उनकी हालत और बदतर होती चली जाय। इस वजह से मैं कहता हूं कि इसको नामंजूर किया जाय।

श्री राजनारायण—मैं सरकार क, जो मूल अधिनियम को संशोधित करने के लिये यहां पर संशोधन विधयक का क्लाज रखे हुये है और जिस पर बहस चल रही है, उसके विरोध क लिय खड़ा हुआ हूं। माननीया अधिष्ठात्री महोदया, ने अपनी व्यवस्था दे दी वरना यदि

[श्री राजनारायण]

माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन रहता तो उसमें मैं 'केवल' एक शब्द जोड़ देता और उससे काम चल जाता मगर उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वह संशोधन अवैधानिक नहीं था बल्कि शब्दों की पुनरुक्ति हो रही थी इसलिये उसको हटा देना चाहिये था ताकि जो परम्परा पड़े वह सभ्य और स्वस्थ हो, इसलिये मैंने कह दिया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुगुणा जी का संबंध इंडस्ट्री से काफी है। यदि मैं कहूं कि फैक्टरी की परिभाषा बहुगुणा जी नहीं जानते हैं तो यह हमारे लिये उचित नहीं होगा। मैं न जानूं तो कोई बड़ी गलती नहीं है लेकिन वह मंत्री हैं। कितने आदमी उसमें काम करते हैं जिसे फैक्टरी कहते हैं? माननीय बहुगुणा जी बता सकते हैं। बहुगुणा जी ने जो कल से लेकर आज तक तर्क प्रस्तुत किया है, वह कहते हैं कि हम एक स्तर से छट कर रहे हैं। चाहे उसको टैक्स कहा जाय या किसी भी संज्ञा से पुकारें, पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो फैक्टरी भी तो एक स्तर ह, उसको नीच क्यों कर रह हैं, बहुगुणा जी? स्पष्ट है कि फैक्टरी में और फक्टरी के नियमों के मुताबिक जिसे फैक्टरी कहते हैं, उससे काम चलता नहीं था। इसलिये वह चाहते थे कि टैक्स ऐसे लोगों पर भी बढ़ायें जो गरीब किसानों से गन्ना लेकर किसानों का कुछ फायदा कर रहे हों। तो सरकार की पूंजी-परस्त नीति के कारण मिल मालिकों से जो त्राण पाने की किसानों की कोशिश हो रही थी वह नहीं हो पाई। मैं ज्यादा विशद व्याख्या में जाना नहीं चाहता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि गेंदा सिंह जी के जो भाव थे वह ठीक थे मगर मैं काशी और देवरिया के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता हूं। काशी में भी इंसान और गदहे पैदा होते हैं और देवरिया में भी इंसान और गदहे पैदा होते हैं। इसलिये मैं समझता था कि इस प्रसंग में नहीं जाना चाहिये। और गेंदा सिंह जी ने एक व्यक्ति विशेष का बारबार नाम लिया उनको यह नहीं समझ लेना चाहिये कि वह बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्र के पंडित हैं। किसको बुर्जुआ कहते हैं, किसको पेटो बुर्जुआ कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा करनी पड़े तो वह संकट में पड़ जायंगे और मैं गेंदा सिंह जी को बता देना चाहता हूं कि अगर ऐतिहासिक साहित्य का अध्ययन किया जाय तो मालूम होगा कि बुर्जुआ से ज्यादा डेंजरस एजेंट्स आफ बुर्जुआ हुये हैं,(पूंजीपतियों के एजेंट) वह ज्यादा खतरनाक होत हैं। यह हमने उनको बता दिया है। अगर वह पता लगायेंगे तो उनको मालूम हो जायगा कि किस ने कब किस बुर्जुये की एजेंटी की है। सवाल आया कि समाजवादी चरित्र क्या है और गरीब का लुंपन चरित्र क्या है।

(इस समय ४ बज कर ५२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जिन्होंने समाजवादी साहित्य का अध्ययन किया होगा उन्हें मालूम होगा कि सभी गरीब समाजवादी नहीं होते, कुछ ऐसे भी गरीब हैं जो लुंपन हैं अर्थात् चरित्र भ्रष्ट हैं, जैसे भिखमंगे आदि। ऐसा नहीं माना जाना चाहिये कि जो गरीब है, वह सभी समाजवादी हैं। आज बहुत से गरीब ही गरीबों के हित में शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं। माननीय गेंदासिंह भी इससे सहमत होंगे। अगर गरीब स्वतः अपने प्रति शत्रुता न किये होते तो ऐसे लोग इस सदन में न आ गये होते जिनके बारे में माननीय गेंदासिंह जी ने संकेत किया। इसलिए मैं उस प्रश्न को छोड़ देता हूं। उसकी व्याख्या अगर कोई समुचित समय आयेगा तो करूंगा। यही नहीं समझ लेना चाहिए कि कहीं से कोई किसी स्थिति में यदि विजयी हो गया तो उसकी विजय सत्य थी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस समय माननीय अध्यक्ष महोदय आ गये हैं जो इन शब्दों के गुरुत्व को समझने की क्षमता रखते हैं और इसलिए मुझ को कुछ हिम्मत हुई कि मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दूं तो वह व्यर्थ नहीं जायंगे। इसलिए मैं कह रहा था सत्य को जो विजय होती है उसको सत्य कहा जाता है, या जो विजयी हो जाता है उसको सत्य कहा जाता है, इसको समझ लेना चाहिए। विजय ही सत्य नहीं है। हां, सत्य को जब विजय हो जाय तब उसको सत्य माना जाना चाहिए। माननीय विचित्र नारायण जो आज यहां मौजूद हैं इसलिए अच्छा हुआ मैंने इसको कह दिया। माननीय गेंदा सिंह जी से मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हर विजय को वह सत्य न मानें। इसलिए जो विजय इस समय हुई है वह सत्य नहीं ह।

श्री अध्यक्ष---विजय विधेयक के किस खंड में लिखी है ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यहां बड़ी चर्चा हो गयी। आप यहां नहीं थे। मैंने प्रसंग रूप में कह दिया। मैं केवल संशोधन पर ही अपने को सीमित रखना चाहता हूं। माननीय बहुगुणा जी केवल फैक्टरी ही रहने दें। जहां २० आदमी काम करते हैं या कभी पचास रहे हों वहां पर फैक्टरी मान ली जाती है। अगर इतने आदमियों को लेकर कोई काम कर रहा हो और गन्ना की क्रशिंग का कार्य चल रहा हो तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। जो संशोधन किया जा रहा है, वह इस रूप में किया जा रहा है कि "फैक्टरियों" ही न रहे बल्कि "फैक्टरियों" तो रहे ही उसके आगे जोड़ दिया जाय "गुड़, राब या खांडसारी शकर बनाने वाली इकाइयां"। जिस परिभाषा में वह इस विधेयक को बांधना चाहते हैं वह इकाई से सध जाता है इसलिए 'इकाई' शब्द का प्रयोग कर दिया गया। इसलिए यह आसानी से समझ में आने वाली बात है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो भाव अब तक व्यक्त किये गये थे अगर वह सही हैं तो मैं पुनः माननीय बहुगुणा जी से आग्रह करूंगा कि वह सरकार को इस बात पर राजी कर लें। इससे न मिल मालिकों का कोई बड़ा भारी अहित होगा न सरकार का। यद्यपि यह सरकार कह रही है कि मिलों में जो गन्ना दिया जाता था पहले चूंकि अब उस क्षेत्र में बहुत सी क्रशिंग मशीनरी लग गयी हैं इसलिए किसान अपना गन्ना मिलों को न देकर छोटी-छोटी विद्युत् संचालित मशीनों को या जिनको पेटी बुर्जुआ या बुर्जुआ कहा गया है उनको देगा। शब्दों के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब माननीय बहुगुणा जी सुबह हमारी इस बात को मान चुके हैं और जो आंकड़ा माननीय बहुगुणा जी ने दिये थे १९ लाख एकड़ का, ३३ प्रतिशत से ऊपर गन्ना मिलें आज भी नहीं ले रही हैं, ६७ प्रतिशत गन्ना किसानों के पास बच जाता है और ४.५ प्रतिशत गन्ना ही जो क्रशिंग मशीनरी छोटी-छोटी लगी हुई हैं उनमें अब तक पेरे जाने का आंकड़ा सरकार के पास प्राप्त है, तो हमें यह बात तर्क संगत,बुद्धिसंगत और न्यायसंगत नहीं प्रतीत होती है कि क्यों उन छोटी-छोटी इकाइयों पर भी टैक्स बढ़ाया जाय ? श्रीमन्, इसे देखा जाय कि सरकार ने जो आंकड़े सुबह दिये थे उन आंकड़ों में बहुत ही सफाई के साथ सरकारी पक्ष की ओर से यह बात कही गई थी हम लोगों के जवाब में कि यह सही है कि अभी हमारे प्रदेश में जो रिजर्व एरिया है, जो सुरक्षित , संरक्षित क्षेत्र है उसका सारा गन्ना मिलें नहीं ले पाती हैं बल्कि उस क्षेत्र का ३० प्रतिशत या अधिक से अधिक ३३ प्रतिशत ले सकती हैं, तो हमने कहा था कि जब ७० प्रतिशत के करीब किसानों का गन्ना रह जाता है, जो मिलें नहीं ले पाती हैं उस गन्ने को अगर किसान किसी से क्रश करा लेता है, किसी से पेरवा लेता है तो सरकार को क्या आपत्ति होनी चाहिए ? सरकार की ओर से कोई तर्कपूर्ण, न्यायपूर्ण और बुद्धिपूर्ण उत्तर अभी तक नहीं मिला है। अब माननीय मुख्य मंत्री जो आये हैं। शायद वह उत्तर देने की चेष्टा करें। मैं यह चाहता हूं और यह एक अच्छी बात है, किसी भी नेता का यह जरूर चाहिए कि वह अपने संरक्षण में छोटे-छोटे नेताओं को पैदा करे और उनके ऊपर कुछ भार देता रहे। मगर उनको बैठ कर के सुनना भी चाहिये कि सरकारी पक्ष सदन में जिस प्रकार रखा जा रहा है.....

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राजनारायण---तो फिर दूसरे दिन चलेगा।

चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण सम्बन्धी प्रस्ताव पर विवाद के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ५३ के अन्तर्गत श्री गोविन्दसिंह विष्ट, श्री मन्नालाल तथा श्री रघुरनतज बहादुर सिंह की सूचना पर विवाद होगा और इसके साथ-साथ एक प्रस्ताव भी मेरे सामने श्री नारायणदत्त जी का है, यह उसकी नकल है, कई लोगों का है शायद लेकिन उस पर दस्तखत सिर्फ नारायणदत्त

[श्री अध्यक्ष]

जी तिवारी के हैं और बाकी कई लोगों का किस किस-का है, कौन-कौन हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन कई आदरणीय सदस्यों का है। तो अब प्रश्न यह है कि नियम ५३ के अनुसार इसको लिया जाय या जो अभी यह प्रस्ताव आया है प्रस्ताव के रूप में इस प्रस्ताव को विचारार्थ लिया जाय? यह प्रस्ताव इस प्रकार है:

"यह सदन चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा भारत की उत्तरी सीमाओं के अन्तर्गत बहुत बड़े भू-भागों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बाराहुती, निलंग आदि स्थानों को जो कि ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा परम्पराओं से भारत एवं तदनुसार उत्तर प्रदेश के अभिन्न अंग हैं एवं रहे हैं, चीन की राष्ट्रीय सीमाओं के अन्तर्गत मानने तथा भारत को उन स्थानों एवं भू-भागों में आक्रान्ता तथा अनधिकृत-अधिकारी ठहराने आदि भारत विरोधी कार्यों की तीव्र भर्त्सना करता है, तथा संस्तुति करता है कि इस साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से ओतप्रोत कम्युनिस्ट चीनी कुचेष्टा का सामना करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जायं, तथा सभी राष्ट्रीय तत्त्वों का सहयोग प्राप्त कर देश एवं उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमाओं की सबल रक्षा तथा सर्वांगीण विकास हेतु शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये जायं, ताकि देश के भीतर तथा बाहर के राष्ट्र विरोधी तत्वों का नष्ट किया जाना भी सम्भव हो सके"

यह उनका प्रस्ताव है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---इस सम्बन्ध में मुझे एक निवेदन करना है कि कैसे और किन कारणों से माननीय नारायणदत्त जी ने इस प्रस्ताव को अपने नाम से दे दिया। मैं ऐसा समझता हूं कि नारायणदत्त तिवारी जी अगर इसको साफ करना चाहें तो कर दें। यह प्रस्ताव पहले हम लोगों का था। जब आपके यहां गया तो सब लोगों का इस पर दस्तखत होना चाहिये था। उस पर नारायणदत्त जी का भी दस्तखत था और ६, ७ लोगों के दस्तखत और थे। नारायणदत्त जी का छठा या सातवां दस्तखत था। उनका नाम पहले कैसे आ गया है? अभी एक हमारा प्रस्ताव भी डिपार्टमेंट को गया था डिपार्टमेंट ने गेंदासिंह जी का नाम दे दिया। डिपार्टमेंट ने अपनी गलती कबूल कर ली तो हम चुप रहे। वैसे वह प्रस्ताव मोतीलाल जी अवस्थी का था। वह प्रस्ताव आपके डिपार्टमेंट में हमने दिया। उस पर मोतीलाल जी अवस्थी का नाम पहले आया था। श्री गेंदा सिंह जी का भी प्रस्ताव था लेकिन डिपार्टमेंट ने कहा कि यह हमसे गलती हो गई। पहले नाम मोतीलाल जी का आना चाहिये था लेकिन उन्होंने गेंदा सिंह जी का दे दिया। चीनी आक्रमण पर इसके पहले भी हमने एक प्रस्ताव दिया था जो कि नियम ५३ के अनुसार था। एक हमने काम रोको प्रस्ताव भी दिया था, वह सब रह गये। अगर उनको नहीं लिया जाय तो फिर जैसा आप चाहें उस तरह से लिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मुझे खेद है कि बिना मुझसे पूछे ही राजनारायण जी ने इस प्रकार से शंका व्यक्त कर दी। श्रीमन्, आपको ज्ञात होगा कि उसके ऊपर ६-७ दस्तखत थे। वह प्रस्ताव मैंने आपकी सेवा में दिया था लेकिन वह प्रस्ताव मिल नहीं रहा है। वह इधर-उधर हो गया है। उसकी सही कापी विभाग न मांगी तो प्रमाणित करने के लिये मैंने उस पर अपने दस्तखत कर दिये। वह प्रस्ताव केवल मेरे ही नाम से नहीं था। मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। राजनारायण जी का नाम पहले आ जाता। मैं इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया करता।

श्री अध्यक्ष---जब वह स्वयं बता रहे हैं कि वह प्रस्ताव ६, ७ दस्तखतों से था और वह मिल नहीं रहा है तो यह बात सच है। वह मेरे पास बीच में दोपहर को आये भी थे और कह रहे थे कि हमारे दफ्तर में उन्होंने दिया। दफ्तर वाले कहते हैं कि उस प्रस्ताव को वापस कर दिया गया। इस तरह से बातचीत चल रही थी। मालूम यह होता है कि उसके बाद वह मिला नहीं है लेकिन मैंने देखा कि उसमें राजनारायण जी के दस्तखत थे। पालीवाल जी के दस्तखत

थे। राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी के दस्तखत थे। इस तरह से और भी दस्तखत थे। मतलब यह है कि पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि आप नियम ५३ के अनुसार उस पर चर्चा करना चाहते हैं या खाली प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं।

(कुछ रुककर)

इस विषय में इच्छा यह मालूम होती है सब पार्टी के अधिकतर लोगों की कि वह प्रस्ताव के रूप में आये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अगर आप मुझे यह इजाजत दे दें कि जो नारायणदत्त जी तिवारी के नाम से प्रस्ताव आया है उसको पेश कर दूं तो मैं उसको ही पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष---इसको ५३ के अनुसार चर्चात्मक रूप में लिया जाय या प्रस्ताव के रूप में लिया जाय ?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---प्रस्ताव के रूप में इसको लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रस्ताव के रूप में ही इसको लिया जायगा ऐसी इच्छा सरकार की तरफ से भी मालूम होती है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या यह प्रस्ताव जिस रूप में आ रहा है वह नियमावली के अनुसार है ? जो वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में हम इस प्रस्ताव में जिक्र कर रहे हैं क्या अपनी इस सभा के अन्दर उस पर चीन हिन्दुस्तान की सीमा सम्बन्धी जो धारणा है उस तरह से रख सकते हैं या जैसा बँगाल असेम्बली या आसाम असेम्बली ने पार्लियामेंट से सिफारिश की है कि वह इन तमाम बातों का ध्यान रखे इस तरह से करें। यह हमारा जो प्रस्ताव है उसमें चीन पर आक्रमण करने का आरोप है, हमारे प्रदेश के कुछ हिस्से पर कब्जा करने का आरोप है, तो क्या इस तरह के प्रस्ताव पर हमारी इस सभा को इस बात पर विचार करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष---जहां तक वैदेशिक नीति का सवाल है उसकी चर्चा यहां पर नहीं हो सकती या उस पर बहस नहीं हो सकती लेकिन जो फैक्ट्स हैं उन पर बहस हो सकती है। अगर उत्तर प्रदेश में चीनी चले आयें और आप कहें कि वह वैदेशिक मामला है उस पर हम बात नहीं करेंगे, चाहे वह हमारे घर ही में क्यों न घुस आयें, तो ऐसी चीज नहीं हो सकती। वह तो स्वयं कह रहे हैं कि "भूभागों में आक्रान्ता तथा अनधिकृत अधिकारी ठहराने आदि भारत विरोधी कार्यों की तीव्र भर्त्सना करता है।" यह सर्वमान्य है कि ऐसा आक्षेप करने का उन्होंने प्रयत्न किया और कहा कि तुम आक्रान्ता हो। यह चीन का आक्षेप है भारतवर्ष के ऊपर। वह आक्रान्ता भारतवर्ष को सिद्ध करना चाहते हैं। यह फैक्ट्स की बात है और इससे नीति का संबंध नहीं है। प्रस्ताव में सिर्फ यह है कि "सदन भारत विरोधी कार्यों की तीव्र भर्त्सना करता है और संस्तुति करता है कि ऐसी समाम्राज्यवादी मनोवृत्ति उत्पन्न चीनी कुचेष्टा का सामना करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जायं तथा सभी राष्ट्रीय तत्वों का सहयोग प्राप्त करके देश एवं उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा की सबल रक्षा तथा सर्वांगीण विकास हेतु शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये जायं। इसके सम्बन्ध में आप जिक्र कर ही सकते हैं। रक्षा के बारे में आप मदद करें केन्द्रीय सरकार को और यह सब बातें इस बारे में आप कह सकते हैं। प्रस्ताव के एक आध शब्द पर अगर किसी को आपत्ति हो, तो उसके सम्बन्ध में जब प्रस्ताव हमारे सामने आयेगा उस समय हम उसमें संशोधन ला सकते हैं। लेकिन आम तौर पर जो प्रस्ताव सामने रखा गया है उसमें वैदेशिक नीति पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है केन्द्रीय सरकार की। इसलिये यह प्रस्ताव लिया जा सकता है।

अब इस प्रस्ताव को लेने की मंजूरी तो मैं दे देता हूं, लेकिन अचानक ही यह प्रस्ताव यहां आ गया। यह अभी सब के सामने नहीं आया है। तो इसकी भाषा देखने के लिये सब लोगों को मौका मिलना चाहिये ताकि वे इसको देख लें। दूसरे, मुझे ऐसा खयाल था कि जितने विधेयक हैं कार्यक्रम पर उनमें से काफी आज पूरे हो सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अगर प्रस्ताव

[श्री अध्यक्ष]

का सिलसिला शुरू हो गया तो सम्भव है कि इसको हम लगातार लें। सुबह तो सोचा था कि नियम ५३ के अनुसार इस पर बहस होगी ५ बजे के बाद और उस पर चर्चा हो जायगी, लेकिन जब हम इसे प्रस्ताव के रूप में लेते हैं तो यह अनुचित सा मालूम होता है कि अभी हम इसको लें और कल इसको ही जारी न रख करके बिल ले लें और फिर उनके बाद इस प्रस्ताव को लें। तो यह एक तमाशा-सा हो जायगा। अगर हम प्रस्ताव लेते हैं तो वह समाप्त होने तक लगातार चलना चाहिये। इसलिये मैं यद्यपि इसको प्रस्ताव के रूप में ले लेता हूं, लेकिन यह प्रस्ताव के रूप में कल शुरू होगा ताकि २८ तारीख को इसका सिलसिला जारी रह सके। आज इसको शुरू करके कल विधेयक पर विचार हो और फिर इसको लिया जाय यह कुछ अनुचित सा होगा। दूसरी बात यह है कि अगर यह प्रस्ताव कल आ जाता तो लोगों को नोटिस मिल जाती और सब लोग इसको देख लेते। आज सबके देखने का मौका नहीं है और जिस दृष्टिकोण से चन्द्रजीत जी ने अपनी बात रक्खी है उस दृष्टिकोण से मैं भी इसको देख नहीं पाया हूं। सब को मौका देने के लिये मैं समझता हूं कि इसको हम कल लें और कल शाम से शुरू करें और फिर यह जारी रहे। कल दिन भर बिल चलते रहें और यह प्रस्ताव शाम को लिया जाकर २८ तारीख को जारी रहे तो ऐसा करने से उसमें खंड नहीं पड़ेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---इसको मूव करने की आज्ञा तो शायद मुझको ही मिलेगी।

श्री अध्यक्ष---जो प्रश्न आपने पूछा है उसे मैं देख लूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---नारायणदत्त जी राजी हैं और दूसरे लोग भी राजी हैं। अभी उनसे स्वीकृति मिल सकती है।

श्री अध्यक्ष---उनका कहना यह है कि नियम ५३ में उनको अधिकार है शुरू करने का। वह चाहते हैं कि प्रस्ताव को भी वही शुरू करें। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है?

(किसी के न बोलने पर)

तो किसी को आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण---नियम ५३ में तो इस गरीब का भी है और कामरोको प्रस्ताव भी हमारा था। आप यह प्रस्ताव अब फिर से ले रहे हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा कहना तो यह है कि इसमें गोविन्द सिंह जी के ही दस्तखत नहीं हैं, और लोगों के भी हैं। अगर गोविन्द सिंह जी इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी स्वीकृति केवल नारायणदत्त जी से ही क्यों ली जाती है? उनसे ही पूछ कर इसका निर्णय क्यों किया जाता है?

श्री अध्यक्ष---अब आपने भी तो अपनी स्वीकृति दे दी है। अब आप कृपया बैठिये।

अब कल इस प्रस्ताव पर बहस होगी। अब चूंकि और कार्य नहीं है, इसलिये हम उठते हैं और कल फिर ११ बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२३ दिसम्बर, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिय पीछे पृष्ठ १९५ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६

विधेयक

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये गवर्नर द्वारा ३० नवम्बर, १९५९ को उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ प्रख्यापित किया गया था ;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ६, १९५९

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश, जो 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्त्तन में न रहेगा, विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६ के दीर्घ शीर्षक तथा प्रस्तावना का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक तथा प्रस्तावना में जहां भी शब्द "फैक्टरियों" आया हो उसके स्थान पर शब्द "फैक्टरी तथा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६ की धारा २ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

(१) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(ख) शब्द 'गन्ना' , 'फैक्टरी', 'गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई', 'फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई का अध्यासी', तथा 'राज्य सरकार' के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में दिये गये हैं तथा शब्द 'गन्ना आयुक्त' तथा 'शक्कर आयुक्त' के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः शब्द 'गन्ना कमिश्नर' तथा 'चीनी कमिश्नर' के दिये गये हैं ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३

(२) खंड (ग) में जहां भी शब्द 'फैक्टरी' आया हो, उसके स्थान पर शब्द 'फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई' रख दिये जायं और कोष्ठक तथा शब्द 'Owner of the factory' निकाल दिय जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६ की धारा ३ का संशोधन

४--मूल अधिनियम की धारा ३ में:--

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के भूगृहादि (premises) में प्रयोग, उपभोग अथवा बिक्री के निमित्त लाये गये गन्ने पर पच्चीस नये पैसे प्रतिमन से अनधिक उपकर (cess) लगा सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा फैक्टरी और गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के लिये उपकर की भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित की जा सकती हैं ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई में प्रयुक्त अथवा प्रयुक्त होने वाले गन्ने के संबंध में उस विज्ञप्ति में निर्दिष्ट सीमित प्रयोजन के लिये उक्त उपकर की पूर्णतः अथवा अंशतः छूट दे सकती है ।

स्पष्टीकरण--यदि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के संबंध में इस प्रकार की घोषणा करे तो उस फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई में प्रयोग, उपभोग अथवा विक्रय किये जाने के लिये अभिप्रेत अथवा अपेक्षित गन्ने की खरीदारी के लिये निर्दिष्ट (set apart) उत्तर प्रदेश में स्थित कोई स्थान उस फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई का, जैसी भी दशा हो, भूगृहादि समझा जायगा ।"

(२) उपधारा (२) में शब्द "फैक्टरी" तथा "के स्वामी" के बीच में शब्द "अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६ में नई धारा ३-क से ३-घ तक का बढ़ाया जाना

५--मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ३-क से ३-घ तक के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

गुड़ या राब बनाने के लिये लाइसेंस देना

"३-क--(१) गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली कोई इकाई सिवाय उस इकाई के जिसने उत्तर प्रदेश शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने का आदेश, १९५९ के अधीन लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, शक्कर आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त किये बिना गुड़ या राब बनाने से सम्बद्ध कोई प्रक्रिया न करेगी न हाथ में लेगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र शक्कर आयुक्त को ऐसे आकार में तथा ऐसे शुल्क के खजाने के चालान के साथ, जो नियत किया जाय, दिया जायगा ।

(३) उपधारा (२) के अधीन लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र शक्कर आयुक्त द्वारा यथासम्भव शीघ्र निस्तारित किया जायगा और उसे अस्वीकृत नहीं किया जायगा, सिवाय उस दशा के जब शक्कर आयुक्त की यह राय हो कि फैक्टरी में गन्ना पेरने की फसल

भर पूर्ण रूप से कार्य जारी रखने के लिये गन्ने की पर्याप्त सम्पूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है ।

(४) उपधारा (३) के अधीन शक्कर आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा ।

(५) लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में प्रार्थी उस आज्ञा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिये नियत अवधि की समाप्ति के पश्चात् या अपील के अस्वीकृत किये जाने पर दिये गये लाइसेंस शुल्क की वापसी का हकदार होगा । वापसी के प्रार्थना-पत्र पर एक रुपया पच्चीस नये पैसे का न्याय शुल्क (कोर्ट फी) स्टाम्प लगाया जायगा ।

लाइसेंस का नवीकरण

३-ख---(१) धारा ३-क के अधीन दिया गया लाइसेंस प्रति वर्ष १ अक्तूबर से प्रारम्भ होने वाले बारह मास के अवधि के लिये वैध होगा, किन्तु उक्त अवधि के व्यतीत हो जाने के कम से कम ३० दिन पूर्व प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर तथा ऐसे शुल्क जो नियत किये जायं, दिये जाने की शर्त के अधीन रहते हुये, उसका नवीकरण समय-समय पर ऐसी अवधि के लिये किया जा सकता है जो १ अक्तूबर से प्रारम्भ होकर बारह मास से अधिक की न हो।

(२) ऐसे विलम्ब शुल्क जो नियत किये जायं, दिये जाने की शर्त के अधीन रहते हुये इस अधिनियम के अधीन दिये गये या नवीकृत लाइसेंस का नवीकरण उस दशा में भी किया जा सकता है जब उसके लिये प्रार्थना-पत्र उपधारा (१) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि के पश्चात् दिया गया हो ।

लाइसेंस के निलम्बन या रद्द किये जाने की शर्तें

३-ग---(१) शक्कर आयुक्त इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के किसी उपबन्ध या लाइसेंस की किसी शर्त के उल्लंघन की दशा में इस अधिनियम के अधीन दिया गया या नवीकृत लाइसेंस निलम्बित या रद्द कर सकता है या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन शक्कर आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन लाइसेंस के रद्द या निलम्बित किये जाने से लाइसेंस ग्रहीता किसी प्रतिकर का या उस लाइसेंस के संबंध में दिये गये किसी शुल्क की वापसी का हकदार न होगा ।

शक्कर आयुक्त के अधिकार

३-घ---(१) शक्कर आयुक्त इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये---

(क) किसी गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के स्वामी से ऐसे अभिलेख, तथ्य-लेख (data) या सूचना जो नियत की जाय, रखने, देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ; और

(ख)---यदि यह विश्वास हो कि इस अधिनियम का अथवा उसके अधीन बने नियमों का अथवा किसी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, अथवा यदि ऐसे उल्लंघन की आशंका हो तो, किसी गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के भूगृहादि में

प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है, या किसी इकाई के गन्ने का रस गुड़ या राब के, या उनसे बनने वाली किसी वस्तु के, बनाने से संबद्ध किन्हीं उपकरणों (implements) को जब्त कर सकता है और उन्हें अभिरक्षा में ले सकता है ।

(२) शक्कर आयुक्त उपधारा (१) के अधीन प्राप्त अपने समस्त या किसी अधिकार को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६ की धारा ४ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ४ में शब्द "उपकर अदा न करे" और उनके पश्चात् आये हुये कामा के बीच में शब्द "या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे" बढ़ा दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६ की धारा ८ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ८ में जहां भी शब्द "फैक्टरी" आया हो उसके स्थान पर शब्द "फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६ की धारा १० का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (ग-१) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(ग-१) लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र का आकार, और इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस के निबन्धन और शर्तें तथा लाइसेंस दिये जाने के लिये लिया जाने वाला शुल्क या विलम्ब शुल्क ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश ६, १९५६ का निरसन

९—उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५९, निरस्त किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त अधिनियमिति (enactment) हो और पुनः अधिनियमित किया गया हो ।

उद्देश्य और कारण

३० नवम्बर, १९५९ को गवर्नर ने उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ प्रख्यापित किया था जिसके उद्देश्य और कारण सदन के समक्ष उक्त अध्यादेश के साथ रक्खे गये ज्ञापन पत्र में दिये गये हैं । अब यह विधेयक, अध्यादेश के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करने तथा अधिनियम में कतिपय अन्य छोटे संशोधन, जो कि संलग्न विवरण में स्पष्ट किये गये हैं, करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है ।

सम्पूर्णानन्द,
मुख्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५९ के उन उपबन्धों के स्पष्टीकरण का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायी अधिकार के प्रतिनिधान की प्रस्थापनाएं समाविष्ट हैं

विधेयक का खंड ८ राज्य सरकार को अधिनियम की धारा १० के अधीन, लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र का आकार, लाइसेंस के निबंधन और शर्तें तथा अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिये जाने के लिये वसूल किया जाने वाला शुल्क या विलम्ब शुल्क निर्धारित करने के निमित्त नियम बनाने का अधिकार देता है । इन विधायी अधिकारों के प्रतिनिधान की यह प्रस्थापना प्रक्रिया-संबंधी तथा सामान्य प्रकार की है ।

सम्पूर्णानन्द,
मुख्य मंत्री ।

विधेयक के उपबन्धों में किये गये परिवर्तन स्पष्ट करने के लिये विवरण

(१) शब्द 'खंडसारी' को स्पष्ट करने के लिये उसके स्थान पर शब्द 'खंडसारी शक्कर' रख दिये गये हैं ।

(२) उत्तर प्रदेश खंडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने का आदेश, १९५९ तथा अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के संबध में एकरूपता लाने के हेतु अधिनियम की धारा ३-क से ३-घ तक में शब्द "गन्ना आयुक्त" के स्थान पर शब्द "शक्कर आयुक्त" रख दिये गये हैं । इसके फलस्वरूप अधिनियम की धारा २ के खंड (ख) में शब्द "शक्कर आयुक्त" भी बढ़ा दिये गये हैं ।

(३) कुछ परिस्थितियों में लाइसेंस के नवीकरण से इन्कार करने तथा ऐसी दशा में लाइसेंस शुल्क वापस किये जाने की व्यवस्था करने के निमित्त अधिनियम की धारा ३-क में यथोचित परिवर्तन कर दिये गये हैं ।

(४) अधिनियम की धारा १० की उपधारा २ के खंड (ग-१) में शब्द "शुल्क" के बाद शब्द "या विलम्ब शुल्क" बढ़ा दिये गये हैं, क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत बनने वाले नियमों में लाइसेंस का प्रार्थना-पत्र ग्रहण करने के लिये विलम्ब-शुल्क की व्यवस्था भी करनी होगी ।

म्पूर्णानन्द,
मुख्य मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२४२ एल० ए०—१९६०—८४५ ।